ISBN : 978-81-937067-5-6

आधुनिक प्रबंधन रणनीतियाँ, ई–कॉमर्स एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था

(Modern Management Strategies, E-Commerce & Global Economy)

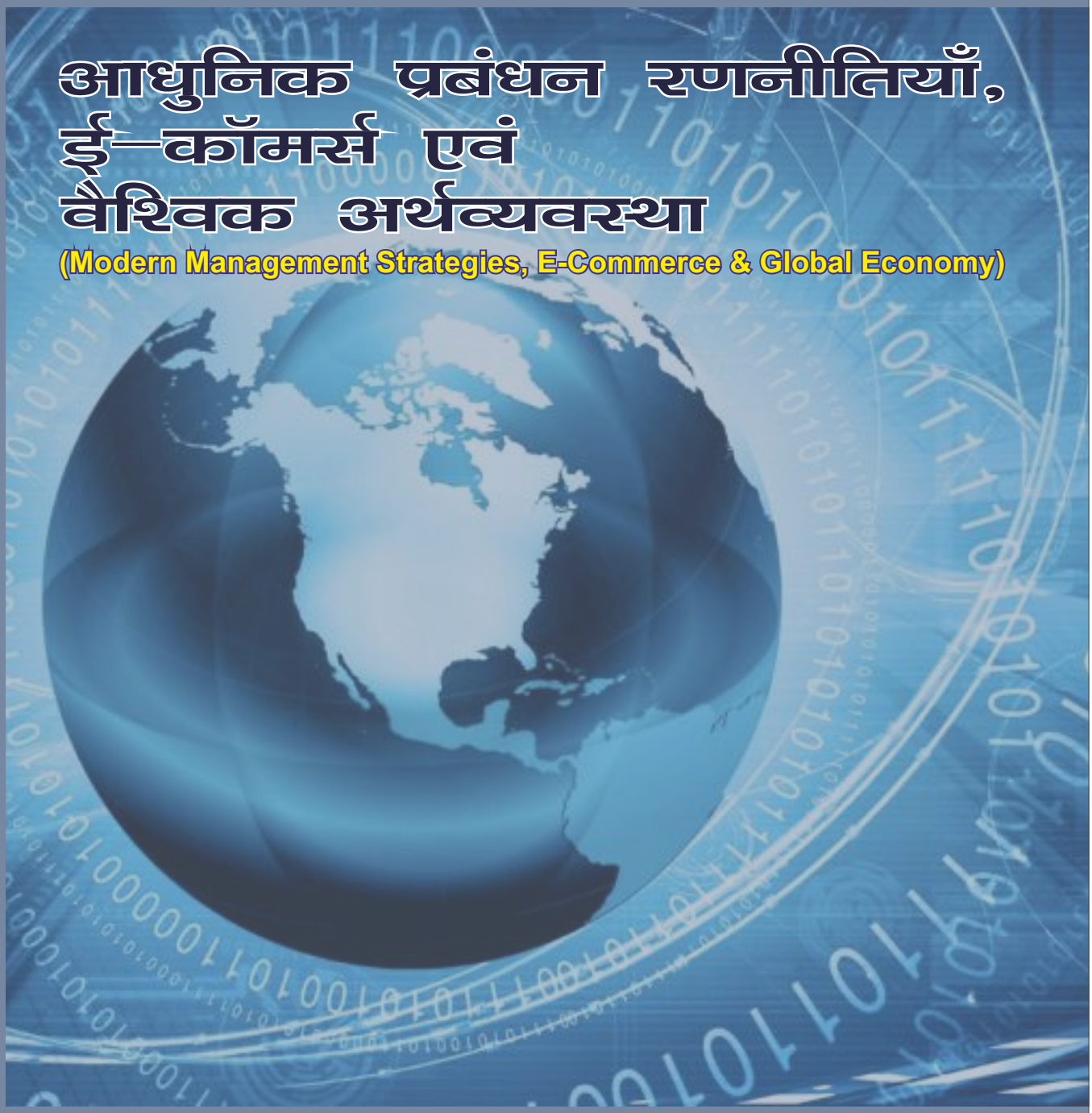

INSPIRA (IRA)
JAIPUR - INDIA

PROF. (DR.) S.S. MODI
DR. RAVI KANT MODI

आधुनिक प्रबंधन रणनीतियाँ, ई–कॉमर्स एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था
Prof. (Dr.) S.S. Modi & Dr. Ravi Kant Modi

आधुनिक प्रबंधन रणनीतियाँ, ई–कॉमर्स एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था

(Modern Management Strategies, E-Commerce & Global Economy)

Edited by:

Professor (Dr.) S.S. Modi

Former Head
Department of Accountancy and Business Statistics
Faculty of Commerce,
PG School of Commerce
University of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan (India)
25, Modi Sadan, Sudama Nagar, Opp. Glass Factory,
Tonk Road, Jaipur-302018 Rajasthan
Email ID: chiefeditorija@gmail.com, profdrssmodi@gmail.com
Mobile No. +91-98293 21067

Dr. Ravi Kant Modi

Assistant Professor
Department of Economic Administration & Financial Management
Faculty of Commerce
LBS PG College, Tilak Nagar, Jaipur
Affiliated to University of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan (India)
Email ID: ravimodii@gmail.com
Mobile No. +91-98285 71010

INSPIRA™

Reg. No. SH-481 R- 9-V P-76/2014

JAIPUR - 302018 (INDIA)

Published by
INSPIRA
25, Modi Sadan
Sudama Nagar
Tonk Road
Jaipur-302018
Rajasthan, India

© Editors

ISBN: 978-81-937067-5-6

First Edition: June, 2018

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without the prior permission in writing from the Publisher.

Price: Rs. 590/-

Laser Type Setting by
INSPIRA
Tonk Road, Jaipur
Ph.: 0141-2710264

Printed at
Akrati Advertisers, Jaipur

विषय–सूची

अध्याय		पृष्ठ सं.
1	ई–कॉमर्स–आधुनिक प्रवृत्तियाँ ***प्रो. राम अवतार करगवाल***	1-9
2	औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण ***डॉ. नीता अग्रवाल***	10-14
3	शिक्षा का बदलता स्वरूप (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विशेष संदर्भ में) ***डॉ. मधु खण्डेलवाल***	15-18
4	महिलाओं के सशक्तीकरण में वितीय समावेशन में जनसंचार माध्यमों की भूमिका एवं उनके प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन ***कमलेश मीना***	19-34
5	प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण विकास में योगदान एवं इसका प्रभाव ***परमानन्द सुण्डा***	35-40
6	पुस्तकालय नेटवर्क व डिजिटल पुस्तकालयों का वर्तमान में महत्व ***डॉ. बलवीर शर्मा***	41-44
7	वस्तु एवं सेवा कर की आधारभूत अवधारणाऐं एवं विशेषताऐं भारत के सन्दर्भ में ***सीमा गोटवाल***	45-48
8	राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में महिलाओं की शैक्षिक सहभागिता ***राकेश कुमार कुमावत***	49-55
9	राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र में ग्रामीण विकास का स्तर –विश्लेषणात्मक अध्ययन ***श्रवण कुमार एवं डॉ. एल.एल.साल्वी***	56-62

10	सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन पर भारत के कार्य *डॉ. विकास कुमार भैड़ा*	63-68
11	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अहिंसा की उपयोगिता *डॉ. मीनाक्षी विजय*	69-72
12	खेतड़ी तहसील पारम्परिक जल संसाधनों का भौगोलिक अध्ययन *नीतू सिंह*	73-88
13	माध्यमिक स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT) द्वारा संचालित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का विश्लेषणात्मक अध्ययन *श्रीमती बेला रानी जैन*	89-97
14	पश्चिमी राजस्थान में सूखा एवं अकाल की समस्या और उसका प्रबन्ध *डॉ. विक्रम सिंह*	98-100
15	भारत में आर्थिक दृष्टि से महिला सशक्तिकरण *प्रतिमा खटुमरा*	101-104

♦❐♦

1

ई–कॉमर्स–आधुनिक प्रवृत्तियाँ

प्रो. राम अवतार करगवाल*

परिचय

ई-कॉमस या ई-व्यवसाय इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है; न केवल खरादना और बेचना, बल्कि ग्राहकां के लिये सेवाएं और व्यापार के भागीदारां के साथ सहयोग भी इसम शामिल है। बुनियादी ढांचे, उपभोक्ता और मूल्य वर्धित प्रकार के व्यापारां के लिए इंटरनेट कई अवसर प्रस्तुत करता है। वतमान म कंप्यूटर, दूरसंचार और केबल टेलीविजन व्यवसायां म बड़े पैमाने पर विश्वव्यापी परिवतन हो रहे ह। मूलतः इसका मुख्य कारण दुनिया भर के दूरसंचार नेटवर्कां पर जो नियंत्रण थे उनका हटाया जाना है। सन् 1990 से वाणिज्यिक उद्यमां ने विज्ञापन, बिक्री और दुनिया भर म अपने उत्पादनां का समथन के लिये इंटरनेट को एक संभावित व्यवहाय साधन के रूप म देखा है। ऑनलाइन शॉपिंग नेटवक वाणिज्यिक गतिविधियां का एक बढ़ता प्रतिशत बन गया है। इक्कीस् वीं सदी ने ऑनलाइन व्यापारां के लिए असीम अवसर एवं प्रतिस्पधा का वातावरण प्रदान किया है। अनेक ऑनलाइन व्यापारिक कंपनियां का स्थापना हुई है और अनेक मौजूदा कंपनियां ऑनलाइन शाखाएं खोल रखी ह।

ई-वाणिज्य व्यापार आम तौर पर कुछ या सभी निम्न प्रथाओं को Etail या आभासी स्टोर के सामने वेबसाइटां पर ऑनलाइन कैटलॉग, कभी कभी एक "आभासी माल' म इकट्ठे हुए के साथ प्रदान करते ह खरादने या बेचने पर ऑनलाइन बाजारां। इकट्ठा और वेब संपक और सामाजिक इलेक्ट्रॉनिक गैर परंपरागत व्यापारिक अवसरां म निम्नलिखित शामिल ह-

---

* Department of EAFM, Government Girls College, Bundi, Rajasthan, India.

~ The chapter is based on the paper presented in *"**International Conference on Modern Management Strategies, E-commerce and Global Economy-In Indian Context**" Organized by **Inspira Research Association (IRA),** Jaipur **& LBS PG College,** Jaipur, Rajasthan, India. **02-03 February, 2018.***

- उपभोक्ता उन्मुख सूचना सेवाएँ, उदाहरण के लिए स्थानीय वर्गीकृत विज्ञापन यथा किराया/संपत्ति समाचार, वतमान घटनाय, पारिवारिक कानून, लघु व्यापार कानून, आदि
- व्यवसायोन्मुख जानकारी सेवाएं यथा बिजनेस लॉ, कंपनी प्रोफाइल, जैसे नौकरी निविदाएं, डेटाबेस, स्टॉक और वित्तीय जानकारी
- मनोरंजन- जैसे खेल, संगीत और कला प्रदशन।
- हेल्प फ़ाइल, कंप्यूटर अनुप्रयोग एवं इमेज फ़ाइलों के लिए फ़ाइल संग्रह सेवा।
- इलेक्ट्रॉनिक मॉल
- इंटरनेट निर्देशिका सेवा जिससे पंजीकरण, खोज और विज्ञापन शुल्कों द्वारा आर्थिक लाभ मिल सकता है
- इंटरैक्टिव सेवाएं जैसे व्यक्तिगत मैच सेवाएं और कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं।
- बिक्री विज्ञापन जिसम वह विज्ञापन भी आता है जो उन वेबसाइटों म होता है
- जहां लोग इकट्ठे होते ह
- इन दिनों फेसबुक विज्ञापन के लिए एक महत्वपूण मंच बन गया है। वहाँ भी इंटरनेट पर विज्ञापन देने के लिए दलाल के रूप म एक व्यापारिक संस्था का स्थापना व्यक्तियों द्वारा हो सकती है।
- दूरस्थ शिक्षा
- इलेक्ट्रॉनिक नकद सेवाएं
- डोमेन नाम दलाल
- इंटरनेट सुरक्षा सेवाएँ
- तकनीकी सहायता और परामश
- भाषा अनुवाद सेवा
- प्रकाशन एवं पत्रिकाएं

इलेक्ट्रॉनिक कॉमस के बीच आयोजित का है कि व्यवसाय के रूप म निर्दिष्ट है, व्यापार या व्यवसाय से B2B . B2B के लिए खुला हो सकता है सभी इच्छुक पार्टियों (जैसे वस्तु विनिमय) या विशेष तक हो सीमित है, पूव भाग लेने योग्य (इलेक्ट्रॉनिक निजी बाजार) .इलेक्ट्रॉनिक कॉमस है आमतौर पर माना पहलू का बिक्री के व्यापार म यह भी मुद्रा के आंकड़ों को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्त पोषण के पहलुओं के व्यापार और भुगतान लेनदेन ।

रूप

समकालीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमस "डिजिटल" सामग्री खपत के लिए पारंपरिक वस्तुओं और सेवाओं, "meta" सेवाओं के लिए अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य का सुविधा के लिए आदेश देने के लिए तत्काल ऑनलाइन आदेश देने से सब कुछ शामिल है। संस्थागत स्तर, बड़े

निगमों और वित्तीय संस्थाओं पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय डेटा विनिमय करने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर। डेटा अखंडता और सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक कॉमस के लिए बहुत गम और दबाने मुद्दों कर रहे ह।

सरकारी विनियमन

भारत म सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम **2000** ई-कॉमस का बुनियादी प्रयोज्यता को नियंत्रित करता है। यह **UNCITRAL** मॉडल पर आधारित है, लेकिन नहीं है एक व्यापक विधान ई-कॉमस के साथ सौदा करने के लिए भारत म गतिविधियों से संबंधित। इसके अलावा, ई-कॉमस कानूनों और विनियमों भारत म भीe-वाणिज्य के क्षेत्र के लिए लागू के रूप म भारत के विभिन्न कानूनों द्वारा पूरक ह। उदाहरण के लिए,ई-कॉमस फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य देखभाल, यात्रा, आदि द्वारा विभिन्न संचालित कर रहे ह से संबंधित कानूनों के हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इन सभी फ़ील्ड्स के लिए कुछ सामान्य आवश्यकताओं का प्रावधान है। प्रतिस्पधा इंडिया (सीसीआई) को प्रतिस्पर्धा विरोधी और व्यापार पद्धतियों म ई-वाणिज्य क्षेत्रों म भारत विरोधी नियंत्रित करता है। कुछ हितधारकों दृष्टिकोण अदालतों और सीसीआई के लिए फ़ाइल अनुचित व्यापार प्रथाओं और शिकायत ऐसी e-वाणिज्य वेब साइटों द्वारा मूल्य निधारण के बारे म शिकायत करने के लिए ई-वाणिज्य वेबसाइटों के खिलाफ फैसला किया है।

बाजारों और खुदरा विक्रेताओं पर प्रभाव

अथशास्त्रियों के रूप म इसे उपभोक्ताओं को उत्पादों और कीमतों के बारे म जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता बढ़ जाती है कि ई-कॉमस तेज मूल्य प्रतियोगिता करने के लिए, सीसा चाहिए सिद्धांत बनाना है। शिकागो विश्वविद्यालय म चार अथशास्त्रियों द्वारा अनुसंधान पाया गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग का विकास भी उद्योग संरचना है कि ई-कॉमस, किताबों की दुकान और ट्रैवल एजेंसियों म उल्लेखनीय वृद्धि को देखा है दो क्षेत्रों म प्रभावित किया है। आम तौर पर, बड़े फर्मों पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का उपयोग कर और कम कीमतों की पेशकश कर रहे ह। इस पद्धति के लिए लोन अपवाद पुस्तकविक्रेता, दुकानों के साथ एक से चार कमचारियों, जो प्रवृत्ति झेल है करने के लिए प्रदर्शित होने के बीच का बहुत छोटा से छोटा श्रेणी किया गया है।

व्यक्ति या व्यापार चाहे खरीदारों या विक्रेताओं अपने लेनदेन पूरा करने के लिए इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकी पर भरोसा ई-वाणिज्य म शामिल। E-वाणिज्य व्यापार संचार करने की अनुमति देने के लिए अपनी क्षमता के लिए और प्रपत्र लेन-देन करने के लिए किसी भी समय और कहीं पहचाना है। चाहे एक व्यक्ति या विदेशों में अमेरिका, व्यापार इंटरनेट के माध्यम से आयोजित किया जा सकता। ई-कॉमस की शक्ति भूभौतिकीय अवरोध गायब करने

के लिए, सभी उपभोक्ताओं और व्यवसायों के पृथ्वी संभावित ग्राहकों और आपूर्तिकताओं पर बनाने का अनुमति देता है। ईबे (eBay) ई-वाणिज्य व्यवसाय व्यक्तियों का एक अच्छा उदाहरण है और व्यवसायों के अपने आइटम के बाद और उन्ह विश्व भर म बेचने के लिए कर सकते ह।

नई ई-कॉमस प्रणाला के उदाहरण

ई - कॉमस

ई-कॉमस् (इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य या ईसी) एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवक पर खरीद और बिक्री के लिए माल और सेवाओं का , या धन या डेटा का संचारण , मुख्य रूप से इंटरनेट का है। ये व्यापार लेनदेन घटित या तो व्यापार -व्यवसाय , व्यापार से उपभोक्ता , उपभोक्ता से उपभोक्ता या उपभोक्ता -व्यापार। शर्तों ई-कॉमस और ई- व्यापार अक्सर interchangeably उपयोग किया जाता है। अवधि ई- पूंछ भी कभी कभी ऑनलाइन रिटेल के आसपास व्यवहार प्रक्रियाओं के संदभ म प्रयोग किया जाता है। ई-कॉमस जैसे ईमेल, फैक्स, ऑनलाइन कैटलॉग और शॉपिंग काट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचज (ईडीआई), फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और वेब सेवाओं के रूप म आवेदनों का एक किस्म का उपयोग किया जाता है। इस के अधिकांश कुछ कंपनियों को उपभोक्ताओं और अन्य व्यावसायिक संभावनाओं के लिए (आमतौर पर स्पैम के रूप म देखा) अनचाहे विज्ञापनों के लिए ईमेल और फैक्स का उपयोग करने के लिए, साथ हा ग्राहकों के लिए ई-समाचार पत्र के बाहर भेजने के प्रयास के साथ, व्यापार-व्यवसाय है।

ई-कॉमस का लाभ अपने दिन-रात उपलब्धता, उपयोग का गति, वस्तुओं और सेवाओं, पहुंच का एक व्यापक चयन, और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने म शामिल ह। उसके कथित downsides देखने या खरीद करने से पहले एक उत्पाद है, और उत्पाद शिपिंग के लिए आवश्यक हो प्रतीक्षा समय स्पश करने म सक्षम नहां किया जा रहा है, कभी कभी सीमित ग्राहक सेवा शामिल है। ई-कॉमस का सुरक्षा, गोपनीयता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, व्यवसायों जैसे सिक्योर सॉकेट लेयर के रूप म, व्यापार लेनदेन को प्रमाणित ऐसे पंजीकृत या चर्यानित उपयोगकताओं, एन्क्रिप्ट संचार के लिए वेबपेजों के रूप म संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को लागू करना चाहिए।

आए उछाल पर उद्योग

2013 म, एशिया-प्रशांत मजबूत व्यापार-toconsumer के रूप म उभरा का बिक्री के साथ दुनिया म (बी 2 सी) ईकामस क्षेत्र रकिंग के आसपास 567,300,000,000 अमरीकी डालर, 2012 के मुकाबले 45% का वृद्धि, यूरोप (482,300,000,000 अमरीका डालर) और उत्तरी अमेरिका के आगे (452.4 अरब अमरीका डालर)। शीष तीन लैटिन अमेरिका द्वारा पीछा किया

गया है, और के अनुसार मध्य पूव और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र, ई-कॉमस Europe1। विश्व स्तर पर, बी 2 सी

ई-कामस बिक्री का वृद्धि हुई 2012 का तुलना म 24% यह का विशाल अप्रयुक्त क्षमता को दशाता है खुदरा कंपनियां द्वारा ई-कॉमस, दोनों मूल के उनके देश म और सीमाओं के पार। ईकामस या इलेक्ट्रॉनिक कॉमस, खरीद के साथ सौदों और वस्तुओं और सेवाओं, या धन या डेटा के प्रसारण को बिक्री एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है, मुख्य रूप से इंटरनेट पर। ये व्यापार लेन-देन या तो व्यापार-व्यवसाय म वर्गीकृत कर रहे ह (बी 2 बी), व्यापार से उपभोक्ता (बी 2 सी), उपभोक्ता से उपभोक्ता (C2C), उपभोक्ता-व्यापार (C2B) या हाल ही म विकसित व्यापार-व्यवसाय से उपभोक्ता (B2B2C)। ईकामस प्रक्रियाओं, जैसे ईमेल, फैक्स के रूप म उपयोग करते हुए आवेदनों का आयोजन कर रहे ह ऑनलाइन कैटलॉग और शॉपिंग काट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचज (ईडीआई), फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और वेब सेवाओं और ई-समाचार पत्र के लिए ग्राहकों। eTravel, ई-कॉमस का सबसे लोकप्रिय रूप है अनिवाय रूप से खुदरा माल का बिक्री का मतलब है जो etail द्वारा पीछा बी 2 सी श्रेणी के द्वारा आयोजित इंटरनेट पर। ई-कॉमस यूरोप, देश के लिहाज से, अमेरिका, ब्रिटेन और के अनुसार चीन एक साथ दुनिया के कुल बी 2 सी के 57% के लिए खाते चीन 328.4 का कुल बिक्री होने के साथ 2013 म ई-कॉमस का बिक्री अरब अमरीका डालर। इसके विपरीत, भारत केवल 10.7 अरब डॉलर का बिक्री का थी अमरीका डालर, AsiaPacific म पांचवं स्थान के साथ 2013 म चीन का इस बात का 3.3%। यह भारत उच्च जनसांख्यिकीय आनंद मिलता है कि इस तथ्य के बावजूद है लाभांश सिफ चीन का तरह। कुल के साथ भारत के इंटरनेट का पहुंच चीन के 207 करोड़ के मुकाबले 46 लाख म ई-परिवारों म से एक है भारत के गरीबों बी 2 सी का बिक्री का वृद्धि के पीछे कारण ह।

भारत का वृद्धि संभावित

ई-कामस उद्योग तेजी से बढ़ रहा है के बाद से, परिवतन देखा जा सकता है एक वष से अधिक समय से। भारत म इस क्षेत्र म 34% (सीएजीआर) के बाद से बड़ा हो गया है 2009 20142. म 16.4 अरब डालर को छूने के लिए क्षेत्र के लिए आशा का जाती है 2015 म 22 अरब डालर का सीमा म हो। (अनुमानित)ई-कामस (सहित etail) etail ई-कामस पारिस्थितिकी तंत्र ऑनलाइन यात्रा, टिकट, आदि ऑनलाइन खुदरा ऑनलाइन माकटप्लेस ऑनलाइन सौदों ऑनलाइन पोटल वर्गीकृत वायु, रेल, बस, फिल्म, घटनाओं के लिए टिकट ऑनलाइन माग के माध्यम से बेचा खुदरा उत्पादों विक्रेताओं और खरीदारों ऑनलाइन चलाना जहां प्लेटफाम ऑनलाइन खरीदा सौदा, मोचन या ऑनलाइन भी हो सकता है और नहीं कार, नौकरी, संपत्ति और वैवाहिक पोटल भी शामिल वतमान म, eTravel कुल ईकामस का 70% शामिल बाजार।

ऑनलाइन खुदरा और के शामिल ह जो eTailing, बाजारों, म सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र बन गया है बड़ा बाजार म लगभग 56% का सीएजीआर से अधिक विकसित होने 2009-2014। etail बाजार का आकार 6 अरब डॉलर आंका है 2015 किताब, परिधान और सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स रहे डालर गठन eTailing के माध्यम से सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पाद, उत्पाद वितरण का लगभग 80%। के बढ़ते उपयोग स्माटफोन, टैबलेट और इंटरनेट ब्रॉडबंड और 3 जी के लिए प्रेरित किया आगे बढ़ाने का संभावना एक मजबूत उपभोक्ता आधार को विकसित करने। यह देसी etail का एक बड़ी संख्या के साथ संयुक्त उनके अभिनव व्यापार मॉडल के साथ कंपनियों को एक करने के लिए प्रेरित किया है भारत म मजबूत etail बाजार उच्च गति से विस्तार करने के लिए पालन।

ऑनलाइन व्यापार मॉडल

E-Commerce One to One

ई-कामस व्यापार, एक से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनियों का बड़ी संख्या अभिनव अलग अपना रहे ह। ऑनलाइन के साथ साझेदारों सहित विचारों और ऑपरेटिंग मॉडल बाजारों या अपने स्वयं के ऑनलाइन स्टोर का स्थापना। कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग मॉडल निम्नलिखित शामिल ह: • =बाज़ार और पिकअप और ड्रॉप=एक मॉडल है, जहां विक्रेता अक्सर अग्रणी बाजारों के साथ भागीदार स्थापित करने के लिए एक उत्तरार्द्ध का वेबसाइट पर समर्पित ऑनलाइन स्टोर। यहाँ विक्रेताओं सूची के प्रबंधन और बिक्री को बढ़ाने का एक महत्वपूण भूमिका निभाते ह। बाजारों का वेबसाइट पर उच्च यातायात पर वे का लाभ उठाने और उनके वितरण नेटवक का उपयोग। हालांकि, विक्रेताओं सीमित है मूल्य निधारण और ग्राहकों के अनुभव पर कहते ह। • =स्व-स्वामित्व वालो सूची= एक मॉडल है, जहां ई-कामस खिलाड़ी के लिए सूची का मालिक है। मॉडल बेहतर postpurchase प्रदान करता है ग्राहक अनुभव और पूरा। यह प्रदान करता है कारण पर तैयार का जानकारो के लिए चिकनी संचालन सूची, स्थान, आपूर्ति श्रृंखला और लदान, प्रभावी ढंग से इनवटरो पर बेहतर नियंत्रण के लिए अग्रणी। दूसरे पहलू पर, हालांकि, संभावित निशान चढ़ाव का जोखिम भी ह और कायशील पूंजी के लिए सूची म बंधे हो रहा है। • =निजी लेबल एक व्यवसाय को दशाता है= जहां एक कामस कंपनी ने इसे बेचता है जो अपने खुद के ब्रांड के सामान, सेट अप अपनी खुद का वेबसाइट के माध्यम से। यह मॉडल एक व्यापक प्रदान करता है उत्पादों और अपने ग्राहकों के लिए मूल्य निधारण और साथ प्रतिस्पधा ब्रांडेड लेबल। इधर, मार्जिन का तुलना म आम तौर पर अधिक कर रहे ह तीसरे पक्ष के ब्रांडेड माल। • = व्हाइट लेबल ऑनलाइन= एक ब्रांडेड का स्थापना शामिल है दुकान ई-कामस खिलाड़ी या किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रबंधित। ब्रांड पैदा वेबसाइट का जिम्मेदारो लेता है यातायात और भुगतान के साथ साझेदारो से सेवाएं प्रदान प्रवेश

द्वार। इसे बनाने के विश्वास, ग्राहक संबंध और मदद करता है वफादारी और ब्रांड और उत्पाद के बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है अनुभव।

2014 म प्रमुख घटनाक्रम

सबसे प्रभावशाली होने के लिए मोबाइल ई-कामस के पहलू

मोबाइल एप्लिकेशन के सबसे द्वारा विकसित किया जा रहा है ईकामस वेबसाइटों , smartphones ह तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पीसी का जगह ले। 2013 म, मोबाइल उपयोगकताओं के केवल 10 % इस्तेमाल किया smartphones, और ईकामस का केवल 5% लेन-देन के एक मोबाइल के माध्यम से किए गए थे डिवाइस। यह आंकड़ा और अधिक से अधिक दोगुनी हो गया है, और सभी ईकॉमस लेन-देन के 13% से अधिक mobile3 के माध्यम से आज होगा। कुछ के अनुसार उद्योग के खिलाड़ियों , आदेशों का 50% से अधिक कर रहे ह मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से रखा जा रहा है जो केवल पयाप्त ग्राहक के लिए अग्रणी नहीं है अधिग्रहण लेकिन यह भी ग्राहकों के प्रति वफादारी का निमाण विभिन्न ब्रांडों के लिए। हालांकि, ज्यादातर मोबाइल लेन-देन अब तक , मनोरंजन के लिए इस तरह के ह बुकिंग मूवी टिकट और संगीत डाउनलोड के रूप म। यह प्रवृत्ति अधिक के साथ जल्द ही बदल जाएगा और अधिक माल ऑनलाइन का आदेश दिया जा रहा है।

छोटे शहरों से आने वाले अधिक व्यापार-

ई-कामस तेजी से टियर 2 और 3 शहरों से ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है ,लोग ब्रांडों के लिए सीमित पहुंच है , लेकिन उच्च आकांक्षाओं हैं जहां। ई-कॉमस कंपनियों के मुताबिक , इन शहरों म एक 30 % करने के लिए देखा है लेन-देन म 50% वृद्धि।

बढ़ी खरीदारी के अनुभव

सामान्य ऑनलाइन शॉपिंग, ग्राहकों इसके अलावा यह भी शादियों के लिए ऑनलाइन खरीदारी कर रहे ह और उत्पादों का व्यापक रज के लिए त्योहारों, धन्यवाद का पेशकश का और आक्रामक विज्ञापनों जा रहा है। स्वतंत्र और जल्दी शिपमट और व्यापक के आराम के साथ उत्पादों का पसंद , म दुकान का तुलना म ऑनलाइन शॉपिंग खरीदारी भी ईकामस इकट्ठा मदद कर रहा है momentum.4 इसके अलावा, ई-कॉमस कंपनियों वजह से बिक्री के लिए तेजी से कारोबार कर रहे ह। नई अवधारणाओं ऐसे सप्ताहांत का छुट्टियों पर बिक्री और त्यौहारों एक आकर्षित कर रहे ह नए ग्राहकों और मौजूदा ग्राहकों के बीच इमारत ग्राहकों के प्रति वफादारी का बहुत। टेलीविजन और सामाजिक मीडिया, विशेष रूप से फेसबुक, एक सक्रिय खेल रहे ह आक्रामक विज्ञापनों के माध्यम से eTailing को बढ़ावा देने म भूमिका। इस मदद का है कई ई-कॉमस कंपनियों पयाप्त ब्रांड छवि का निमाण।

मुख्य बाजार कारकों से पहले मूल्यांकन किया जाना है एक नए ई-कामस कारोबार म प्रवेश-

उनकी दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, ई-कॉमस कंपनियों की आवश्यकता होगी म नए बाजारों के जटिल परिदृश्य को समझने के लिए अपने स्वयं के आंतरिक क्षमताओं और सीमाओं के अलावा। निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए:

- बाजार का आकार: एक नए म भी आक्रामक जाने से पहले बाजार, यह विचार करने के लिए महत्वपूण है कि कैसे बड़े आकार का समग्र अवसर है।
- ई-कामस तत्परता: यह पूरी तरह से करने के लिए आवश्यक है भुगतान और सैन्य बुनियादी ढांचे को समझने, उपभोक्ता व्यवहार, खुदरा अवसर और प्रौद्योगिकीय घटनाक्रम।
- विकास की गुंजाइश: यह देखने के लिए भी महत्वपूण है इंटरनेट की पहुंच, ऑनलाइन खरीद की जनसांख्यिकी जनसंख्या और विकास के जो चरण समझते ह प्रत्येक बाजार म है। प्रविष्टि के लिए
- बाधाएं: खिलाड़ियों को समझना चाहिए विनियामक वातावरण और समाधान के साथ कनेक्ट प्रदाताओं, सामग्री वितरण नेटवक, और डिजिटल एजेंसियों।
- प्रतियोगिता: एक म गहराई से करने की जरूरत भी नहीं है क्या प्रतियोगियों के □□□□, अपने ऑनलाइन कर रहे ह रणनीति और प्रत्येक पेशकश की प्रकृति।

इलेक्ट्रॉनिक कॉमस के फायदे

कारोबार के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमस के सभी लाभ एक बयान म संक्षेप किया जा □□□□ □□ इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य बिक्री और कमी की लागत म वृद्धि कर सकते ह। वेब पर अच्छी तरह से किया विज्ञापन को दुनिया म हर देश म संभावित उपभोक्ताओं के लिए भी एक छोटी सी कंपनी के प्रचार संदेश बाहर निकल सकते ह। एक फम भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए ह कि संकीण क्षेत्रों के बाजार तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य उपयोग कर सकते ह। वेब उत्पादों या सेवाओं के विशिष्ट प्रकार के लिए आदश लक्ष्य बाजार बन गया है कि आभासी समुदायों बनाने म विशेष रूप से उपयोगी है। एक आभासी समुदाय एक आम हित □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□, लेकिन इसके बजाय भौतिक दुनिया म होने वाली इस सभी □□, □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□

लाभ

□□ □□□□□, बिक्री जांच से निपटने के मूल्य उद्धरण प्रदान करने, □□ □□□□ □□क्री □□ समथन है और आदेश लेने की प्रक्रिया म इलेक्ट्रॉनिक कॉमस का उपयोग करके उत्पा□ □□ उपलब्धता का निधारण करने के लिए लागत को कम कर सकते ह।

- इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य पारंपरिक वाणिज्य से विकल्पों की एक व्यापक रज के साथ खरीदारों प्रदान करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य वे एक संभावित खरीद के बारे म प्राप्त जानकारी म विस्तार के स[illegible] अनुकूलित करने के लिए एक आसान तरीका के साथ खरीदारों प्रदान करता है।
- [illegible], सावजनिक सेवानिवृत्ति, और कल्याण समथन के ♦ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जारी करने और इंटरनेट पर प्रसारित जब सुरक्षित रूप से और जल्दी पहुंचने के लिए [illegible]
- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान धोखाधड़ी और चोरी के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने, लेखा परीक्षा और चेक द्वारा किए गए भुगतान से नजर रखने के लिए आसान हो [illegible]
- इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य भी उत्पादों और दूरदराज के क्षेत्रों म उपलब्ध सेवाओं बना सकते [illegible]

[illegible]क्ट्रॉ[illegible]

[illegible] व्यवसायों इलेक्ट्रॉनिक कॉमस के लिए कम उपयुक्त ह। इस तरह के कारोबार जल्दी खराब हो या उच्च लागत रहे ह, या जो खरीदने से पहले निरीक्षण की आवश्यकता होती [illegible] जो वस्तुओं की बिक्री म शामिल किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य आज के [illegible], नयापन से स्टेम और तेजी से अंतर्निहित प्रौद्योगिकियों की गति का विकास। ये नुकसान के रूप म इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य परिपक्व होती है और अधिक करने के लिए उपलब्ध है और आम जनता द्वारा स्वीकार कर लिया हो जाता है गायब हो जाएगा।

नुकसान

- [illegible]
- कई कंपनियों के तकनीकी, डिजाइन के साथ मुसीबत भर्ती और बनाए रखने के [illegible] और व्यापार प्रक्रिया कौशल के लिए एक प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक कॉमस उपस्थिति बनाने की जरूरत है।
- इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए सक्षम बनाता है कि सॉफ्टवेयर म पारंपरिक वाणिज्य के लिए डिजाइन मौजूदा डेटाबेस और लेनदेन प्रसंस्करण सॉफ्ट[illegible]
- कई व्यवसायों इलेक्ट्रॉनिक कॉमस का आयोजन करने के लिए सांस्कृतिक और कानूनी [illegible]

.

☯☯☯

2

औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण

डॉ. नीता अग्रवाल*

परिचय

मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। अपनी बुद्धि से वह समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकता है। मानव की इसी सोच ने नवीन अनुसन्धान एवं आविष्कार को बढ़ावा दिया। वैज्ञानिक प्रगति के कारण औद्योगीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है इससे वातावरण (पर्यावरण) एवं औद्योगीकरण में सामंजस्य बनाने में कठिनाईयाँ आ रही है। औद्योगीकरण जहाँ एक ओर किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सूचक हो रही है वही दूसरी ओर औद्योगीकरण से वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है जिससे पर्यावरण संतुलन का खतरा बढ़ता जा रहा है।

निःसन्देह औद्योगिक विकास से जहाँ लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है हमारी बेरोजगारी तथा गरीबी की समस्या में भी थोडा सा निदान हुआ है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, कच्चे माल की आपूर्ति में वृद्धि, देश में आविष्कार, अनुसन्धान, बाजारीकरण विश्ष्टीकरण बैंकिग सुविधाओं, निजी बैंकों को प्रगति करने का मौका मिला है यह सब औद्योगिक विकास की देन ही है। पर कहा जाता है ''अति सर्वत्र वर्जते''। अति हर चीज की बुरी होती है इसका परिणाम धीरे–धीरे सभी को भुगतना ही पड़ता है।

औद्योगिक विकास से सबसे अधिक महानगर प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि महानगरों में ज्यादा आबादी वाले शहर देखने को मिलते हैं तथा शहरों में यातायात के साधनों का आधिक्य तथा जनसंख्या का घनत्व आधिक्य दोनों आग में घी का काम करते है। वाहनों मोटर गाड़ियों बसों से निकलने वाले धुएं विषैली गैसे जन सामान्य को श्वास लेने में कठिनाई के साथ ही अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्म हो रहा है तथा वातावरण में भी ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जा रही है।

---

* व्याख्यता ई.ए.एफ.एम, कानोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

~ The chapter is based on the paper presented in "**International Conference on Modern Management Strategies, E-commerce and Global Economy-In Indian Context**" Organized by **Inspira Research Association (IRA),** Jaipur **& LBS PG College,** Jaipur, Rajasthan, India. **02-03 February, 2018.**

सर्वेक्षण के अनुसार जापान की राजधानी टोक्यो को विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित राष्ट्र घोषित किया गया था जहाँ पर बचाव हेतु उन्होंने जगह–जगह पर ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए ताकि ऑक्सीजन का उपयोग आवश्यकता पढ़ने पर किया जा सके। यही हाल लंदन का भी है। भारत का स्थान विश्व के 183 देशों में 114 स्थान पर है जहाँ पर महानगरों में खासकर दिल्ली (राजधानी) की स्थिति सबसे खराब है जहाँ दूषित जल तथा वायु की उपलब्धता से ही लोग जीने के लिए विवश है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1992 द्वारा प्रसारित ;भ्मंसजी ंदक म्दअपतवदउमदजद्ध संबंधी रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे विश्व में एक वर्ष में लगभग 3.27 करोड़ औद्योगिक क्षेत्र की दुर्घटनाए होती है जिनमें 1,46000 व्यक्ति मृत्यु के शिकार हो जाते है, यह भी अनुमान लगाया गया कि जिन क्षेत्रों से औद्योगिक कारीगर ग्रस्त होते है। वह निम्न है–

सिलीकोसिस	3.5 से 43.2 प्रतिशत
मरकरी पाइजनिंग Poisoning	2.6 से 37 प्रतिशत
श्रवण शक्ति का ह्रास	1.7 से 70 प्रतिशत
त्वचा रोग	1.7 से 86 प्रतिशत
पीठ दर्द	2.5 प्रतिशत
लैंड पाइनिग	1.7 से 10000 प्रतिशत
बाइसनिनोसिस	5.0 से 30 प्रतिशत
कोयला खदान संबंधी (न्योमोकोनिओसिस)	8.3 से 43.8 प्रतिशत

यह सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि भारत जैसे देश में अनीमिया आँखों का रोग हडड्यिों के रोग वायुजनित रोग सांसे लेने संबंधी रोग बहुतायत से होते हैं अतः उद्योगों में कार्य करने वाले लोग सदैव अस्वस्थ ही रहते है।

देश में उद्योग जो अधिक प्रदूषण फैलाते है उनमें उनकी पहचान भारत सरकार ने 19 नवम्बर 1986 के गजट में प्रकाशित की है यह निम्न उद्योग है कास्टिक सोड़ा, हस्तनिर्मित धागा, चीनी, तेल शोधक, सीमेंट उद्योग, कोयले की भट्या, चमड़ा उद्योग , सूती उद्योगों एल्मूनियम कार्बन ब्लैक, आयरन एवं स्टील, नाइट्रिक एसिड, सलफ्यूरिक जिंक मेटेलिक आदि है

उद्योगों के बढ़ने से दुष्परिणामों एवं पर्यावरण परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियाँ

- भारतीय अर्थव्वस्था पूर्णतः कृषि पर निर्भर है। कृषि कार्य के लिए जल का अपना महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर रहने के कारण भारतीय कृषि में अनिश्चिता विद्यमान है। जिस वर्ष मानसून अच्छा आता है कृषि भी अच्छी हो जाती है जिस वर्ष मानसून नहीं आता तब कृषि पर प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है।
- मौसम में तेजी से परिवर्तन के कारण पिघलते ग्लेशियरों ने इस समस्या को और बढ़ावा दिया है। इस बदलते मौसम के मिजाज के कारण किसान की फसल नष्ट होने से किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे है। अतः सरकार को ऐसी अवसंरचना पर फोकस करना होगा जो बदलते मौसम के कारण बाढ़ एवं सूखा जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहे।

- प्राकृतिक आपदा की स्थिति भी कृषि भूमि को प्रभावित करती है जैसे अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा आदि। इसमें सरकार द्वारा जानमाल की हानि कम से कम हो सरकार को ध्यान देना चाहिए।
- ओजोन परत में छेद के बढ़ जाने से अल्ट्रावायलेट किरणों की मात्रा बढ़ने से मोतियाबिंद इन्फेक्शन सांस की बीमारियां बढ़ती जा रही है साथ ही पेचिस, हैजा, मलेरिया, डेगूं, चिकनगुनिया फाइमेरिया और कुपोषण से भी प्रतिवर्ष हजारों लोग असमय काल कवलित हो जाने हो जाते है।
- **ई–कचरा–** ई–कचरा भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है इस कचरे से बीमारियों के बढ़ने में वृद्धि हुई है। लगभग 20 हजार टन कचरा विदेशों से राजधानी में आ रहा है। अकेले भारत में लगभग 3 लाख 80 हजार टन ई–कचरा सामान निकल रहा है निकट भविष्य में यह आंकड़ा बढ़कर 5 वर्षों में 41 लाख टन होने की संभावना है। यह ई–कचरा मोबाइल, आइपॉट, कम्यूटर और दूसरे सामान इलेक्ट्रिक गैजेट के तेजी से कबाड़ में परिवर्तन होने से उत्पन होता है। इस कचरे में सीसा, पारा, निक्ल, प्लास्टिक , एल्यूमिनियम आदि धातुएं शमिल है। जो पर्यावरण के साथ–साथ स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। फ्रांस जैसे राष्ट्र ने तो ई–कचरा 4500 टॉवर ई–कचरा उत्पन्न हो रहा है। एशिया में ई–कचरा दुनिया का 41 प्रतिशत है अतः रिसाइक्लिंग की टेक्नोलोजी में सुधार एवं कठोर कानूनों एवं नियमों की सख्त जरूरत है। इस संबंध में हमें यूरोपीय देशों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। यूरोपीय देश और जापान ने इलेक्ट्रिानिक उपकरण निर्माताओं पर यह जिम्मेदारी डाली है कि वे कचरे की रिसाइक्लिंग में 60 प्रतिशत की भागीदारी करे। अस्पतालों से भी निकलने वाले मेडिकल कचरे का भी सही निवारण होना चाहिए।

पर्यावरण परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान

- सर्वप्रथम औद्योगीकरण के कारण ईधन जैसे कोयला पेट्रोल डीजल आदि के इस्तेमाल पर बराबर नजर रखनी होगी क्योंकि इसके जमने से प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य वजह है।
- ऊर्जा के परम्परागत स्त्रोतो के दोहन पर हमें ध्यान केन्द्रित करना होगा।
- केवल सरकारी स्तर पर किये गये प्रयत्न ही काफी नहीं है केवल सरकार के पास ही समास्या का समाधान नहीं है बल्कि जन सहयोग के प्रयत्न एवं कोशिश भी महत्वपूर्ण भूमिका अपेक्षित है। जन साधारण में जागरूकता बढ़ाई जाए, गैर सरकारी संगठनों को इस हेतु आगे लाया जाये उनका सहयोग किया जाए तभी हम समस्या से निजात पा सकते है।
- प्राकृतिक स्त्रोतों के संरक्षण पर ध्यान देने की भी आज नितान्त आवश्यकता है पानी जमीन जंगल (पेड़ पौधों) के संरक्षण की आवश्यकता है। ग्रामीण स्तर पर समाचार पत्रों टीवी चैनलों मीडिया विज्ञापनों आदि के द्वारा जन जागरूकता लाये जाने की आवश्यकता है।
- विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर भी पाठ्यक्रमों में पर्यावरण विषय को स्वतंत्र रूप से पढ़ाये जाने की आवश्यकता है। पर्यावरण विषय में कैरियर जॉब के अवसर, व्यावसायिक स्तर पर उच्च अध्ययन की संभावनाओं द्वारा भी इस समस्या से निजात पाई जा सकती है।

- जनसंख्या नियन्त्रण, जीवन शैली में सुधार जन सहभागिता जन जागरुकता की भूमिका भी अहम है। स्थानीय समुदाय का अधिक से अधिक सहयोग पंचायतों ग्राम सेवकों की योगदान निश्चित करना होगा।
- बिजली पानी जल संरक्षण पर भी आकर्षित करना चाहिए।
- परम्परागत बिजली बल्बों के स्थान पर फूलरोसेंट बल्बों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए इससे ऊर्जा की बचत की जा सकती है। निजी गाड़ियों के स्थान पर पूल सिस्टम सहित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद व्यवस्था के प्रयोग पर भी विचार करना चाहिए इससे काफी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है।
- भारत के पास पर्याप्त मात्रा में सौर पवन ऊर्जा है इन गैर परम्परागत स्त्रोतों के उपयोग द्वारा इनका उचित दोहन करना चाहिए। सौर फार्मो का निर्वाण, ग्रीन बिल्डिंग तथा वृक्षारोपण पर कार्य करके पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है।

आज आवश्यकता है कि हम अपनी औद्योगिक प्रगति एवं प्रकृति के साथ तालमेल करे। यदि प्रकृति एवं औद्योगीकरण में सामजस्य नहीं स्थापित हुआ तो हमारी प्रगति हमारा विकास सब व्यर्थ है क्योंकि धीरे–धीरे हम विनाश की ओर जायेंगे जिसे नियन्त्रित करना होगा। साथ ही पर्यावरण को संरक्षित एवं संतुलित रखने के लिए विषाक्त गैसों रसायन हानिकारक धुंआ तथा अवशेष उत्पन्न करने वाले कारखानों को शहरों से दूर दराज स्थानों पर लगाना होगा जहाँ आबादी कम से कम हो। कारखाने खुले स्थानों पर खोले जाए। पीने के स्वच्छ संसाधन नदियों, नालों को दूषित न करे। वृक्षारोपण पर जोर दे वर्षा के पानी को एकत्र कर उसका वर्ष पर्यन्त उपयोग करने पर जोर दे। परमाणु हथियारों का बाहिष्कार करे। रेडियो एक्टिव तत्वों से दूर रहे। यातायात के साधनों से निकलने वाले धुएं को नियन्त्रित करे।

सरकारी प्रयास

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल विधेयक संसद में पेश किया जाना शमिल है। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने राज्यों को अनिवार्य नवीकरण प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण की स्थापना हेतु वित्तीय राशि देने का फैसला किया है। सरकार ने सिद्धान्त 2020 तक अतिरिक्त 20000 मेगावाट सौर ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। बिजली उत्पादन में अक्षयऊर्जा के योगदान से भारत अग्रणी देश बन जायेगा।

प्रधानमंत्री ने नदी सफाई मुद्दे पर विशेष उद्देश्यकोष जैसे रचनात्मक मॉडल के जरिए नदियों का संरक्षण करने के प्रयासों को तेज करने का आह्वान करते हये राज्यों के राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के माध्यम से कानूनी प्रावधान लागू करने पर भी बल दिया है। साथ ही वन और वन्य जीव प्रबन्ध के आधुनिकीकरण वन विभाग में बड़ी मात्रा में रिक्त पड़े पदों को भरने ,सरकारी निजी क्षेत्र की भागीदारी, नदियों की सफाई हेतु संसाधन जुटाये, अत्यधिक प्रदूषण कारक उद्योगों को तत्काल सर्वेक्षण करने जैसे महत्वूपर्ण निर्णय लिए जा रहे है।

वक्त की मांग है पर्यावरण परिवर्तन संबंधी शिखर सम्मेलनों के आयोजन के साथ–साथ अब हमें इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर सुलझाने हेतु गम्भीरता से विचार करना होगा और सरकार को कृषि

वन तथा जल संबंधी कार्यों में उचित सामजंस्य स्थापित करना होगा ताकि भौतिकवादी युग में विलासप्रिय वस्तुओं के प्रति बढ़ते आर्कषण और पेड़ पौधों और जीवों के प्रति घटते भावनात्मक लगाव के बीच संतुलन स्थापित हो।

सतत् विकास अर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित करन है। औद्योगीकरण विश्व में वैश्वीकरण निजीकरण एवं उदारीकरण जैसे सतत् विकास का परिणाम है यह विश्व के लिए नितान्त आवश्यक भी है लेकिन यदि इसके दूसरे पक्ष की तरफ गौर किया जाए तो औद्योगीकरण भौतिकवादी प्रवृति को बढ़ावा दे रहा है जिसका परिणाम पर्यावरण का क्षरण एवं इसमें परिवर्तन होता है जो अततः विश्व को विनाश की तरफ ले जा रहा है। लेकिन विकास की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता यद्यपि विश्व के जागरूक राष्ट्र एवं संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतराष्ट्रीय संगठनों के स्तर पर अपने प्रयासों द्वारा विनाशकारी दुष्परिणामों को बचाने का प्रयास कर रहे है। लेकिन जहाँ एक ओर विकासशील राष्ट्रों को अपने देश के विकास के लिए औद्योगीकरण की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर विकसित राष्ट्र पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित समस्याओं के लिए प्रयास कर रहे है। अतः दोनों के समक्ष चुनौतियाँ खड़ी है जिसे उन्हें अपने अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करना है।

सतत् विकास मुनष्य को चेतावनी देती है कि मनुष्य इसका उद्देश्य विकास के लाभों को समाज के हित में वितरित करना है। सतत् विकास की सफलता के लिए आवश्यक है पर्यावरण के प्रभावों के प्रति हम व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में चितंन करे।

References

⇒ B.P. Gupta & Swami : Economic Enviornment in India, RBD Publishing House, New Delhi and Jaipur

⇒ Dr. A.L. Bhatia : Current trends in global environement New India Publishing House, New Delhi

⇒ Dr. Bharat Bhushan & Dr. Vinit Kamar : Enviornement Impact Assessment Shree publishers & Distributors New Delhi

⇒ Dr. D.P. Agarwal & Dr.Neeta Agarwal : Economic Enviornment in Rajasthan, Garima Publication, Jaipur

⇒ S.K. Mishra & V.K. Puri : Economic of development and planning, Himalaya publishing house, Mumbai, Delhi, Nagpur, Hyderabad

⇒ S.P. Mahajan : Air pollution contral capital publishing company New Delhi, Kolkata

☯☯☯

3

शिक्षा का बदलता स्वरूप (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विशेष संदर्भ में)

डॉ. मधु खण्डेलवाल*

परिचय

किसी भी देश का वर्तमान एवं भविश्य उस देश में रहने वाले लोगों की शिक्षा–दीक्षा पर निर्भर करता है। आम–तौर पर भारत जैसे वि ाल देश में जहां पर विभिन्न धर्मों के अर्न्तगत अनेक जातियों के लोग रहते है, जिनका खान–पान, वे ाभूशा, क्षेत्र सब अलग–अलग है। जो विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरा और क्षेत्रफल के मामले में सातवां स्थान रखता है। प्राणियों की श्रेणी में से मनुष्य को सर्वश्रेश्ठ प्राणी बनाने का श्रेय शिक्षा को दिया जाता है। शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। शिक्षा ही समाज का अस्तित्व निर्धारित करती है। शिक्षा मानव की अर्न्तनिहित भाक्तियों का विकास करती है।

जन्म के समय बालक असामाजिक एवं असहाय होता है। उसकी न तो कोई संस्कृति होती है न ही आदर्श, किन्तु जैसे–जैसे वह वड़ा होता जाता है वह सामाजिक प्राणी बन जाता है। धीरे–धीरे उसमें सामाजिक परिवक्वता आती है और वह अपने को समाज द्वारा वनाये गये नियमों के अनुरूप ढालता है।

शिक्षा का बदलता स्वरूप

21 वीं शताब्दी की दहलीज पर सामाजिक आत्ममंथन के लिए जितना प्रासांगिक है उतना ही महत्वपूर्ण भी है, क्योकि बदलते परिभेश में आधुनिक वनाम वर्तमान शिक्षा पद्धति एक ऐसे दर्पण के समान है जिसमें हम जितना पास आकर निहारते है अपना प्रतिबिम्व उतना ही धुंधला दिखाई देता है।

---

* प्राचार्या, खण्डेलवाल शि0प्र0 महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान।

~ The chapter is based on the paper presented in "**International Conference on Modern Management Strategies, E-commerce and Global Economy-In Indian Context**" Organized by **Inspira Research Association (IRA),** Jaipur **& LBS PG College,** Jaipur, Rajasthan, India. **02-03 February, 2018.**

शिक्षा व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्तियों को भाोधन एवं रूपान्तरिकरण करके उसे समाज का सक्रिय सदस्य बनाती है। जिससे वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कुशलतापूर्वक कर सकता है।

प्राचीन काल में शिक्षा गुरूकुल में गुरू के सानिध्य में रहकर ही पूर्ण की जाती थी। धीरे–धीरे इस प्रणाली में परिवर्तन होता गया। तथा गुरू के साथ–साथ पुस्तकों का स्थान भी महत्वपूर्ण होता गया। 20वीं भाताब्दी के पूर्वाद्ध तक सम्पूर्ण विश्व औद्योगिक क्रान्ति से संचालित होता रहा परन्तु इसके बाद से विश्व व्यवस्था में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए।

शिक्षण–अधिगम की परिस्थिति में छात्रों के भाग्य का विकास एवं अपेक्षित परिवर्तन उनकी कक्षाओं के माध्यमों से हो रहा है। हमारा विश्वास है कि यह कोई चमत्कारोक्ति नहीं है। विज्ञान और सिर्फ विज्ञान पर आधारित इस दुनियां में शिक्षा ही लोगों को खुशहाली, कल्याण और सुरक्षा के स्तर पर निर्धारण करती है। हमारे विद्यालय और महाविद्यालयों से निकलने वाले छात्रों की योग्यता और संख्या पर ही राश्ट्रीय कुल निर्माण के इस महत्वपूर्ण कार्य की सफलता निर्भर करेगी, जिसका प्रमुख उद्देश्य हमारे रहन–सहन का स्तर ऊंचा उठाता है।

समय का चक्र निरन्तर गतिमान है। आज की शिक्षा में शिक्षक अपने को केवल पुस्तकीय ज्ञान या पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रख सकता। शिक्षण प्रक्रिया में आज ऐसी शिक्षण पीढ़ी का नवनिर्माण करना आवश्यक है जिसका न केवल अपने विशय पर एकाधिकार हो बल्कि वह विद्यार्थियों की सभी बौद्धिक जिज्ञासा को परिपूर्ण करता हो, उसे अपने शिक्षण में दूरदर्शन, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, सैटेलाईट, ई–मेल, फैक्स आदि आधुनिक सूचना माध्यम से अपने को परिपूर्ण रखे तथा शिक्षण अभ्यास में नये–नये सूचना के संसाधनों से अपने को परिपूर्ण रखे।

शिक्षा को गुणात्मक उन्नयन व इसे वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए हमें ऐसी पद्धिति की व्यवस्था करनी होगी जो शिक्षा को सभी व्यक्तियों की देहरी तक ले जा सके और वह पद्धति है– सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शिक्षा में प्रयोग। निःसंदेह आज विद्यालयों में इस बात की अति आवश्यकता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से हम अपने आप को तैयार रखें। यदि हमें कुछ कर दिखाना है तो हमें विज्ञान के साथ चलना होगा।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

वर्तमान युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के प्रभाव से ही मानव पक्षी की तरह आकाश में उड़ता है, तथा मछली की भांति अथाह सागर में तैरता है। सूचना एवं संचार साधनों के माध्यम से सम्पूर्ण संसार एक परिवार की भांति नजर आता है। अर्थात् सिमटता हुआ संसार दिखाई देता है। वर्तमान युग में सूचना एवं संवेग तीव्र गति से विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रसारित हो रहे है आज संचार साधनों से सूचनाएं पहुंचाना सरल एवं सुगम ही नहीं बल्कि इससे समय और धन की बचत भी होती है। सूचनाओं का प्रसारण वृहद स्तर पर करने के लिए इन बहुआयामी साधनों का प्रयोग किया जाता है। संचार के साधन टेलीफोन, मोबाईल, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, टेलीप्रिन्टर, दूरदर्शन इत्यादि साधनों से अभूतपूर्व क्रान्ति दृश्टिगत होती है। मोबाईल के द्वारा त्वरित गति से सूचनाओं का संचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आज ''कर लो दुनिया मुठ्ठी में''। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास तथा उपयोग आदि सभी कार्यालयों, विभागों और संस्थाओं में तीव्र गति से हो रहा है।

आज विद्यार्थी को सूचना व प्रौद्योगिकी के साधनों के माध्यम से शिक्षण–अधिगम, प्रभावी सम्प्रेशण और शिक्षा में नवाचारों से भाीघ्रातिशीघ्र जानकारी उपलब्ध हो रही है। कम्प्यूटर, इन्टरनेट,

ई–मेल, ई–गवर्नस, ई–कॉमर्स, ई–एजूकेशन, मोबाइल और भी न जाने कितनी ऐसी प्रणालियां हैं, जिन्होंने मनुष्य के जीवन को न केवल सुगम बनाया है अपितु श्रम शक्ति के समुचित व अधिकतम उपयोग का मार्ग भी प्रशस्त किया है। भूमण्डलीकरण और वैस्वीकरण के इस युग में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी से शिक्षा जगत् पूर्णतः प्रभावित है। आज के बालक को वैज्ञानिक, व्यावसायिक और व्यावहारिक शिक्षा की नितांत आव यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रौद्योगिकी के इन साधनों का समावेश और प्रयोग विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपेक्षित है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन

सूचना एवं संचार के साधनों से तात्पर्य है कि वैज्ञानिक तकनीकी के ऐसे साधन (मशीनें) जिनके माध्यम से त्वरित गति से सूचनाओं का आदान–प्रदान होता है। प्रौद्योगिकी शब्द अंग्रेजी के Technology (तकनीकी) का समानार्थक है, जब वैज्ञानिक ज्ञान का कलात्मक या व्यावहारिक प्रयोग ही तकनीकी कहलाता है। औद्योगिकी क्षेत्र में सबसे पहले प्रयुक्त ये साधन आज सभी क्षेत्रों के आधार स्तम्भ बन चुके हैं, इनके निम्न साधन हैं :–

- टेलीप्रिन्टर, फैक्स, फेसिमल
- टेलीविजन, रेडियो
- कम्प्यूटर
- इन्टरनेट
- ई–मेल
- मोबाइल, पेजर, वायरलेस सेट
- लैपटॉप
- उपग्रह
- टेलीकॉन्फ्रसिंग

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता

सूचना एवं संप्रेशण तकनीकी के परिणाम आज शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक रूप से प्रभावशाली परिवर्तन होते है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को अति–आव यक मानकर इसका विकास विभिन्न देशों में लगातार किया जा रहा है। जॉन लीपम– भौक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण व अधिगम में आधुनिक विधियों व प्रौद्योगिकी का क्रमबद्ध प्रयोग करना है। यह शिक्षक की परम्परागत तथा उभरती हुई भूमिकाओं का मेल करवाती है।

शिक्षण अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली सूचना एवं संप्रेशण प्रौद्योगिकी की उपयोगिता निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण है–

- **शिक्षक के लिए उपयोगिता**

सूचना एवं सम्प्रेशण संचार प्रौद्योगिकी का प्रभाव शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया पर पड़ता है। वह सीखने के सिद्धान्तों के स्थान पर शिक्षण के सिद्धान्तों पर अधिक महत्व देता है। यह बात शिक्षण के प्रतिमान में वर्णित है।

- **सीखने के क्षेत्र में उपयोगिता**

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षण में प्रभाव लाकर सीखने की परिस्थितियों को सरल बनाने में सहायता प्रदान करती है। सीखने की परिस्थितियों में भी वह प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह करती है। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों की रूचियों एवं रूझानों का विशेष ध्यान रखा जाता है।

- **समाज के लिए उपयोगी**

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। इसके द्वारा शिक्षा का प्रसार घर–घर में आसानी से किया जा सकता है। सीमित साधनों वाले देशों में जन शिक्षा (Mass Education) के रूप में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बहुत सहायता करती है। आज जन–साधारण के पास रेडियो, ट्रान्जिस्टर, टेपरिकॉर्ड, टेलीविजन, कम्प्यूटर आदि है। इन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधनों को शिक्षा के प्रचार–प्रसार में काम लिया जा सकता है। समाज के प्रत्येक भाग के इन साधनों के माध्यम से शिक्षक का, महान नेता का, संत का, समाज सुधारक का विचारपूर्ण भाषण पहुंचाया जा सकता है। इनकी सहायता से समाज के लिए उपयोगी ज्ञान, संचय आसानी से किया जा सकता है।

अतः वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग कर शिक्षा की प्रगति में अपेक्षित रूप से बदलाव किया जा सकता है।

4

महिलाओं के सशक्तीकरण में वितीय समावेशन में जनसंचार माध्यमों की भूमिका एवं उनके प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

कमलेश मीना*

परिचय

सशक्तीकरण एक व्यापक शब्द है। जिसमें अधिकारों और शक्तियों का स्वाभाविक रूप से समावेश होता है। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जिसके लिए समाज में आवश्यक कानूनों, सुरक्षात्मक, कल्याणत्मक या उनके सुचारू क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का होना आवश्यक हैं। विश्व में महिलाओं की प्रस्थिति, भूमिका और अधिकारों में वृद्धि की सफलता तथा महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, संवैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समाज, समुदाय एवं राष्ट्र की साँस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्ता, आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बी और विकासोत्थान में उत्तरोत्तर सहभागिता, उत्तरदायित्व एवं सक्षमता को ही महिला–सशक्तीकरण कहते हैं।

पैलिनीथूराई के शब्दों में देखते है कि "महिला सशक्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के बराबर मान्यता दी जाती है।"

लीला मीहेनडल के अनुसार "महिला सशक्तीकरण – निड़रता, सम्मान और जागरूकता तीनों शब्द महिला सशक्तीकरण में सहायक है। यदि डर से आजादी महिला सशक्तीकरण का पहला कदम है, जो तेजी से न्याय से उसकी आवश्यकता पुरी हो सकेगी। यदि महिलाओं को

---

* शोधार्थी, एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान।

~ The chapter is based on the paper presented in *"**International Conference on Modern Management Strategies, E-commerce and Global Economy-In Indian Context**" Organized by **Inspira Research Association (IRA),** Jaipur **& LBS PG College,** Jaipur, Rajasthan, India. **02-03 February, 2018.***

वास्तव में न्याय दिलाना है तो उनकी जाँच–परख प्रणाली को और अधिक कार्यकुशल बनाना होगा तथा अराजकता फैलाने वाले तत्वों को सजा देनी होगी।"

महिला–सशक्तीकरण मुख्य रूप से नीति निर्माण, निर्णय, प्रक्रिया एवं समावेशी विकास में महिलाओं में की सहभागीदारिता को सुनिश्चित करता है।

सशक्तीकरण एक बहुआयामीसतत् प्रक्रिया है जो कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासों से आमजन में जागरूकता बढ़ाकर तथा समन्वित प्रयास से ही सम्भव है।

सशक्तीकरण में शिक्षा एक समहत्वपूर्ण साधन है।

सशक्तीकरण एक लक्ष्य है और संयोजित विकास की आवश्यकता दशा भी।

जनसंचार का उल्लेख करते ही हमारा ध्यान मुद्रण, पत्र (डाक) दूरभाष, टेलीग्राफ, रेड़ियो आदि संचार के साधनों की ओर जाता हैं ये सभी उपकरण शताब्दियों से चले आ रहे हैं तथा यह सभ्यता या विज्ञान के विश्वास का परिणाम है। जिस तरह परिवहन या यातायात के आधुनिक साधनों–रेल गाडियों, मोटरकार, वायुयान, जलपोतों से मनुष्य लाभ उठाते हैं, इसी तरह संचार के साधन भी हमारी सहायता करते हैं।

जनसंचार के साधन, विचारो, सूचनाओं, उत्प्रेरक संकेतो के आदान प्रदान से ही हमारे समग्र जीवन, मूल्यों और संस्कृति की संरचना होती है।

जनसंचार एक माध्यम है जिसके द्वारा संदेश, सूचना एवं विचार आम लोगों तक पहुँचते है। जनसंचार की गति अब वैश्विक स्तर की है। कुछ ही क्षणों में सभी प्रकार के संदेश, सूचनाएँ एवं विचारों को सर्वत्र प्रेषित किया जा सकता है। जब जनसंचार की गति इतनी तीव्र हो गई है तो सामाजिक आन्दोलन भी न्यूनतम समय में अपना प्रभाव प्रकट कर देते है।

- **"जन"**

जन की अवधारणा अर्थात् 'जन' शब्द का अर्थ बड़ी संख्या में एकत्र लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। यह अंग्रेजी शब्द 'मास' (Mass) के पर्याय रूप में जाना जाता है। 'मास' शब्द के पर्याय रूप में दोनों के कारण आधुनिक संदर्भो में 'जन' शब्द को आम समान के लोग तथा जीवन्त सामाजिक शक्ति के अर्थो के रूप में देखा जा सकता है।

- **"संचार"**

संचार मानव जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

एशले फ्लाऍड का मानना है कि "व्यक्ति कुछ समय तक भूख और प्यास सहन कर सकता है, परन्तु यदि उसे पराधीन करके संप्रेषण करने से रोक दिया जाए तो उसे 'भावात्मक धक्का' सा लगेगा। उस स्थिति में भी अंतःसंचार चलता रहेगा। उसे किसी तरह से रोका नहीं जा सकता"इसलिए संचार के बिना व्यक्ति या जीवन मृत अवस्था के समान ही होता है यदि संचार को जीवन का पर्याय कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संचार एक ऐसी जटील प्रक्रिया का परिणाम है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोगों के बीच अर्थपूर्ण जटिल संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। ये संदेश संप्रेषक और प्रापक के बीच सामंजस्य और समझदारी बनाते है।

जनसंचार की परिभाषा

- राइट सी.आर. :– "जनसंचार विस्तृत विजातीय और अज्ञात संचार से अप्रत्यक्ष जुडा है।"
- ओटो एव. लारसन :– "जनसंचार बिखरे हुए जनों को उन प्रतीको का प्रेषण है जो अवैयक्तिय साधनों से अज्ञात गंतत्य को लेने जाते है।"
- जांडेन :– "संगठित स्रोत द्वारा विस्तृत विजातीय, बिखरी हुई जनता को तकनीकी माध्यम से जो संदेश प्राप्त होता है, उसे जनसंचार कहते है।"
- फ्रेंकलिन :– "जनसंचार को संचार के उस माध्यम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बिखरे हुए विशाल जनसमुदाय के सदस्यों के पास एक साथ संदेश पहुचाने में समर्थ है।"

जनसंचार के विविध माध्यम

प्रिंट माध्यम :– विभिन्न जनसंचार माध्यमों में प्रिंट माध्यम आधुनिक जनसंचार माध्यमों की अपेक्षा सबसे प्राचीन है।

- **समाचार–पत्र/पत्रिकाएँ :–** समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का इतिहास अन्य संचार माध्यमों से कही अधिक पुराना है। आज भी विश्व की अनेक महत्वपूर्ण सूचनाये इन पत्र–पत्रिकाओं के रूप में इतिहास का जीवन्त दस्तावेज बन चुकी है।
- **पुस्तकें :–** समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के अतिरिक्त पुस्तकों का भी जनसंचार में विशिष्ट योगदान है। पुस्तके व्यक्ति की मित्र होती है।
- **समाचार–समितियाँ :–** समाचार–समितियाँ या समाचार एजेसियाँ प्रत्येक समाचार–पत्र के लिए समाचारों को प्राप्त करने का सबसे सशक्त और महत्वपूर्ण माध्यम होती है।
- **इश्तेहार :–** प्रिंट माध्यमों में इश्तेहार की उपयोगिता को भी नकारा नहीं जा सकता है। यह एक प्रकार से विज्ञापन ही होता है।
- **पर्चे :–** मुद्रित माध्यमों में पर्चे का भी अत्यन्त महत्त्व है। कई बार क्षेत्र में संस्था या संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में पर्चे छपवाए जाते है।

इलैक्ट्रांनिक माध्यम :– आधुनिक तकनीको की सहायता से संचार के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक इलैक्ट्रांनिक माध्यमों के द्वारा प्रगति की है।

- **रेडियों :–** आज भले ही हम टेलीविजन और इंटरनेट की आंधी में रेडियों जेसे जनसंचार के सशक्त माध्यम को भुला चुके है लेकिन रेडियों की उपयोगिता और महत्व वही लोग जानते है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और गांव देहातों में रहते है।
- **टेलीविजन :–** जहां रेडियों केवल श्रव्य माध्यम है वहीं टेलीविजन श्रव्य के साथ–साथ दृश्यों को भी प्रसारित करता है।
- **फिल्म :–** यहा छायाचित्र गतिशील चित्रों के आविष्कार का श्रेय थामस ऐड़िसन को दिया जाता है। उन्होंने भारत में सन् 1888 में इसका आरम्भ किया।

- **वीडियों–ओडियो :–** वीडियों पत्रकारिता पर रेडियों तथा टेलीविजन की तरह सरकार का नियंत्रण नहीं है। यह पुरी तरह से एक निजी माध्यम है। जिसके द्वारा जनता या मनोरंजन या ज्ञानवर्धन किया जाता है।
- **कम्प्यूटर और इंटरनेट :–** आज के समय में कम्प्यूटर ने संचार के क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है।

बाह्य संचार माध्यम

परम्परागत मीडिया के साधन/माध्यम विश्व की सबसे पुरानी संचार प्रणाली के रूप में सीधे जनता तक पहुंचने का एक विशिष्ट माध्यम बाह्य संचार ही रहा है।

- **प्रदर्शनी और मेले :–** पुरानी संचार प्रणाली में सबसे ज्यादा प्रचलित संचार पद्धति प्रदर्शनियाँ या मेले हुआ करते थे।
- **नुक्कड़ नाटक :–** नुक्कड़ नाटकों का प्रचलन वर्षो से होता आ रहा है। नुक्कड़ नाटकों के लिए किसी मंच या सभागार की आवश्कयता नहीं होती है, बल्कि नाट्य मण्डली के लोग किसी भी स्थान पर खड़े होकर एक दायरे में अपने नाटक को करना आरम्भ कर देते है।
- **होर्डिंग :–** यह भी एक बाह्य संचार माध्यम है जो बाजार में चौराहों और मुख्य सड़को के किनारे–किनारे अपने विशाल आकार के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
- **विज्ञापन व जन संपर्क :–** वर्तमान समय में विज्ञापन ने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है।

विज्ञापन व्यक्ति को यह आभास कराता है कि उसकी आवश्यकतानुसार कौनसी वस्तु (उत्पाद) है जो उसकी जरूरतों को पूरा करेगी और वह वस्तु उसे कहाँ और कैसे उपलब्ध होगी।

महिलाओं के सशक्तीकरण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका

महिला–सशक्तीकरण में मीडिया के साधनों अखबार, रेडियों तथा टेलीविजन का विशेष योगदान है। महिला जागरूकता हेतु दूरदर्शन में एक विशेष कार्यक्रम कक्ष बनाया गया है, जिसे लोक प्रसारण के लिए लिंग आधारित कार्यक्रम तैयार करना है। "बोल बंसतो" जैसे कार्यक्रम महिलाओं को कानूनी शिक्षा देने पर केन्द्रित हैं।

रेड़ियों द्वारा प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवाह की उपयुक्त आयु, माँ की देखभाल आदि की जानकारी प्रदान करते हैं, मीड़िया के कारण महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय की जानकारी मिलती हैं, जिसके कारण महिलाओं को न्याय प्राप्त होता है। अन्यथा ऐसी महिलाओं की आवाज कभी सुनाई नहीं देती तथा वे न्याय प्राप्त नहीं कर पाती।

इस प्रकार मीड़िया राजनैतिक, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त करने में सहयोग प्रदान करती है तथा पुरूषों के बराबर आने का अवसर देती है।

महिला–सशक्तीकरण में मीड़िया की भूमिका विगत दशकों के दौरान भारत में रेडियो तथा समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। दूरदर्शन के विस्तार ने महिलाओं को एक नई दिशा दी है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित–प्रशिक्षित महिलाओं ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नित नई उपलब्धियाँ हासिल की है।

महिलाओं जागरूकता के संदर्भ में इसी प्रकार के एक अन्य प्रयास के अंतर्गत इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा महिला अधिकारिता का एक पाठ्यक्रम महिलाओं में जागृति पैदा करने के प्रयास में संचार–प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रयास है।

राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली भी महिलाओं से जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया सहयोग करके महिलाओं को जागरूक कर रहा है। महिलाओं की यह जागरूकता उन्हें मानसिक रूप से सशक्त भी बना रही है और इसका प्रयास महिलाओं की शैक्षिक स्थिति पर भी पड़ा है।

पंचायती क्षेत्र में भी महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में रेड़ियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं रेड़ियों–कार्यक्रम पंचायत की सह विकास की चाह को अपने प्रसारण में आशातीत सफलता मिली है। रेड़ियों के द्वारा ही गैर सरकारी संगठन 'प्रिया' और उनकी सहयोगी संस्थाओं ने स्थानीय स्वशासन सशक्तीकरण के लिए 1995 से कार्यक्रम शुरू किये थे। सशक्तीकरण की दिशा में यह कार्यक्रम बिल्कुल अलग तरह की पहल है।

प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रानिक मीड़िया ने स्त्रियों के साथ हो रहे दुष्कर्म, छेड़छाड आदि की घटनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अवलोकित करके उन्हें न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त की है। इतना ही नहीं मीड़िया के द्वारा स्त्री को अपने सामाजिक–आर्थिक तथा राज्नैतिक अधिकारों व सरकारी नियम की जानकारी प्राप्त होती है।

यदि समग्र दृष्ट्रि से देखा जाये तो मीड़िया के कारण महिलाओं के विकास में प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है और वे विभिन्न क्षेत्रों में आगे जा रही है और पुरूषों के समान विभिन्न क्षेत्रों में सहभागी बन रही है।

जनसंचार का वर्तमान परिदृश्यों में बढ़ता महत्व

वर्तमान में जनसंचार माध्यमों का समाज के बदलते परिवेश में अतीव महत्त्व एवं उपादेयता बढ़ती ही जा रही है। इसी कारण से जनसंचार के साधनों का अध्ययन समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है। मानवीय क्रियाएँ और अन्तक्रियाएँ ही सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का आधार होती है। अर्थात् मानवीय क्रियाओं और अन्तक्रियाओं को संचार माध्यम प्रभावित करते है। इसमें परिवर्तन भी जा सकते है। मानवीय व्यवहारों को संचार के साथन प्रभावित कर रहे है।

हमारा देश सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। एक स्थान पर घटित होनेवाली घटना समूचे देश को प्रभावित कर देती हैं इसका कारण केवल संचार माध्यम हैं संचार माध्यम भावनाओं को उकसाने में भी अपनी भूमिका निभाते है और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ करने के लिए संदेश और समाचार प्रेषित करते है। देश स्वतंत्रता आन्दोलन चला था उस समय सम्पूर्ण

देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने में संचार–साधनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। समसामयिक राष्ट्रहित विषयों पर भी कई बार वैचारिक भिन्नताएँ देखने को मिलती है। संचार साधनों से आमजन भी अपनी धारणाओं को बदलकर उचित दिशा में परिवर्तन का निर्णय लेते है।

संचार साधनों की भूमिका का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ नकारात्मक विचार, समाचार या संदेश संचार माध्यमों से प्रसारित होते है, तो दूसरी तरफ सकारात्मक विचार, समाचार या संदेश भी प्रसारित होते है। सामाजिक–परिवर्तन तो दोनों ही स्थितियों में आता है। क्योंकि सामाजिक–परिवर्तन अवश्यभावी है अतः संचार के महत्व को भी देश, काल और परिस्थिति के आधार पर समझा जाता है।

जनसंचार एवं सामाजिक–परिवर्तन

संचार मानव समाज की उत्पत्ति के बाद सामाजिक अन्तक्रियाओं एवं सामाजिक सम्बन्धों के आधार पर विकसित होने वाली एक प्रक्रिया है।

मानवीय अन्तसम्बन्धों के विविध स्वरूपों के साथ जनसंचार के साधनों का विकास होता रहा है, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जनसंचार के साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर इन्हें अत्यधिक उन्नत कर दिए है।

यदि संचार के साधनों के विकास का क्रम देखे तो ज्ञात होता है कि सबसे पहले छापाखाने (प्रिंटिग प्रेस) का आविष्कार हुआ। इसके द्वारा संदेश, सूचना एवं विचार को पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के माध्यम से आमजन तक पहुंचाने के प्रयास हुए है। इसे प्रिंट मीड़िया कहा जाता है। इसमें भी तकनीकी के विकास के साथ अनेक परिवर्तन हुए है। आज तो छापने की तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि कम से कम समय में अधिकतम सामग्री को प्रकाशित किया जा सकता है।

प्रिंट मीड़िया के बाद इलैक्ट्रॉनिक मीड़िया है। इसके अन्तर्गत सबसे पहले रेडियों ही इलैक्ट्रॉनिक मीड़िया का साधन था, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इलेक्ट्रॉनिक मीड़िया में भी नई–नई तकनीक से नये–नये साधन विकसित कर दिये। टेलीविजन इनमें एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके बाद 21वीं सदी अपने साथ इलैक्ट्रॉनिक, कम्प्यूटर और संचार को और अधिक विकसित एवं व्यापक स्तर पर ले आई है। आज संचार के जिन साधनों का प्रयोग करते है उनमें इन्टरनेट सबसे अधिक सशक्त साधन है।

वैश्विक स्तर पर आर्थिक दृष्टि से कुछ देश विकसित है, कुछ विकासशील है और कुछ देश विकास की दौड़ में पीछे है, लेकिन संचार की दृष्टि से तो अब लगभग सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए है।

जनसंचार एक माध्यम है जिसके द्वारा संदेश, सूचना एवं विचार आम लोगों तक पहुंचते है। इसी से प्रभावित होकर लोग सामाजिक आन्दोलन के प्रति जागरूक होते है।

जनसंचार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इससे आम लोगों को वैचारिक रूप से प्रभावित किया जा सकता है। लोगों की मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों में भी परिवर्तन की अपेक्षा की जा सकती है।

मानवीय क्रियाएँ और अनक्रियाएँ ही सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन का आधार होती है। अर्थात् मानवीय क्रियाओं और अन्तक्रियाओं को संचार माध्यम प्रभावित कर रहे है। इसमें परिवर्तन भी ला सकते है। मानवीय व्यवहारों को संचार के साधनों ने प्रभावित किया है। जनसंचार के माध्यमों का महत्वपूर्ण कार्य होता है, सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना।

प्रस्तावित शोधकार्य का महत्व

वैदिक–काल में समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानित थी। कई ऋर्षि–स्त्रियों की रचनाएँ ऋग्वेद संहिता में है। बाल विवाह प्रथा नहीं थी एवं पुत्री का उपनयन संस्कार भी किया जाता था। यद्यपि वैदिक काल में महिला तथा पुरूष समानता के पर्याप्त संकेत शिक्षा, पक्ष उपनयन–संस्कार सम्बन्धी कार्यो में मिलते है। किन्तु उत्तर वैदिक–काल में महिला शनैः शनैः स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई।

सामान्यतः यह स्वाभाविक जिज्ञासा समाजशास्त्र के शोधार्थी के रूप में उठ़ती है कि विश्व के विभिन्न समाजों में भिन्न–भिन्न युगों में महिला, पुरूष असमानता के प्रतिमान कैसे उदित हुए। उपर्युक्त सभी का समाजशास्त्रीय–वस्तुनिष्ठतापरक शोध आवश्यक है। प्रस्तावित शोध में जयपुर जिले में महिलाओं की स्थिति का वर्तमान भारतीय समाज में सशक्तीकरण के बदलते प्रतिमानों के संदर्भ में समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जायेगा।

प्रस्तावित शोध का आधार महिला–सशक्तीकरण के बदलते प्रतिमान व महिलाओं की स्थिति में होने वाले परिवर्तन हैं यद्यपि वर्तमान में भारतीय समाज में संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा सामाजिक संरचना में सभी क्षेत्रों में सहभागिता के अवसर प्राप्त है। किन्तु सामान्य जीवनचर्या में महिला की पुरूषों पर निर्भरता, आर्थिक–आश्रितता, वैचारिक–अवलम्बन तथा पुरूषों द्वारा शोषण का अवलोकन किया जा सकता है। प्रस्तावित शोध में परम्परागत–प्रतिमान, सामाजिक व सांस्कृतिक–प्रतिमानों, धार्मिक–मान्यताओं का महिला–सशक्तीकरण के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा।

भेदभाव को व्यावहारिक रूप में इस प्रकार भी देखा जा सकता है कि एक समूह के सदस्य इन अवसरों के लिए अयोग्य ठहरा दिए जाते है जो दूसरों के लिए खुले होते है। भेदभाव लब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढिवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते है। आज विश्व में कोई भी देश भेदभाव से मुक्त नहीं है।

प्रस्तावित शोध में बदलते सामाजिक परिवेश में महिला–सशक्तीकरण के रूप में महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक स्थितियों का तथ्यपरक अध्ययन जो विशेष रूप से परम्परागत व आधुनिक परिवेश से सम्बन्धित अध्ययन जयपुर जिले में परिवर्तन की विभिन्न प्रकृतियों पर आधारित है अर्थात् प्रस्तावित शोध अध्ययन जयपुर जिले में "महिलाओं के

सशक्तीकरण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका एवं उनके प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" पर केन्द्रित है।

वर्तमान शोध का मुख्य महत्व महिला–सशक्तीकरण बदलते प्रतिमानों के कारण तथा महिलाओं की परम्परागत प्रस्थिति व भूमिका में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश में (आलोक) लाना है। इसी के साथ ही महिलाओं में सामाजिक, शैक्षणिक व राजनैतिक सक्रीयता, सामाजिक–अन्तःक्रिया आदि का विवेचन करना है। वर्तमान शोध का महत्व व प्रांसगिकता निम्नानुसार स्पष्ट है।

- अध्ययन की सार्थकता :– प्रस्तावित अध्ययन में वर्तमान भारतीय समाज में महिला–सशक्तीकरण की स्थितिकरण की स्थिति का विवेचन किया जावेगा। तथा उनके सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्थिति को आधार बनाया जाएगा।
- आज समकालीन समाजों में संक्रमणकारी प्रवृत्तियाँ भारतीय समाज में विभिन्नता एवं विघटन के रूप में विभिन्न समाजों में देखी जा सकती है। आज नवीन चुनौतियाँ सामने आ रही है, महिला–सशक्तीकरण के पारम्परिक मूल्यों का पतन होने के कारण आपसी सम्बन्धों में बिखराव, नारी के सम्मान में गिरावट इत्यादि को उपर्युक्त प्रस्तावित अध्ययन में आधार बनाया जायेगा।

  प्रस्तावित अध्ययन के द्वारा परिवर्तन के इस काल में स्त्री व पुरूष के मध्य सामंजस्य व भागीदारिता के बदलाव व तत्सम्बन्धी कारको की खोज की जाकर महिला–सशक्तीकरण में स्थिरता व परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट होगी।
- सैद्धान्तिक योगदान :– प्रस्तावित अध्ययन महिला–सशक्तीकरण के रूप में समाज में महिलाओं की स्थिति पर आधारित है। उपर्युक्त प्रस्तावित अध्ययन में महिलाओं की भारतीय समाज में स्थिति व बदलती हुई परिस्थिति अन्य भूमिकाओं को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आधुनिकता के संदर्भ में स्पष्ट करेगा।

प्रस्तावित शोध अध्ययन जिसका शीर्षक जयपुर जिले में "महिलाओं के सशक्तीकरण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका एवं उनके प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" है। जो महिला–सशक्तीकरण पर केन्द्रित है तथा उपर्युक्त प्रस्तावित अध्ययन कतिपय निश्चित निष्कर्ष के आधार पर एक महत्वपूर्ण तथा सार्थक शोध अध्ययन हो सकेगा जिसकी विषयगत उपादेयता व अकादमिक महत्व होगा।

प्रस्तावित शोधकार्य ""महिलाओं के सशक्तीकरण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका एवं उनके प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" अनेक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण व आधार बनाकर "महिलाओं के सशक्तीकरण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका एवं उनके प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" विषय का सम्यक अनुशीलन करके उस पक्ष का मूल्यांकन करना हैं जिससे भारतीय समाज में महिला–सशक्तीकरण की स्थिति से सम्बन्धि प्रतिमानों व आधारों को प्रकाश में लाना है।

प्रस्तावित शोधकार्य के आधारभूत उद्देश्य

- अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में जनसंचार माध्यमों की भूमिका से पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन।
- जनसंचार माध्यमों से महिलाओं में आई जागरूकता को जानना।
- महिलाओं के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं में प्रशासन तथा जनसंचार माध्यमों की भूमिका का विश्लेषण।
- महिलाओं को शिक्षित करने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का विश्लेषण।
- जनसंचार माध्यमों के प्रभावस्वरूप महिलाओं से सम्बन्धित कानून और अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन।
- महिलाओं के सशक्तीकरण से वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन।

प्रस्तावित विषय पर पूर्व में हुए शोधकार्यो का पुनरावलोकन

अकादमिक जगत में महिलाओं से सम्बन्धित समाजशास्त्रीय संदर्भ में कई अध्ययन किये गये हैं उपर्युक्त अध्ययनों में महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न पक्षो, दृष्टिकोण व प्रतिमानों के आधार पर सार्थक व शोधपरक एवं वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष–साहित्य प्रकाशित हुआ है। उपर्युक्त अध्ययनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है–

इसमें विभिन्न प्रकार के शोध पत्रों, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय रिर्पोट, पिछले शोध अध्ययन, अखबार, इन्टरनेट आदि से सहायता ली है।

साहित्य–समीक्षा

- **सारस्वत, डॉ. ऋतु** (2017) स्त्रीविहीन परिवार हो तो क्या पुरूष अस्तित्व बचेगा :– लेखक ने इसमें बताया है कि विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ महिलाएँ यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं होती। अपने ही घर से लेकर बाहर तक, महिलाओं के प्रति घोर अंसवेदनशीलता बरती जाती है। विभिन्न रिपोर्ट्स और सर्वेक्षण भी यही खुलासा करते है और इसमें यह भी बताया गया है कि स्त्री अगर अपनी संवेदनहीनता त्यागते हुए कुछ पलो के लिए कल्पना करें कि अगर उसका परिवार स्त्रीविहीन हो जाए तो क्या उसका अस्तित्व शेष बचेगा। इस प्रश्न का उत्तर ही सभी समाधानों का मूल मन्त्र है।
- **सारस्वत, डॉ. ऋतु** (2017) पुरूषवादी मानसिकता बदने की जरूरत :– इनके अनुसार महिलाओं को दफ्तर की तरफ भागते देख हम यह सोचने लगते है कि महिलाएँ उन्नती कर रही है परन्तु वास्तविकता में ये वे महिलाएँ है जो परिवार के आर्थिक उत्तरदायित्वों को बांटने के लिए घर से निकली है। महिलाओं को विश्व अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना ही नहीं जा रहा और पुरूषवादी मानसिकता अर्थ व्यवस्था के विभिन्न संसाधनों को पूर्णतः अपने नियन्त्रण में रखना चाहती है।
- **सारस्वत ऋतु** (2017) महिला समानता का संघर्ष :– लेखक के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती जन्म लेना हैं कोख में खत्म होने से अगर वे बचाली जाएं, तो बेटियों को बेटों की अपेक्षा कम भोजन दिया जाता है। चाहे वह ग्रामीण

क्षेत्र हो या शहरी, शिक्षा के स्तर पर बेटे और बेटियों के बीच अंतर साफ देखा जा सकता है। स्त्री को पीड़ा, उसकी इच्छा किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। अपने लिए समानता के मार्ग पर चलने के लिए उसे हर रोज खुद ही कांटे बिछालने होगें।

- **नावरिया महेश** (2016) पंचायतीराज एवं महिला विकास (उभरते प्रतिमान) :– लेखक ने इसमें बताया है कि भारतीय समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग ग्रामीण महिलाएँ होती है। महिलाओं को सामाजिक विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए उन्हें वर्तमान राजनीति में उनकी भूमिका की व्यवस्था में सहभागी बनाया जा रहा हैं महिला कल्याण तथा उनकी बौद्धिक–आर्थिक क्षमताओं के विकास से आगे बढ़ते हुए उनहें पंचायतीराज संस्थाओं में पदाधिकारी बनाया गया है। इससे उन्हें अपने विकास की ही नहीं बल्कि अपने सामाजिक व राजनैतिक परिवर्तनों के लिए ग्रामीण विकास में सक्रीय सहभागिता की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई है।
- **हुसैन अनवर** (2015) महिला संगठन एवं समाज :– इसके अनुसार आधुनिक समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। कैसी है। तथा कैसी होनी चाहिए। आधुनिक समाज में महिलाओं के लिए कौन–कौन से विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे है। आजादी के बाद नारी सुधारक क्या प्रयास किये गये है सरकार द्वारा राजनीति में महिलाओं की क्या स्थिति है तथा कृषि–विकास में महिलाओं का योगदान कितना है तथा पत्रकारिता के द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारा गया है क्या। टेलीविजन क्षेत्र में नारीयों के लिए नौकरियों के कितने अवसर है। पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति को द्र्शाया गया है और आधुनिक समाज में नारी की शिक्षा कैसी है तथा आधुनिक समाज में नारी का योगदान कितना रहा है। इस बात से अवगत कराया गया है।
- **अजित एन.पी. अब्दुल** (2015) भारत में महिला सशक्तीकरण :– लेखक के अनुसार इस किताब में यह बताया गया है कि भारत में महिला–सशक्तीकरण को बढ़ाने में राजनैतिक, आर्थिक, शिक्षा, कृर्षि और आदि का अहम योगदान रहा है, और साथ ही में एन.जी.ओ. का भी अहम योगदान रहा है, और इसमें यह भी बताया गया है कि स्वास्थ्य–स्थिति और नई–नई चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया जाये और इसमें मानव तस्करी को भी एक चुनौती बताया है।
- **निर्वाण डॉ. मैना** (2014) पंचायतीराज एवं महिला सशक्तीकरण :– लेखक ने इसमें बताया है कि पंचायत राज में महिलाओं की कैसी सिथती है तथा महिला–सशक्तीकरण की क्या अवधारणा है। पंचायतीराज में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है। पंचायतीराज में महिलाओं की स्वास्थ्य परियोजनाओं के बारे में बताया गया है। राजस्थान में पंचायतीराज में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण को बताया गया है। महिला–सशक्तीकरण की यथार्थता तथा महिला–सशक्तीकरण हेतु सुझाव दिये गये है।

- **मुहम्मद नईम** (2014) महिला–सशक्तीकरण : चुनौतियाँ एवं समाधान :– मुहम्मद नईम जीने इसमें महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, अस्वस्थ्य सोच का परिचय दिया है। इसमें महिला–वर्ग के प्रति कुछ स्थितियाँ दर्शाई है।

  जैसे–कन्या भ्रूण हत्या, उनकी दशा एवं दिशा और भारतीय समाज में स्त्रियों की समस्याये और उनका समाधानों के बारे में बताया है। इसमें अनुसूचित जाति, जन–जाति, पिछड़ा जाति और अल्प–संख्यक जातियों की महिलाओं की समस्याओं को बताया गया है, और उन्हें इन समस्याओं से आजादी दिलाने के लिये बताया है।
- **मिश्ररोहित** (2011) समान कार्य एवं महिला–सशक्तीकरण :– लेखक के अनुसार इस किताब में यह बताया गया है कि दुनिया में लगभग आधी जनसंख्या या प्रतिनिधित्व महिलाओं द्वारा किया जाता है। परन्तु वे समाज में पाए जाने वाले संसाधनों के आधे का भी लाभ नही उठा पाती है, यद्यपि सरकारी स्तर पर विधिक प्रावधानों की कमी नहीं है परन्तु फिर भी उनकी पहुँच महिलाओं तक नहीं है। सामाजिक विाान के अन्तर्गत अध्ययन किया जाने वाला समाज कार्य विषय इसमें मददगार हो सकता है। क्योंकि उसकी अपनी कुछ विशिष्ट प्रणालियाँ है जिनके माध्यम से वह समाज में विभिन्न वर्गो के कल्याण के मार्ग में प्रकाश दिखाने का प्रयास करता है। प्रस्तुत पुस्तक समाज कार्य की महिलाओं के सशक्तीकरण में भूमिका का वर्णन करती है। पुस्तक में समाज कार्य का अर्थ एवं दर्शन, भारत में समाज कार्य, समाज में महिलाओं की समस्याओं के साथ–साथ महिलाओं से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रम आदि अध्यायों का समावेश उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया है साथ ही विश्व में महिला अधिकारों की स्थिति या वर्णन भी किया गया है।
- **आहूजाराम** (Author 2000, Reprinted 2010) लेखक के अनुसार समस्याओं के विश्लेषण में संरचनात्मक व उप–सांस्कृतिक कारकों के महत्त्व पर बल दिया गया है। आंतकवाद, जनसंख्या विस्फोट, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, साम्प्रदायिक हिंसा, मादक द्रव्यों का सेवन, निर्धनता आदि का नया आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है।
- **खण्डेला मानचन्द्र** (प्रथम संस्करण–2008) महिला–सशक्तीकरण सिद्धान्त एवं व्यवहार :– लेखक के अनुसार इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस समाज में स्त्री को पुरूष के समान दर्जा मिला है, वहाँ विकास, सम्पन्नता, सहजता व सकारात्मकता का वातावरण रहा है, जब भारत 'सोने की चिड़िया' और 'विश्व का धर्म गुरू' हुआ करता था तब स्त्री और पुरूष हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते थे। हमारे राजनीतिक गुलामी और आर्थिक पिछड़ेपन के दौर में समाज में महिलाओं को उत्पीड़न उपेक्षा, रूढ़िवादिता, अशिक्षा और पुरूष अंहकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। महिलाओं के सशक्तीकरण में महिला आयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- **रत्तू डॉ. कमला** (2006) मीडिया क्राँन्ति और महिलायें :– इन्होंने यह स्पष्ट किया है कि महिलाओं को संचार के प्रति जागरूक होना चाहिए और बदलते परिवेश के अनुसार

जागरूक रहना चाहिए। इसमें संचार के प्रति महिलाओं की भागीदारी सभी के समान होनी चाहिए, और इसके द्वारा महिलाओं का सामाजिक परिदृश्य हो, पश्चिमी मीड़िया में और उसकी संस्कृति में महिला–दर्शन कैसा हो और सूचना–क्राँन्ति में महिलाओं की बदलती प्रकृति बताया गया है।

- **शर्मा डॉ. राजेश कुमार** (2005) महिला विकास एवं राजकीय योजनाएँ :– इनके अनुसार अर्थ प्रधान भौतिकवादी युग में महिला विकास का अध्ययन भी अधुरा रहेगा यदि उसके केन्द्र में विकास के प्रमुख आधार स्तम्ब–आर्थिक पक्ष को नहीं रखा गया। क्योंकि महिलाओं की आर्थिक–स्थिति का कमजोर अथवा सुदृढ़ होना भी महिला विकास का एक प्रमुख सूचक है। चूंकि राजकीय योजनाएँ महिलाओं को व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामूहिक एवं सामाजिक तथा राजनैतिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए सर्व प्रथम आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाती है। अतः "महिलाओं का आर्थिक सुदृढ़ीकरण एवं राजकीय योजनाओं" को इस पुस्तक के केन्द्र में रखा गया है।
- **गुप्ता, डॉ. कमलेश कुमार** (2005), महिला–सशक्तीकरण :– सहायक आचार्य समाज शास्त्र विभाग, राजकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय, अलवर ने सन् 2005 में लिखित अपनी पुस्तक शीर्षकीय "महिला–सशक्तीकरण में राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला कोष , महिलाओं की सामाजिक–परिस्थिति, नारीवाद, साक्षरता, ग्रामीण महिलाओं का विकास, शैक्षिक–विकास, पितृ–सतात्मक परिवार, समान नागरिक संहिता में महिलाओं की स्थिति, महिला–आरक्षण, सामाजिक–लिंगभेद, लैंगिक समानता के लिये चलाये गये आन्दोलनों तथा महिलाओं में व्याप्त धार्मिक आस्था एवं प्रचलित अन्धविश्वासों, महिला एवं बालकों के विकास के लिए कार्यरत खाद्य एवं पोषाहर मण्डल, महिला सम्बन्धित श्रमिक कानून, महिलाओं के संरक्षण एवं विकास सम्बन्धित देश एवं प्रदेश में चलाये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं तथा लेखक ने अन्त में अपनी पुस्तक में खासकर महिला–सशक्तीकरण व महिला उत्थान के सम्बन्ध में संचालित कि जा रही अनेक योजनाओं को बारीकी से दिग्दर्शित करने की भरपुर चेष्टा की हैं लेकिन लेखक ने महिलाओं के आर्थिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में कुछ भी प्रकाश नहीं डाला है। इस पुस्तक में लेखक ने स्वाधीनता के पश्चात् महिलाओंके सशक्तीकरण लाने के लिये भारत सरकार एवं विभिन्न प्रान्तों की सरकारों द्वारा अब तक जो सराहनीय प्रयास किये गये है, उनको बिन्दूवार क्रमशः सांवेधानिक व्यवस्थायें, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, महिला अधिकारिता वर्ष, महिलाओं में शिक्षा प्रसार, महिलाओं के आर्थिक जीवन में स्वालम्बी प्रवृत्ति, पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि, राजनैतिक–जागरूकता, महिलाओं के सुरक्षात्मक विकास सम्बन्धी संक्षेप में विभिन्न कानूनों तथा ग्रामीण समाज में महिलाओं द्वारा निभाई जा रही भूमिकाओं तथा महिला–सशक्तीकरण द्वारा किये जा रहे प्रयासों के विभिन्न प्रभाव बिन्दुओं को यथास्थान वर्णित किया है।

- **द्विवेदी राकेश** (2005) महिला–सशक्तीकरण चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ :– लेखक ने अध्ययन किया और पाया कि महिलायें समाज में सशक्त कैसे हो और सैद्धान्तिकपक्षों में महिलाओं का योगदान बेहतर हो और स्त्रियों को न्याय उनके आयाम और सृजनात्मक एवं विकास के परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारी की चुनौतियां और रणनीतियाँ समक्ष हो। इसमें लिंग–भेद, नारी शक्ति, उन्नति की और बढता नारी कदम, महिलाओं की स्थिति एवं समाज न्यायी और विधिक–प्रयत्नों के दायरे में महिला–सशक्तिकरण को बढावा देना।
- **रामानम्बा एम.वी.** (2005) मीडिया और महिला विकास :– लेखक ने इस में बताया है कि समाज में महिलाओं की भूमिका क्या होती है, कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए। महिलाओं का समाज में स्तर पुरूषों के समान होना चाहिए और समाज में अपने अपने आपको और अपने विचारों को सभी के समान महिलाये रख सके।

अनुसन्धान अन्तराल :– इस अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तीकरण मे जनसंचार माध्यमों की भूमिका एवं उनके प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है। इसमें कोई संकोच नहीं की यह अध्ययन एक विशाल क्षेत्र में फैला है,परन्तु इसका विश्लेषण एक सीमित क्षेत्र, महिलाओं के सशक्तीकरण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका एवं उनके, प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय जयपुर जिले के संवर्ण अध्ययन है।

इस अध्ययन में एक तुलनात्मक विश्लेषण, महिला–सशक्तीकरण और इसके समाजशास्त्रीय प्रभावों का अध्ययन है। इस की विधियों या प्रस्तुती की शैलियों और इसकी परिस्थितियां जिसमें महिला–सशक्तीकरा शामिल हैं महिलाओं के सशक्तीकरण पर अध्ययन और इस क्षेत्र में इस क्षेत्र का अध्ययन करना बाकी है।

प्रमुख परिकल्पनाएँ :– प्रस्तावित शोधकार्य "महिलाओं के सशक्तीकरण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका एवं उनके प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" अनेक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है जिससे सम्बन्धित प्रमुख उपकल्पनाएँ निम्नानुसार है–

- महिलाओं के सशक्तीकरण में जनसंचार माध्यमों ने प्रभावी भूमिका का निर्वाहन किया है।
- महिलाओं की सामाजिक स्थिति के सुधार में जनसंचार माध्यमों की भूमिका रही है।
- जनसंचार के सम्प्रेषण माध्यमों में सोशल मीड़िया एक सफल माध्यम है, महिलाओं में सशक्तीकरण लाने में।
- सशक्तीकरण के माध्यमों का भावात्मक और वैज्ञानिक पक्षों का प्रयोग सम्प्रेषण माध्यम है।

शोध पद्धति

प्रस्तावित शोधकार्य का मुख्य उद्देश्य जयपुर जिले को आधार बनाकर "महिलाओं के सशक्तीकरण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका एवं उनके प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" विषय का सम्यक अनुशीलन करके उस पक्ष का मूल्यांकन करना है। जिससे भारतीय समाज में महिलाओं के सशक्तीकरण विषय से सम्बन्धित प्रतिमानों व आधारों को प्रकाश में लाना

है। इस हेतु प्रस्तावित शोधकार्य की अध्ययन–पद्धति, अध्ययन क्षेत्र व अध्ययन–इकाइयों का प्रतिचयन निम्नानुसार किया जायेगा

प्रस्ताविक शोधकार्य का अध्ययन–क्षेत्र जयपुर जिले में जयपुर जिले व उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है। जयपुर नगर में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं, शिक्षिकाओं व विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं का अध्ययन किया जायेगा। इसी प्रकार जयपुर नगर के आस–पास के ग्रामीण–क्षेत्र में सशक्त महिलाये व असशक्त महिलाओंका चयन किया जायेगा।

उत्तरदाताओं का चयन जयपुर जिले व जयपुर जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत लोगों में से किया जायेगा। इसके लिए उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श–प्रणाली (Objective-Oriented Sampling Method) निम्न स्तरो पर प्रतिदर्श/न्यादर्श/निदर्शन (Sample) का चयन किया जायेगा।

- जयपुर जिले में अध्ययनरत महिलाओं, कार्यरत शिक्षिकाओं व विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत 200 महिलाओं का चयन किया ।
- जयपुर जिले में अध्ययनरत महिलाओं, कार्यरत महिलाओं व विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत 200 महिलाओं का चयन किया ।

अध्ययन–प्रविधियाँ :– प्रस्तावित शोधकार्य में तथ्य–संकलन हेतु प्राथमिक व द्वितियक स्त्रोतों का उपयोग किया अतः अध्ययन में प्राथमिक व द्वितीय दोनों प्रकार के समंको का संचलन किया

- प्राथमिक संमकों का संकलन करने के लिए प्रश्नावली, अनुसूची, व्यक्तिगत जाँच, साक्षात्कार का अवलोकन किया
- द्वितीयक संमकों का संकलन करने के लिए संगठनों की वार्षिक रिर्पोट, कार्यालय–रिकार्ड, पत्रिकायें, समाचार–पत्र, इन्टरनेट वेवसाइटो की सहायता से प्राप्त किया

प्रस्तावित शोधकार्य 'महिलाओं के सशक्तीकरण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका एवं उनके प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन' विषय में मुख्य उद्देश्य को दृष्टिगत रखा गया है। इस शोध में शोधकर्ता द्वारा जितना संभव हो अधिक संदर्भ संकलित किये जायेगे तथा उन्हें एक साथ तर्क सम्मत क्रम में आयोजित किया जायेगा और उनके आधार पर समन्वित करके एक चिन्तन प्रसूत शोध के रूप में विकसित किया जायेगा। इस कार्य के लिए मूल तथ्यों के आवश्यक व उपयुक्त संमक–विश्लेषण की सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग किया ।

निष्कर्ष

समाज में महिलाओं की भूमिका क्या होती है, कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए। महिलाओं का समाज में स्तर पुरूषों के समान होना चाहिए और समाज में अपने अपने आपको और अपने विचारों को सभी के समान महिलाये रख सके। महिला विकास का अध्ययन भी अधुरा

रहेगा यदि उसके केन्द्र में विकास के प्रमुख आधार स्तम्भ–आर्थिक पक्ष को नहीं रखा गया। क्योंकि महिलाओं की आर्थिक–स्थिति का कमजोर अथवा सुदृढ़ होना भी महिला विकास का एक प्रमुख सूचक है। चूंकि राजकीय योजनाएँ महिलाओं को व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामूहिक एवं सामाजिक तथा राजनैतिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए सर्व प्रथम आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाती है। परन्तु वे समाज में पाए जाने वाले संसाधनों के आधे का भी लाभ नही उठा पाती है, यद्यपि सरकारी स्तर पर विधिक प्रावधानों की कमी नहीं है परन्तु फिर भी उनकी पहुँच महिलाओं तक नहीं है। सामाजिक विाान के अन्तर्गत अध्ययन किया जाने वाला समाज कार्य विषय इसमें मददगार हो सकता है। क्योंकि उसकी अपनी कुछ विशिष्ट प्रणालियाँ है जिनके माध्यम से वह समाज में विभिन्न वर्गो के कल्याण के मार्ग में प्रकाश दिखाने का प्रयास करता है। लिंग–भेद, नारी शक्ति, उन्नति की और बढता नारी कदम, महिलाओं की स्थिति एवं समाज न्यायी और विधिक–प्रयत्नों के दायरे में महिला–सशक्तिकरण को बढावा देना।

संदर्भ ग्रंथ सूची

⇒ सारस्वत, ऋतु, 2017, महिला समानता का संघर्ष जनसत्ता।

⇒ सारस्वत, डॉ. ऋतु, 2017, स्त्री विहिन परिवार हो तो क्या पुरूष अस्तित्व बनेगा, राजस्थान पत्रिका, जयपुर।

⇒ सारस्वत, डॉ. ऋतु, 2017, पुरूषवादी मानसिकता बदलने की जरूरत, पात्रिकायन, राजस्थान पत्रिका, जयपुर।

⇒ सारस्वत, डॉ. ऋतु, 2017, समाजशास्त्र, कक्षा–12 लेसन–9, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, 2–2, ए, झालाना डूंगरी, जयपुर।

⇒ लिमये, संध्या, 2017, निशक्तजनों का सशक्तीकरण, योजना, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई–दिल्ली।

⇒ आयोजन विभाग, 2016,2017, आर्थिक समीक्षा, अर्थाक एवं सांख्यियी निदेशालय, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

⇒ नावरिया, महेश, 2016 पंचायतीराज एवं महिला विकास, (उभरते प्रतिमान), रितू पब्लिकेशन्स, प्लाट नं. 28, सीतारामपुरी, आमेर रोड, जयपुर।

⇒ अजिज, एन.पी. अब्दुल, 2015, भारत में महिला–सशक्तीकरण, अनमोल प्रकाशन, प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

⇒ शर्मा, जी.एल. 2015, सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

⇒ हुसैन अनवर, 2015, महिला संगठन एवं समाज, रितू पब्लिकेशन्स, प्लाट नं. 28, सीतारामपुरी, आमेर रोड़, जयपुर।

⇒ मुहम्मद नईम, 2014, महिला–सशक्तीकरण : चुनौतियां एवं समाधान, यूर्निवसिटी प्रकाशन, नई–दिल्ली।

⇒ निर्वाण, डॉ. मैना, 2014, पंचायतीराज एवं महिला–सशक्तीकरण पोस्टर पब्लिशर्स, व्यास बिल्डिंग, चौडा रास्ता, जयपुर।

⇒ गुप्ता मोतीलाल, 2013, भारत में समाज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

⇒ अरोड़ा डॉ. हरिश, 2012, जनसंचार, युवासाहित्य, चेतना मण्डल, दिल्ली।

⇒ मिश्र रोहित, 2011, समाजकार्य एवं महिला–सशक्तीकरण, न्यू रॉयल बुक कम्पनी, प्रथम तल, शाहट्रेड़ सेन्टर, 32116, बाल्मिकी मार्ग, लाल बाग, लखनऊ।

⇒ सूजस, राजस्थान–सरकार, सितम्बर, 2011 वर्ष–20 अंक–6, महिला एवं बाल कल्याण, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सचिवालय परिसर, जयपुर।

⇒ कार्यस्थलों पर भेदभाव से संघर्ष : प्रगति में बाधा, श्रम (आई.एल.ओ. की पत्रिका), संख्या 43, दिसम्बर 2011, पृष्ठ 19

⇒ राजोरा, डॉ. सुरेश चन्द्र, 2010, समकालीन भारत की सामाजिक समस्याएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

⇒ आहुजाराम, 2010, सामाजिक समस्याऐं, रावत पब्लिकेशन, सत्यम अपार्टमेन्ट, सेक्टर–3, जवाहर नगर, जयपुर।

⇒ खण्डेला मानचन्द्र, 2008,महिला–सशक्तीकरण : सद्धिान्त एवं व्यवहार, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, 807, व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयपुर।

⇒ सेतिया, सुभाष, स्त्री अस्मिता के प्रश्न, सामयिक प्रकाशन, दिल्ली, 2008, पृष्ठ 93

⇒ रामानम्बा एम.वी. 2005, मीड़िया और महिला विकास, अनमोल प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड़, नई–दिल्ली।

⇒ द्विवेदी राकेश, 2005 महिला–सशक्तीकरण चुनौतिया एवं रणनीतियां, पूर्वाशा प्रकाशन, भोपाल।

⇒ गुप्ता डॉ. कमलेश कुमार, 2005, महिला–सशक्तीकरण, बुक एनक्लेव, जयपुर।

⇒ गुप्ता कमलेश कुमार, 2005, भारतीय महिलाएँ शोषण उत्पीड़न एवं अधिकार, बुक एनक्लेव, जयपुर।

⇒ शर्मा डॉ. राकेश कुमार, 2005, महिला विकास एवं राजकीय योजनाएँ, रितू पब्लिकेशन्स, 28, सीतारामपुरी, आमेर रोड, जयपुर।

⇒ शर्मा राधेश्याम, 2004, जनसंचार, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला।

⇒ लवानिया, एम.एम. भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिशर्स, जयपुर, 2004

⇒ शर्मा, प्रज्ञा, 2001, महिला विकास और सशक्तीकरण, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर।

⇒ पैलिनीथूराई, जी, इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो.ग्स्टप्प् न. 1, जनवरी–मार्च 2001, पृष्ठ 39

⇒ मीडेनडल, लीला, अचीवमेन्ट एवं चैलेन्ज, योजना, अगस्त 2001, पृष्ठ 56

⇒ रत्तू, डॉ. कमला, 2000, मीड़िया क्राँति और महिलायें, नेशनल प्रकाशन हाउस, जयपुर एवं दिल्ली।

⇒ सहाय सुषमा, 1993, वूमन एण्ड एम्पलायमेंट, आशीष पब्लिसिंग, नई–दिल्ली।

⇒ तिवारी, अशोक, सामयिक हिन्दी निबन्ध एवं पवालेखन, प्रतियोगिता साहित्य, साहित्य भवन, सी–17, साइट् सी सिकन्दरा, औद्योगिक क्षेत्र आगरा–282007 (उ.प्र.)।

⇒ पतजंली आई.ए.एस., सामाजिक मुद्दे, 31 सत्यविहार, लालकोठी, जैन इएनटी हॉस्पिटल के पास, नई विधानसभा, जयपुर।

⇒ पतजंली, आई.ए.एस., सामाजिक मुद्दे, द्वितीय भाग, 31, पतजंली भवन, सत्य विहार, लालकोठी, जेन इएनटी हॉस्पिटल के पास, जयपुर।

.

☯☯☯

5

प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण विकास में योगदान एवं इसका प्रभाव

परमानन्द सुण्डा*

परिचय

भारत गाँवों का देश है। यहाँ कि अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अतः ग्रामीण क्षेत्र भारत के विकास को लगभग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करके ही सम्पूर्ण भारत देश का विकास किया जा सकता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना अति आवश्यक है।

ग्रामीण विकास का अभिप्राय एक ओर जहाँ लोगों को बेहतर आर्थिक विकास करना है वहीं दूसरी ओर वृहत् सामाजिक कायाकल्प करना भी है। प्रारम्भ में ग्रामीण विकास के लिए मुख्य जोर कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर दिया गया था।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसमें ''आवास'' एक मुख्य समस्या के रूप में सामने आयी। इस हेतु भारत सरकार द्वारा सन् 1985–86 में इन्दिरा आवास योजना को प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य बी.पी.एल. परिवारों की मकान संबंधी जरूरतों को पूरा करना था।

1 जनवरी 1996 में इन्दिरा आवास योजना को एक स्वतंत्र कार्यक्रम बना दिया गया। ग्रामीण आवास कार्यक्रम की कमियों को दूर करने के लिए तथा 2022 तक ''सभी को मकान'' उपलब्ध कराने की सरकार की पहल को ध्यान में रखते हुए इन्दिरा आवास योजना को 1 अप्रेल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना में पुर्नगठित कर दिया गया।

---

* शोधार्थी, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

~ The chapter is based on the paper presented in "**International Conference on Modern Management Strategies, E-commerce and Global Economy-In Indian Context**" Organized by **Inspira Research Association (IRA),** Jaipur **& LBS PG College,** Jaipur, Rajasthan, India. **02-03 February, 2018.**

वर्तमान में इस हेतु 25 जून 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ''प्रधानमंत्री आवास योजना'' का शुभारंभ किया गया। इस योजना में ''सभी के लिए आवास 2022'' का लक्ष्य रखा गया है।

उद्देश्य

- राजस्थान में ग्रामीण विकास की समीक्षा।
- राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना का मूल्यांकन।
- प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण परिवेश में सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है। शोध पत्र में द्वितीयक समकों (इन्टरनेट, पुस्तक, विभिन्न शोध पत्र, समाचार पत्र–पत्रिकाएं आदि) का प्रयोग किया गया है।

ग्रामीण विकास

भारत के संदर्भ में ग्रामीण विकास को एक प्रक्रिया/व्यूरचना तक ही सीमित कर देना भारतीय जनजीवन को सतही धरातल तक ही सीमित रखना माना जा सकता है। ग्रामीण विकास तो प्रारम्भ से ही हमारे जीवन का अंग रहा है।

भारत देश में लगभग तीन चौथाई आबादी गाँवों में निवास करती है, जो कि कृषि कार्य पर निर्भर है तथा कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अतः देश में ग्रामीण विकास के बिना राष्ट्र के विकास की कल्पना करना संभव नहीं है। इसी कारण योजनाकाल के प्रारम्भ से ही ग्रामीण विकास सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल रहा है।

भारत में भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों में भिन्नता के कारण ग्रामीण विकास के लक्ष्य को अतिशीघ्र प्राप्त करना आसान नहीं था। अतः ग्रामीण विकास को एक सतत् प्रक्रिया के रूप में देखा जाना आवश्यक है।

भारत में ग्रामीण विकास में बढ़ती हुई जनसंख्या तथा गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, संसाधनों का असामान्य बंटवारा मुख्य समस्याएँ रही है। महात्मा गाँधी के अनुसार, ''भारत का आधार एवं आत्मा गाँव है यदि भारत का विकास करना है तो गाँवों का विकास आवश्यक है।''

इन्दिरा आवास योजना (IAY)

इन्दिरा आवास योजना वर्ष 1885–86 में आरम्भ की गयी थी। इस योजना को 1996 से एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू किया जा रहा है।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को पक्का आवास उपलब्ध करवाना है।

प्रावधान

- इस योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को 35000 रू तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वालों को 38500 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है।
- इन्दिरा आवास योजना का वित्त पोषण केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75 : 25 अनुपात के आधार पर किया जाता है जो कि संघ शासित क्षेत्रों में 100 प्रतिशत है।
- इस योजना के कम से कम 60 प्रतिशत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए करना होता है।
- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम अथवा पति–पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता है।
- इस योजना के अन्तर्गत कुल निर्मित मकानों का 3 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के अपंग एवं मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है।
- इन्दिरा आवास योजना को 1 अप्रेल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून 2015 को किया गया इस योजना में ''सभी के लिए आवास 2022'' का लक्ष्य रखा गया है।

- **लक्ष्य**
  - प्रधानमंत्री आवास योजना का वर्तमान उद्देश्य वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक इन तीन वर्षों में कच्चे तथ टूटे–फूटे मकानों में रहने वाले एक करोड़ परिवारों को आवास लाभ प्रदान करना है।
  - ''सब के लिए घर'' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2021–22 तक 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **प्रावधान**
  - इस योजना में आवास निर्माण के लिए दायरे को 20 वर्गमीटर से बढ़ाकर 25 वर्गमीटर किया गया, जिससे स्वच्छ रसोई हेतु दायरा भी शामिल है।
  - इस योजना में मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की इकाई सहायता को 70 हजार रूपये बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रूपये तथा पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वालों की सहायता 75 हजार रूपये से बढ़ाकर 1 लाख 30 हजार रूपये कर दी गयी है।

- योजना की लागत का वहन केन्द्र और राज्य सरकार के बीच मैदानी क्षेत्र में 60 : 40 अनुपात के आधार पर तथा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 90 : 10 अनुपात के आधार पर किया जायेगा।
- लाभार्थियों का निर्धारण एवं चयन ग्रामसभा द्वारा सामाजिक–आर्थिक जातिय जनगणना 2011 के आधार पर किया जायेगा।
- यदि लाभार्थी चाहे तो उन्हें वित्तीय संस्थानों से 70 हजार रूपये तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- इकाई सहायता के अलावा आवास के निर्माण के लिए मनरेगा के अन्तर्गत 90 दिनों की अकुशल मजदूरी का प्रावधान है।
- लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी तरह के लाभों का भुगतान किया जायेगा जिससे लाभार्थी के खाते को उसकी 'आधार संख्या' से जुड़ा होना आवश्यक है।
- आवास पर पहला अधिकार परिवार की महिला को दिया जायेगा।

वित्तीय प्रबन्धन

प्रधानमंत्री आवास योजना की कुल लागत 130075 करोड़ रूपये है जिसमें केन्द्र तथा राज्य के अंश का निर्धारण 60 : 40 अनुपात के आधार पर किया जायेगा।

कवरेज एवं अवधि

श्रेणी–I के 500 शहरों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ–साथ जनगणना 2011 के अनुसार सभी 4041 सर्वाधिक शहरों को 3 चरणों में कवर किया गया है–

चरण–I (अप्रेल 2015 – मार्च 2017)

राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों से उनकी इच्छुकता के अनुसार

चरण–II (अप्रेल 2017 – मार्च 2019)

अतिरिक्त 200 शहरों को कवर करना

चरण–III (अप्रेल 2019 – मार्च 2022)

सभी अन्य शहरों को कवर करना

राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा

- **लक्ष्य**
  - प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत राजस्थान में 3 वर्ष के समय में 8 हजार करोड़ धनराशि से गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6.75 लाख आवास बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
  - इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः राजस्थान के 40 शहरों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है।

- **कार्य**

कुल तीन वर्ष के लक्ष्य के लिए सरकार ने 8425 करोड़ रूपये के खर्च का आंकलन किया है। इसमें से केन्द्र सरकार 5055 करोड़ रूपये का अंश देगा जबकि 3 हजार करोड़ से अधिक भागीदारी राज्य सरकार की होगी।

प्रथम वर्ष के लक्ष्यों के लिए केन्द्र ने अपने हिस्से के करीब 1400 करोड़ रूपये में से पहली किश्त के तौर पर 700 करोड़ की राशि राज्यों को दे दी है। राज्य को अब 31 मार्च तक अपने हिस्से के करीब 460 करोड़ रूपये देने है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिये।

- राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2016–17 में 4 लाख 31 हजार आवास बनाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन मात्र 68 हजार 885 आवास ही निर्माण करने में सफल हुई।
- इसी तरह साल 2017–18 के लिए 6 लाख 75 हजार घर बनाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन अब तक 40 हजार आवास भी नहीं बन पाए है।

राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव

- इस योजना से गरीब/कमजोर वर्ग को किफायती आवास प्रदान करने में प्रोत्साहन।
- इसके लिए सरकार बैंक का ऋण चुकायेगी।
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास का लाभ।
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी।
- भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लमवासियों का पुनर्वास।
- लाभान्वित के खाते में सीधे धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी। जिससे लाभान्वित को उसकी सम्पूर्ण राशि की प्राप्ति।
- फोटोग्राफ एप के माध्यम से सूचनाएँ अपलोड की गई, जिससे भुगतान की प्रगति को लाभान्वित एप के माध्यम से देख पाना सम्भव हुआ।
- जीवनस्तर में वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षा एवं समानता को प्रोत्साहन।
- ऑनलाईन प्रक्रिया होने के कारण सम्पूर्ण योजना में पूर्ण रूप से पारदर्शिता।
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी.पी.एल वर्ग के लोगों को पक्के आवास की उपलब्धता।

खोज एवं सुझाव

प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तृत अध्ययन के पश्चात् निम्न खोज की गई–

- योजना के अंतर्गत दस्तावेजों की पूर्णतः जाँच का अभाव होने पर उचित लाभार्थी को योजना का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है।

- कुछ क्षेत्र विशेष में लोगों के पास बैंक अकाउन्ट नहीं होने से उक्त लोग योजना से वंचित रह जाते है।
- ऑनलाइन प्रक्रिया होने से सुदूर क्षेत्र जहाँ नेटवर्क व कम्प्यूटर साक्षरता का अभाव है। वे लोग उक्त योजना से जुड़ नहीं पा रहे है।
- अशिक्षित लोगों की अपूर्ण जानकारी का लाभ उठाकर अनुचित/सम्पन्न लोग योजना का लाभ उठा लेते है।

सुझाव

- अतः योजना के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दस्तावेजों की पूर्ण जाँच की जानी चाहिए।
- योजना के पंजीकरण को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रणालियों में लागू करके वंचित लोगों को योजना का लाभ दिलाना चाहिए।
- हर क्षेत्र का अपना एक योजना निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि योजना के प्रत्येक चरण का मूल्यांकन कर सके।
- राजस्थान सरकार को स्वयं के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों (योजना से संबंधित) को प्राप्त करने हेतु उचित प्रयास एवं पारदर्शिता रखनी चाहिए।

संदर्भ सूची

⇒ क्रॉनिकल योजना कार्यक्रम व नीतियाँ, 2006
⇒ आर्थिक परिदृश्य, 2016
⇒ दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका
⇒ इन्टरनेट
⇒ बी.पी. गुप्ता, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता
⇒ ए.बी.जौहरी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
⇒ कटार सिंह, ग्रामीण विकास (सिद्धान्त, नीतियाँ, प्रबन्ध)
⇒ देवेन्द्र प्रसाद पाण्डे, लघु वित्त द्वारा ग्रामीण विकास

6

पुस्तकालय नेटवर्क व डिजिटल पुस्तकालयों का वर्तमान में महत्व

डॉ. बलवीर शर्मा *

परिचय

पुस्तकालय नेटवर्किंग एक प्रकार से बहुत ही विस्तारित शब्द हैं। ग्रन्थालय जगत में यह दो प्रकार से प्रचलित है। प्रथम प्रकार से मतलब समस्त ग्रन्थपरक नेटवक से हैं जिसमे सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। कोई भी पाठक कभी भी किसी भी समय पर नेटवर्क का सदस्य बनकर समस्त सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जिसके लिए उसे पुस्तकालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती हैं। दूसरा प्रकार यह है कि यह नेटकर्व एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय को आपस में जोडते है जिससे सभी प्रकार के साधन सहभागिता व आवश्यक सूचनाओं का सग्रंहण किया जाता रहें। पुस्तकालय पूर्व से लेकर वर्तमान तक ज्ञान के मन्दिर रहें है। वर्तमान में पुस्तकालय के विकास को बढावा देने के उद्वेश्य से इन्हें मशीनों से जोडा जा रहा हैं। अर्थात मनुष्य अपने ज्ञान व सूचनाओं को एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय से प्राप्त कर सकें। इस प्रकार अभिधारणा को साकार करने के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र के पुस्तकालयों को बल्कि समस्त विश्व के पुस्तकालयों को एक समन्वित नेटवर्क में पिरोना आवश्यक प्रतीत है। एक अन्तर्राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क को किस ढंग से स्थापित किया जावें इस अवधारणा के सम्बन्ध में अभितक सहमति प्राप्त नही हो सकी है। उन्नतिशीनल देशों जैसे–इग्लैंड, फॉस, नीदरलैंण्ड, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्वीडन आदि। अमेरिका जैसे देश में नेटवर्क की संख्या सबसे अधिक है। नेटवर्क का प्रचलन सबसे पहले 1965 से माना जाता है।

नेटवर्क जब दो या दो से अधिक पुस्तकालय किसी माध्यम से एक दूसरे से सम्पर्क में होते है जिनका मकसद एक दूसरे की सूचनाओं को एवं सेवाओं का उपयोग करना होता है, इसे ही ग्रन्थालय नेटवर्क की संज्ञा दी है।

---

* प्रवक्ता व सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, लाल बहादुर शास्त्री पी.जी.महाविद्यालय,जयपुर, राजस्थान।

~ The chapter is based on the paper presented in "**International Conference on Modern Management Strategies, E-commerce and Global Economy-In Indian Context**" Organized by **Inspira Research Association (IRA),** Jaipur **& LBS PG College,** Jaipur, Rajasthan, India. **02-03 February, 2018.**

पुस्तकालय नेटवर्क की वर्तमान में आवश्यकता

- पाठ्य सामग्री की संख्या में वृद्वि
- वित्तीय संसाधनों की कमी
- पुस्तकालयों में समुचित स्थान की कमी होना
- पुस्तकालय के स्वरूप एवं पुस्तकालय सेवाओं में भिन्नता
- पुस्तकालयों में छात्र संख्याओं में दिनों दिन बढोत्तरी
- युवाओं में पाठ्य सामग्री पढने की लालसा
- सम्पूर्ण पाठ्य सामग्री पुस्तकालयों में उपलब्ध नहीं होना
- पुस्तकालयों में कार्मिकों की कमी के कारण एवं तकनीकी विभागों की अधिकता आदि।

पुस्तकालय नेटवर्क के प्रमुख उद्वेश्य

- समस्त पाठ्य सामग्री के आदान प्रदान को इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल तथा मशीन द्वारा सुलभ करने को प्रोत्साहित करना।
- सहभागी पुस्तकालयों के ग्रन्थों, पत्रिकाओं, अग्रन्थीय पाठ्य सामग्री को केन्द्रीय ऑन–लाइन संध सूची तैयार करना और उपयोगार्थ हेतू व्यवस्थित करना।
- पुस्तकालयों की सूचना क्षमता को अधिक विकसित करना।
- समस्त पाठकों की समय की बचत में सहयोग में सहायक।
- नेटवर्क के माध्यम से समस्त ऑकडों के विनिमय तथा स्थानान्तरण में सहायक।
- कम समय में सूचनाओं की उपलब्धि।
- नेटवर्क के माध्यम से भौगोलिक दूरी आपस में कम हो जाती है।

पुस्तकालय नेटवर्क का महत्व

- पुस्तकालय नेटवर्क में साफटवेयर व हार्डवेयर का अधिकाधिक उपयोग।
- विश्व के किसी भी पुस्तकालय की सूचना को धर बैठे–बैठे भंडारित व मुद्रित किया जा सकता है।
- एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय की सूचना का स्थानान्तरण व विनिमय किया जा सकता है।
- सभी संसाधनों की सहभागीदारी को अधिक गति से बढाया जा सकता है।
- सूचना का शीध्रता से आदान–प्रदान होना।
- सूचना में अधिक गुणवत्ता होना।

भारत में पुस्तकालय नेटवर्क का विस्तार

कम्प्यूटर व कम्प्यूटर नेटवर्क का सम्पूर्ण समाज में विस्तार काफी तेज गति से बढ रहा है। साथ ही नेटवर्क का प्रभाव भी प्रत्येक समाज पर पड रहा है। वर्तमान में नेटवर्क की जैसे एक नई क्रान्ति आ गई वैसे हो रहा है। वर्तमान युग को सूचना के युग के नाम से जाना जाने लगा है। वर्तमान सरकार का भी यही उद्वेश्य है कि जितना ज्यादा हो सके सभी लेनदेन इलेक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से हो।इसलिये भी नेटवर्क का विस्तार दिनोंदिन अधिक हो रहा है। बैंकों, औधोगिक क्षैत्र, कम्पनियों, बडे–बडे दुकानदार इसका प्रयोग अपने अपने क्षैत्रों में कर रहे है। भारत सरकार ने 1958 में वैज्ञानिक संकल्प नीति और 1983 में प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य के क्रियान्वयन में सूचना प्रौद्योगिकी पर पूरजोर दिया गया। 1998 में इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर,नई दिल्ली द्वारा पुस्तकालयों के समस्त संसाधनों की

सहभागिता तथा नेटवर्किंग पर एक सैमीनार का आयोजन किया गया जिसके परिणामस्वरूप डेलनेट की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय आयोग (यू.जी.सी.) ने इन्फॉर्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क (प्छथ्स्प्ठछम्ज) की स्थापना की जो उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख नेटवर्क है।

भारत में राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर के प्रमुख पुस्तकालय नेटवक

एडिनेट	ADINET
बोनेट	BONET
कैलिबनेट	CALIBNET
डेलनेट	DELNET
इनफिलबनेट	INFLIBNET
बैलिबनेट	BYLIBNET
निकनेट	NICNET
इंडोनेट	INDONET
अरनेट	ERNET
आईनेट	INET
सरनेट	SIRNET
विक्रम	VIKRAM

डिजिटल पुस्तकालय

आज के इस युग (सूचना) में समस्त प्रकार की सूचनाओं का विस्फोट इन्टरनेट के माध्यम से हो रहा हैं। सही रूप में कम्प्यूटर के माध्यम से इन्टरनेट विश्व में प्रसारित लाखों कम्प्यूटर प्रणालियों से निर्मित एक साझा रूप है। जो समस्त विश्व के लाखों करोडों उपयोगकर्तोओं को एक दूसरे से जोडती है। इस सूचना क्रान्ति के युग में पुस्तकालय केवल मात्र ग्रन्थों के अध्ययन केन्द्र न होकर विविध प्रकार की सूचना सामग्रियों के केन्द्र बन चुके है। आजकल सर्वशिक्षा जिस प्रकार जोर दिया जा रहा हैं तो उसी प्रकार पुस्तकालयों का महत्व भी बढता जा रहा है। पुस्तकालयों में भी इस युग में काफी सुधार हो रहा है। इन्टरनेट ने सूचनाओं को इलैक्ट्रॉनिक रूप में आम व्यक्ति तक पहुचानें में सुलभ बना दिया है।

डिजिटल पुस्तकालय पुराने अर्थों में पुस्तकों का संग्रह नही हैं बल्कि डिजिटल पुस्तकालय नेटवर्क व मल्टी मीडिया प्रणालियों से युक्त पुस्तकालय है। सभी डिजिटल पुस्तकालयों में एक मीडिया सर्वर होता है, जो उच्च गति वाले नेटवर्क से जुडा रहता है। डिजिटल पुस्तकालय का प्रादुर्भाव इलेक्ट्रानिक पत्रिका प्रकाशन के साथ–साथ शुरू हो गया है। दिन–ब–दिन नेटवर्किंग के विस्तार के साथ ही डिजिटल पुस्तकालय का प्रचार प्रसार बढ रहा हैं।

डिजिटल पुस्तकालयों के संचालन के लिए आवश्यक उपकरण एवं तकनीकें

- उपयुक्त कम्प्युटर टेक्नालॉजी
- स्टोरेज टेक्नोलॉजी
- आवश्यक कम्प्युटर प्रोसेसिंग
- संचार प्रक्रिया

डिजिटल पुस्तकालय बनाने की पहली प्रमुख प्रक्रिया सम्पूर्ण भौतिक माध्यम को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया है।यह एक ऐसी प्रक्रिया ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओ.सी.आर.) से

शुरू होती है। जिसमें डिजिटल चित्रों को टेक्स्ट में बदला जाता है। इसके बाद इसके वर्गीकरण और सूचीकरण होता है जिससे यह संग्रह उपयोगकर्ता को आसानी से प्राप्त हो जाता है। डिजिटल पुस्तकालय कुछ हद तक इन्टरनेट की तरह कार्य करेगा। मुख्य अन्तर सामग्री का ही होगा।

डिजिटल पुस्तकालयों के लाभ

- परम्परागत पुस्तकालयों की तुलना में डिजिटल पुस्तकालय में अधिक सामग्री मिल जाती है।
- डिजिटल पुस्तकालयों में सूचनाओं को प्रस्तुत करने में कम समय लगता है।
- डिजिटल पुस्तकालय में सूचना जीवित रूप में भी प्राप्त हो जाती है।
- सन्दर्भ ग्रन्थों व पाण्डुलिपियों का संरक्षण डिजिटल पुस्तकालय में आसानी से मिल जाता है।
- एक ही ग्रन्थ को अनेक पाठक एक साथ पढ सकते है।

डिजिटल पुस्तकालय के शीध्र प्रसार के प्रमुख कारण

- कम्प्युटरों की धटती लागत
- संचार सुविधाओं का शीध्र विस्तार
- डिजिटल भण्डार की कम लागत
- नेटवर्किंग सुविधाओं का लगातार विस्तार
- पुस्तकालयों के रख–रखाव एवं जनशक्ति के व्यय में कमी

भारत में डिजिटल पुस्तकालयों की सम्भावनाएँ

विश्व के विकासशील देशों में आर्थिक विषमताएँ और एकाधिकार की भावना की डिजिटल पुस्तकालय विकास में सबसे बडी बाधा है। आज डिजिटल माध्यमों पर पश्चिम का एकाधिकार है। सभी प्रकाशक डिजिटल माध्यम द्वारा दी गई सूचनाओं, ग्रन्थों पत्रिकाओं की वही मूल्य वसूल करते है जो कि मुद्रित माध्यमों का है जबकि डिजिटल माध्यम का प्रकाशन एवं वितरण का खर्च नगण्य है। अतः आज हमें अपने पुस्तकालय के वर्तमान स्वरूप को जीवित रखते हुये डिजिटल तकनीक का क्रमबद्व प्रयोग शुरू करना चाहिये। ग्रन्थों को यथा सम्भव मुद्रित माध्यम में लेना ही उचित है साथ में सी.डी.या डी.वी. डी. पर ग्रथं मिलते है तो उसकी भी एक प्रति लेना चाहिए।दोंनो माध्यमों की प्रति लेने से पाठकों को 80 से 50 प्रतिशत मूल्य का लाभ हो सकता है। लेकिन इस सन्दर्भ में हर प्रकाशन की अलग अलग डिस्काउन्ट नीति है। भारत एक विशालशील, भौगोलिक व विशाल जनसंख्या वाला देश है। भारत में विश्वस्तर के वैज्ञानिक, प्रबन्धक व तकनीकीविद् है किन्तु काफी बडा क्षेत्र है जहॉ साक्षरता भी नही हैं विद्युत के तार है किन्तु उपयोग के लिए विद्युत उपलब्ध नहीं है। अतः आवश्यकतानुसार पुस्तकालयों में डिजिटल सामग्री के उपयोग की सुविधाएँ, नेटवर्क से आवश्यकतानुसार उपयोग की सामग्री प्राप्त करने की सुविधा इत्यादि की व्यवस्था करना समीचीन है। अति उन्नतिशील और उच्च तकनीकी क्षेत्रों के पुस्तकालय में पूर्णतःडिजिटल पुस्तकालय प्रासंगिक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

⇒ शर्मा, बी.के.व अन्य (2015),''सूचना स्त्रोत, उपयोक्ता, प्रणाली, सेवाएँ एवं प्रौद्योगिकी,'' वाई.के. पब्लिशर्स, आगरा, यू.पी.।

☯☯☯

7

वस्तु एवं सेवा कर की आधारभूत अवधारणाऐं एवं विशेषताऐं भारत के सन्दर्भ में

सीमा गोटवाल*

परिचय

कर का अर्थ है किसी वस्तु सेवा या आय (Income) या क्रिया पर लगाया गया शुल्क है। यह शुल्क केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है कर दो प्रकार के होते है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यह व्यक्ति से सीधे वसूल किया जाता है जैसे आयकर और अप्रत्यक्ष कर किसी वस्तु या सेवा पर लगाकर वसूला जाता है वस्तु एव सेवा कर यानी जीएसटी (GST) Goods and Service Tax) एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। जीएसटी का भारत में लम्बा इतिहास कहा जा सकता है राजनीतिक तौर पर सहमति नहीं बनने के कारण इसके कार्यान्वयन में लगभग 14 साल लग गए। इस कर बदलाव को देश में अब तक का सबसे बडा कर सुधार बताया गया है जिस कर प्रणाली को हमारे देश में एक अप्रैल 2010 से लागू करने का प्रस्ताव किया गया था वह 1 जुलाई 2017 से लागू हुई सरकार सभी तरह के अप्रत्यक्ष करों को खत्म करते हुए ''एक राष्ट्र एक कर'' की परिकल्पना पर इसे लागू किया है जीएसटी के लागू होने से हमें सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वेट एक्साइज डयूटी जैसे अप्रत्यक्ष कर से मुक्ति मिल जाएगी और उनकी जगह जीएसटी लगेगा जो देश भर में एक जैसे सामान पर समान रूप से लागू होगा इससे पहले एक ही सामान पर अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग कर लगता था। संविधान में 122 वे संशोधन विधेयक के जरिए देश में लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह 1 जुलाई 2017 से केवल एक टैक्स ''वस्तु एवं सेवा कर'' लगाया जा रहा है। यह दुनिया के 150 से अधिक देशों में ऐसी ही कर व्यवस्था लागू है।

---

* Lecturer, Business Administration, S.P.C. Govt. College, Ajmer, Rajasthan, India.

~ The chapter is based on the paper presented in "**International Conference on Modern Management Strategies, E-commerce and Global Economy-In Indian Context**" Organized by **Inspira Research Association (IRA),** Jaipur **& LBS PG College,** Jaipur, Rajasthan, India. **02-03 February, 2018.**

जीएसटी कर समय चक्र

- 2004 में केलकर समिति ने जीएसटी की सिफारिश की।
- चिन्दबरम ने 2007 के बजट में जीएसटी के विषय में चर्चा की।
- जीएसटी को लागू करने के लिए 2010 का लक्ष्य निर्धारित किया गया इसके लिए भारतीय संविधान 7^{th} अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता थी।
- जीएसटी से सम्बन्धित 115^{th} संविधान संशोधन विधेयक, 2011 पारित नहीं किया जा सकता।
- 2013 में GSTN प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का गठन किया गया।
- 2014 में 122^{nd} संविधान विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया आखिरकार यह बिल 2016 में 101 वे संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ।
- यह संशोधन संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित करता था। अतः इसे कम से कम आधे राज्यों के विधान मण्डलों से भी पारित कराने की आवश्यकता थी। असम इस संशोधन के पारित करने वाला पहला राज्य था।
- 2016 में जीएसटी परिषद को अधिसूचित किया गया और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कस्टम के आधुनिकरण के लिए लक्ष्य परियोजना लांच किया गया था। (जैसे डाक तार के आधुनिकीकरण के लिए Project Arrow प्रारम्भ किया गया था।)
- GST जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया।
- CGST और SGST की अधिकतम सीमा 20% GST की सीमा अधिकतम 40% है।

जीएसटी कैसे काम करेगा?

सख्त निर्देशों और प्रावधानों के बिना एक देशव्यापी कर सुधार का नही कर सकता है जीएसटी परिषद ने इस नए कर व्यवस्था को तीन श्रेणियों में विभाजित करके लागू करने की एक विधि तैयार की है।

- सी जीएसटी :– जहां केन्द्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा।
- एस जीएसटी :– राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा।
- आई जीएसटी :– जहां अन्तरराज्यीय बिक्री के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा।

जीएसटी का उद्धेश्य

- जीएसटी '' एक राष्ट्र एक कर'' के उद्धेश्य का सन्देश देता है।
- जीएसटी का प्रमुख उद्धेश्य कर चोरी पर लगाम लगाना है।
- जीएसटी का उद्धेश्य उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना है जिससे वस्तुओं पर लगने वाले कर के बोझ में कमी लाना।
- जीएसटी का उद्धेश्य दोहरे कराधान की समस्य को हल करना है।
- मुद्रस्फीति कम हो और जीडीपी को गति प्रदान करना है।
- जीएसटी का उद्धेश्य आर्थिक विकास करना है।

- देश में समग्र निवेश के परिवेश में सुधार लाना जिससे राज्यों के विकास में मदद् मिलेगी।
- जीएसटी लागू होने के प्रथम पांच वर्षों में राज्यों को होने वाले नुकसान को कम करने के उद्धेश्य से भी लाया गया है।

जीएसटी की विशेषताऐं

- केन्द्र एवं राज्य के द्वारा संयुक्त रूप में एक ही अप्रत्यक्ष कर लगाने का ऐतिहासिक एवं अद्वितीय उदाहरण
- न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप, पारदर्शी, सरल एवं अद्यतन टैक्नोलॉजी का उपयोग
- राज्य एवं केन्द्र के 16 अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक कर प्रणाली
- देश के 1150 चेक–नाके बन्द होने के कम समय में माल परिवहन
- छोटे व्यापारी जिनका टर्न ओवर 50 लाख से कम है उनका विशेष ध्यान रखा गया तथा कम्पोजिशन की सुविधा।
- यह उपभोग पर लिया जाने वाला गन्तव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है इससे भारत में माल और सेवाओं के लिए एक बाजार बनाना है।
- भारत में एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार बना जिससे विदेशी निवेश को और ''मेक इन इण्डिया'' अभियान को बढावा मिलेगा।

जीएसटी की चुनौतियां/ समस्या

जीएसटी लागू होना आजाद भारत के उन चुनिन्दा फैसलों में से है जो भविष्य में ऐतिहासिक फैसले के तौर पर चिन्हित किए जाऐंगे। जीएसटी लागू होने से कई चुनौतियों का सामना करना पड सकता है।

- व्यापारियों को नए सिस्टम से जोडना।
- तकनीकि समस्या का सामना करना।
- कम्प्यूटर लिट्रेसी का अभाव होना।
- जीएसटी को लेकर व्यावारियों की नाराजगी का सामना करना।
- जीएसटी से लघु व कुटील उद्योग प्रभावित होते है तो बेरोजगारी का सामना करना।
- अप्रत्यक्ष कर राज्यों के आय प्रमुख स्त्रोत थे, जीएसटी शुरू में राज्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- गणना और प्रशासनिक कार्य पर नियन्त्रण करना।

जीएसटी के सुझाव एवं निष्कर्ष

जीएसटी प्रक्रिया की जानकारी का बेहत अभाव भी मुश्किले पैदा कर रहा है इस स्थिति को देखते हुए देश भर में एक व्यापक जागरूकता अभियान व्यापारी संगठनों के साथ मिलकर चलाया जाना बेहत जरूरी है। जीएसटी को सफल बनाना सरकार का ही नही व्यापारियों का भी दायित्व है और इस दृष्टि से सरकार और व्यापारी एक भागीदार के रूप में जीएसटी को एक सफल कर प्रणाली के रूप में

आसानी से विकसित कर सकते है। जीएसटी से सम्बन्धित शिकायतो के समाधान के लिए निष्पक्ष जीएसटी लोकपाल गठित होनी चाहिए।

जीएसटी, भारत के कर ढांचे में सुधार का एक बहुत बडा कदम है। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पडेगा। यह पारदर्शिता एवं तकनीकी दृष्टि से भी लाभदायी रहेगा। जीएसटी के लागू होने से देश की कर व्यवस्था एवं जीडीपी अनुपात में भी सकारात्मक प्रभाव पडेगा। जीएसटी मोदी सरकार का सराहनीय कदम है। जीएसटी लागू किये जाने से भारतीय उत्पाद घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकेगा।

References

⇒ https:/www.gstindia.com
⇒ https:/www.taxinhindi.com
⇒ https:/gshindi.com
⇒ https:/sangopang.com
⇒ https:/hi.vikaspedia.in/socialwelfare
⇒ https:/cleartax.in/s/gst.in.hindi
⇒ https:/hi.m.wikipedia.org

8

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में महिलाओं की शैक्षिक सहभागिता

राकेश कुमार कुमावत *

परिचय

किसी भी समाज, क्षेत्र एंव देश का विकास उसके भौतिक एंव मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। कोई भी समाज या क्षेत्र मानवीय संसाधनों में पर्याप्त निवेश के बिना सतत् आर्थिक विकास प्राप्त नहीं कर सकता है। वर्तमान समाज के सन्दर्भ में अगर मानवीय संसाधनों का वर्गीकरण करे तो पुरूश एंव महिला दो बहुसंख्यक वर्ग नजर आते है। परम्परागत रूप से पुरूश प्रधान समाज में कभी भी महिलाओं को पुरूशो के समान उच्च स्थान नहीं दिया गया फिर भी प्रत्येक युग में महिलाओ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया हैं व अपने विशिष्ट गुणों के कारण आधुनिक युग के हर क्षेत्र में कठोरतम सामाजिक प्रतिबन्धों के चलते विपरीत परिस्थितियो में भी आगे बढती जा रही हैं। राश्ट्रीय महिला आयोग, राज्यस्तरीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग एवं अनेक स्वयं सेवी संस्थाएँ हर क्षेत्र में महिलाओ को सशक्त बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, किन्तु महिलाओं की वर्तमान स्थिति पर विचार करे तो स्थिति काफी चिंताजनक है। अत्यधिक प्रयासो के बावजूद आज भी महिलाओं को कई तरह के लैंगिक भेदभाव का सामना करना पडता हैं। लिंगीय भेदभाव शेखावाटी क्षेत्र के सामाजिक ताने–बाने में ही सन्निहित है। जिसके कारण शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक अवसरो में पहुँच जैसे–अधिकांश क्षेत्रो में महिलाओं के साथ भेदभाव जारी हैं। लिंगीय भेदभाव को कम करने के लिए सामाजिक संरचना को समानता के आधार पर गठित करना होगा एवं महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक दृश्टि से सशक्त बनाना होगा।

सभी मायनों में महिला स ाक्तिकरण के महत्वपूर्ण कारणों मे से शिक्षा एक अतिमहत्वपूर्ण कारक हैं। क्योंकि शिक्षा स्वयं और दुनिया के लोगो के प्रति समझ को समृद्ध करती हैं। उनके जीवन

* शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

~ The chapter is based on the paper presented in "**International Conference on Modern Management Strategies, E-commerce and Global Economy-In Indian Context**" Organized by **Inspira Research Association (IRA),** Jaipur **& LBS PG College,** Jaipur, Rajasthan, India. **02-03 February, 2018.**

की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से शिक्षा, महिलाओं व समाज को व्याप्त सामाजिक लाभ की ओर ले जाती हैं। अतः महिला सशक्तिकरण हेतु शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को आगे बढने, नया सोचने और करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए।

शोध उद्देश्य

यह शोध अध्ययन राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति से सम्बन्धित है। इस शोध–पत्र का मुख्य उद्देश्य शेखावाटी क्षेत्र में स्कूली शिक्षा एवं कॉलेज शिक्षा में लडकियों के नामांकन की स्थिति का विश्लेशण करना है। साथ ही शेखावाटी क्षेत्र में सम्मिलित जिलो (चुरू, झुन्झुनू एवं सीकर) में लडकियो के नामांकन का तुलनात्मक विश्लेशण करना है।

सन्दर्भ साहित्य की समीक्षा

इस शोध पत्र में राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में महिला स ाक्तिकरण को शैक्षिक नामाकंन की स्थिति से जानने का प्रयास किया गया है। सन् 1976 में बी आर नन्दा ने पूर्व एवं आधुनिकता के सन्दर्भ में भारतीय महिला, 1980 में डिकन हैराल्ड ने महिला और समाज, 1993 में अनिता दिगे ने महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण एवं जैनी होर्समैन ने महिला एवं शिक्षा के सम्बन्ध में सोच : समर्थन और चुनौतिया, 2015 में पवन रेखा कुमारी ने महिला एवं बाल विकास व 2017 में विकास यादव ने भी महिला सशक्तिकरण से संबन्धित अध्ययन किया है ।

शोध विधि

यह शोध–पत्र विश्लेशणात्मक अध्ययन से संबंधित है। यह द्वितीयक समंको पर आधारित हैं। इसमें राजस्थान सरकार के सामाजिक–आर्थिक सांख्यिकी 2006–07 से 2009–10 के सामंको का प्रयोग किया गया है। यह अध्ययन महिला–पुरूश नामांकन एवं राज्य में नामांकन से अन्तर के तुलनात्मक विश्लेशण से संबंधित है।

राजस्थान एवं शेखावाटी क्षेत्र में स्कूली शिक्षा में कुल नामाकंन की स्थिति

किसी भी समाज की उन्नति शिक्षा के बिना असम्भव है। राजस्थान एवं शेखावाटी क्षेत्र के लिए महिला शिक्षा का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि राजस्थान महिला साक्षरता की दृश्टि से भारत में निम्नतम स्तर पर है। शिक्षा ही एक ऐसा उपाय है। जिसके माध्यम से महिलाओं को पूर्णरूपेण सशक्त बनाया जा सकता है। शिक्षा का प्रारम्भ स्कूली शिक्षा से होता है। वर्तमान में स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत 10+2 के स्तर तक की शिक्षा को भाामिल किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में स्कूली शिक्षा में कुल नामाकंन का स्तर उस क्षेत्र की शैक्षिक स्थिति को दर्शाता है। राजस्थान एवं शेखावाटी क्षेत्र में स्कूली शिक्षा में कुल नामाकंन की स्थिति को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका 1 : राजस्थान एवं शेखावाटी क्षेत्र में स्कूली शिक्षा में कुल नामाकंन की स्थिति

क्षेत्र / वर्ष		2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
चुरू	लडके	278555	236778	235046	224280
	लडकियाँ	221360	196201	192948	191827
	अन्तर	57195	40577	42098	32453
झुन्झुनू	लडके	369641	286810	–	264346
	लडकियाँ	287722	224015	213399	206962
	अन्तर	81919	62795	–	57384

सीकर	**लडके**	467662	537524	514978	491719
	लडकियाँ	373061	387289	394723	397852
	अन्तर	94601	150235	120255	93867
राजस्थान	**लडके**	9108643	8783710	8897546	8956435
	लडकियाँ	6818493	6556931	6643589	6819176
	अन्तर	2290150	2226769	2253957	2137259

स्त्रोतः– आर्थिक एवं सामाजिक सांख्यिकी 2006–07, 2007–08, 2008–2009, 2010–2011

उपर्युक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2006–07 में राज्य में स्कूली शिक्षा में लडको एवं लडकियों का कुल नामांकन क्रमशः 9108643 व 6818493 था। इस प्रकार कुल नामांकन में लैंगिक अन्तराल 2290150 है। इसी प्रकार शेखावाटी क्षेत्र के तीनो जिलो चुरू, झुन्झुनू एवं सीकर में लडकियो का कुल नामांकन क्रमशः 221360, 287722 व 373061 था वही लडको का कुल नामांकन क्रमशः 278555, 369641 व 467662 था। तीनो जिलों में लैंगिक अन्तराल क्रमशः 57195, 81919 व 94601 है। यह राज्य के साथ शेखावाटी क्षेत्र में भी कुल नामांकन में लडकियों कि कम संख्या को बताता हैं। वर्ष 2009–10 में राज्य में लडकियो का कुल नामांकन 683 अंक बढकर 681976 हो गया है। जहॉ शेखावाटी क्षेत्र के सीकर जिले में 24791 अंको की अच्छी वृद्धि हुई वही चुरू एवं झुन्झुनू जिलो में क्रमशः 29533 व 80760 अंको की गिरावट हुई।जो क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वर्ष 2006–07 से 2009–10 की समयावधि में कुल नामांकन के लैंगिक अन्तराल में कमी आयी है।

स्कूली शिक्षा में पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर नामाकंन की स्थिति

राजस्थान के साथ शेखावाटी क्षेत्र के तीनों जिलों में पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर नामाकंन की स्थिति चिंताजनक है। राजस्थान एवं शेखावाटी क्षेत्र के तीनों जिलों में लडकों एवं लडकियों के नामाकंन अन्तराल में कमी आई है। इसके साथ से लडके एवं लडकियों दोनों के नामाकंन में भी गिरावट आई है। पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर नामाकंन की स्थिति निम्न तालिका द्वारा दर्शायी गई है।

तालिका 2 : स्कूली शिक्षा में पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर नामाकंन की स्थिति

क्षेत्र / **वर्ष**		**2006–07**	**2007–08**	**2008–09**	**2009–10**
चुरू	**लडके**	146634	52024	47938	55357
	लडकियाँ	131731	49462	38011	44852
	अन्तर	14903	2562	9387	10505
झुन्झुनू	**लडके**	149676	83233	51219	49153
	लडकियाँ	130777	67541	44305	43035
	अन्तर	18899	15692	6924	6118
सीकर	**लडके**	215532	175614	130292	116413
	लडकियाँ	191372	137952	115807	106136
	अन्तर	24160	37662	14485	10277
राजस्थान	**लडके**	4877098	2861614	2810457	2724124
	लडकियाँ	4284476	2419519	2347369	2287430
	अन्तर	592622	442095	463088	436694

स्त्रोतः– आर्थिक एवं सामाजिक सांख्यिकी 2006–07, 2007–08, 2008–2009, 2010–2011

उपर्युक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2006–07 में शेखावाटी क्षेत्र के तीनों जिलों चुरू, झुन्झुनू एवं सीकर में पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर लडकों का नामाकंन क्रमशः 146634, 149676 एवं 215532 वही लडकियों का नामाकंन क्रमशः 131731, 130777 व 191372 था। 2009–10 में लडकों का नामाकंन घटकर क्रमशः 55357, 49153 व 11613 हो गया। वही लडकियों का नामाकंन भी घटकर 2009–10 में क्रमशः 44852, 43035 व 106136 हो गया। वर्ष 2006–07 में राजस्थान में पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर लडकों का नामाकंन 4877098 व लडकियों का नामाकंन 4284476 था जो 2009–10 में घटकर क्रमशः 2724124 व 2287430 हो गया। वर्ष 2007–08 में राजस्थान सहित शेखावाटी क्षेत्र के तीनों में अत्यधिक गिरावट हुइ।

राजस्थान एवं शेखावाटी क्षेत्र में स्कूली शिक्षा में उच्च प्राथमिक स्तर पर नामाकंन की स्थिति

राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर की स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा –5 से कक्षा –8 तक की शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान एवं शेखावाटी क्षेत्र के चुरू एवं सीकर जिले मे उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2006–07 की तुलना मे वर्ष 2009–10 मे वृद्दि हुई है । वही झुन्झुनू जिले मे लडको एवं लडकियों दोनो के नामाकंन मे गिरावट हुई है । लडको की तुलना मे लडकियों के नामाकंन मे गिरावट कम हुई है । साथ ही झुन्झुनू जिले मे लगातार तीन वर्षों 2007–08, 2008–09,व 2009–10 मे लडकियों का नामाकंन लडको के नामाकंन से अधिक रहा । जो जिले मे महिलाओ की अच्छी स्थिति का द्योतक है । राजस्थान एवं शेखावाटी क्षेत्र में स्कूली शिक्षा में उच्च प्राथमिक स्तर पर नामाकंन की स्थिति को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका 3 : स्कूल शिक्षा में उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन की स्थिति

क्षेत्र / वर्ष		2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
चुरू	लडके	66771	109785	111180	91828
	लडकियाँ	49379	99582	106711	90530
	अन्तर	17392	10203	4469	1298
झुन्झुनू	लडके	80875	45956	59660	50594
	लडकियाँ	67017	54839	63608	56079
	अन्तर	13858	–8883	–3948	–5485
सीकर	लडके	100786	180650	198374	181419
	लडकियाँ	82443	131653	153604	159726
	अन्तर	18343	48997	44770	21693
राजस्थान	लडके	1982537	3502319	3428614	3375393
	लडकियाँ	1329299	2812363	2795211	2840206
	अन्तर	653238	689956	633403	535187

स्त्रोतः– आर्थिक एवं सामाजिक सांख्यिकी 2006–07, 2007–08, 2008–2009, 2010–2011

उपर्युक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2006–07 में राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर पर लडकियो का नामाकंन 1329299 था जो बढकर वर्ष 2009–10 मे 2840206 हो गया। लडको एवं लडकियों के नामाकंन मे अन्तराल वर्ष 2006–07 के 653238 से घटकर वर्ष 2009–10 मे 535187 हो गया। शेखावाटी क्षेत्र के चुरू एवं झुन्झुनू जिले में लडको एवं लडकियों का नामाकंन अन्तराल वर्ष 2006–07 मे क्रम ाः 17392 व 13858 था वर्ष 2009–10 मे चुरू जिले मे नामाकंन अन्तराल घटकर 1298 रह गया वही झुन्झुनू जिले मे लडकियों का नामाकंन लडको से 5485 अधिक रहा। सीकर जिले मे

नामाकंन अन्तराल वर्ष 2006–07 मे 18343 से बढकर वर्ष 2009–10 मे 21693 हो गया। जो शिक्षा के बढते स्तर के साथ महिलाओ की कम होती पहुच को बताती है ।

राजस्थान एवं शेखावाटी क्षेत्र में स्कूल शिक्षा में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर नामांकन की स्थिति

शेखावाटी क्षेत्र में सम्मिलित तीनो जिलो चुरू, झुन्झुनू एवं सीकर के साथ राजस्थान में भी स्कूली शिक्षा मे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर लडको एवं लडकियों के नामाकंन मे वर्ष 2006–07 की तुलना मे वर्ष 2009–10 मे वृद्धि दर्ज की गई है। किन्तु लडकियों के नामाकंन की तुलना मे लडको के नामाकंन मे वृद्धि अधिक रही । राजस्थान के साथ ही सीकर एवं झुन्झुनू जिले मे भी लडकियों के नामाकंन मे वृद्धि के साथ ही नामाकंन अन्तराल मे वृद्धि हुई है। जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर महिलाओं की शिक्षा से दूरी को दर्शाती है क्षेत्र के चुरू जिले में इस अवधि मे नामाकंन अन्तराल मे कमी आई है जो एक अच्छा संकेत है ।

तालिका 4 : स्कूल शिक्षा में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर नामांकन की स्थिति

क्षेत्र / वर्ष		2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
चुरू	लडके	65150	74969	76468	77095
	लडकियाँ	40250	47157	48226	56445
	अन्तर	24900	27812	28242	20650
झुन्झुनू	लडके	139090	157621	161079	164599
	लडकियाँ	89928	101635	105486	107848
	अन्तर	49162	55986	55593	76751
सीकर	लडके	151344	181260	186312	193837
	लडकियाँ	99246	117684	125312	131990
	अन्तर	52098	63576	61000	61848
राजस्थान	लडके	2249008	2419777	2658475	2856918
	लडकियाँ	1204718	1325049	1501009	1691540
	अन्तर	1044290	1094728	1157466	1165378

स्त्रोतः– आर्थिक एवं सामाजिक सांख्यिकी 2006–07, 2007–08, 2008–2009, 2010–2011

उपर्युक्त तालिका के अनुसार चुरू, झुंझुंनू एवं सीकर जिले में वर्ष 2006–07 में लडकियों का नामाकंन क्रमशः 40250, 89928 व 99246 था जो 2009–10 में बढकर क्रमशः 56445, 107848 व 131990 हो गया। झुंझुंनू व सीकर जिले में नामाकंन अंतराल वर्ष 2006–07 में क्रमशः 49162 व 52098 से बढकर वर्ष 2009–10 में क्रमशः 107848 व 61848 हो गया। चुरू जिले में नामाकंन अंतराल वर्ष 2006–07 में 24900 था, जो 2009–10 में घटकर 20650 रह गया। राजस्थान में भी लडकियों का अनुपात वर्ष 2006–07 में 1204718 था जो 2009–10 में बढकर 1691540 हो गया साथ ही नामाकंन अंतराल भी 1044290 से बढकर 1165378 हो गया।

राजस्थान एवं शेखावाटी क्षेत्र में कॉलेज शिक्षा में नामांकन की स्थिति

शेखावाटी क्षेत्र के तीनो जिलो में कॉलेज शिक्षा में लडको एवं लडकियों के नामांकन के अन्तराल में कमी पायी गयी। वर्ष 2008–09 की तुलना में वर्ष 2009–10 में राजस्थान एवं शेखावाटी क्षेत्र के तीनो जिलो में नामांकन के अन्तराल मे वृद्धि पायी गई। राजस्थान एवं शेखावाटी क्षेत्र के चुरू,

सीकर जिलो में वर्ष 2008–09 व 2009–10 में लडकियों का नामांकन लडको से कम पाया गया। वही झुन्झुनू जिले में लडकियों का नामांकन लडको से अधिक रहा हैं। जो क्षेत्र में महिलाओ के सशक्तिकरण की ओर बढते कदमो को दर्शाता है। राजस्थान एवं शेखावाटी क्षेत्र में कॉलेज शिक्षा में नामांकन की स्थिति को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका 5: राजस्थान एवं शेखावाटी क्षेत्र में कॉलेज शिक्षा में नामांकन की स्थिति

क्षेत्र / वर्ष		2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
चुरू	लडके	6681	6208	6675	7368
	लडकियाँ	3923	3998	4711	5167
	अन्तर	2758	2210	1964	2201
झुन्झुनू	लडके	16785	17230	18867	17511
	लडकियाँ	14957	13448	19713	18239
	अन्तर	1828	3782	–846	–728
सीकर	लडके	14276	15573	14064	16524
	लडकियाँ	8977	10319	10698	12239
	अन्तर	5299	5254	3366	4285
राजस्थान	लडके	223336	230146	229695	250483
	लडकियाँ	142100	149302	163694	171420
	अन्तर	81236	80844	66001	79063

स्त्रोतः– आर्थिक एवं सामाजिक सांख्यिकी 2006–07, 2007–08, 2008–2009, 2010–2011

उपर्युक्त तालिका के अनुसार राजस्थान में कॉलेज शिक्षा में लडको एवं लडकियों का कुल नामांकन वर्ष 2006–07 में क्रमशः 223336 व 142100 था जो वर्ष 2009–10 में बढकर क्रमशः 250483 व 171420 हो गया। इस समयावधि में लडकियो के नामांकन में 29320 अंको की वृद्धि हुई है वही लडको एवं लडकियो के नामांकन मे अन्तर 81236 से घटकर 79063 हो गया। शेखावाटी क्षेत्र के तीनो जिलो चुरू, झुन्झुनू एवं सीकर में वर्ष 2006–07 में लडको का नामांकन क्रमशः6681, 16785 व 14276 था वही लडकियों का नामांकन क्रमशः 3923, 14957 व 8977 था। वर्ष 2009–10 में तीनों जिलो में लडकियो का नामांकन बढकर क्रमशः 5167, 18239 व 12239 हो गया। इस समयावधि में चुरू, झुन्झुनू एवं सीकर जिलो में लडकियो के नामांकन में क्रमशः 1244, 3282 व 3262 अंको की वृद्धि हुई ।

निष्कर्ष

इस अध्ययन में शेखावाटी क्षेत्र में सम्मिलित जिलो चुरू, झुन्झुनू एवं सीकर जिलों में कॉलेज शिक्षा व स्कूल शिक्षा में लडको एवं लडकियों के अन्तराल में कमी पायी गई है। जो शेखावाटी क्षेत्र में बढते महिला स ाक्तिकरण को दर्शाते है साथ ही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर लडकियों के नामांकन में लगातार वृद्धि भी समानता पर आधारित सामाजिक संरचना की स्थापना हेतु एक शुभ संकेत माना जा सकता हैं। लेकिन पूर्व प्राथमिक स्तर एवं प्राथमिक स्तर पर लडकियों के नामांकन में गिरावट एक चिंताजनक स्थिति हैं। जिस ओर राज्य व समाज दोनो को मिलकर कार्य करने की आव यकता हैं क्योंकि महिला सशक्तिकरण सिर्फ राज्य द्वारा कानूनो के निर्माण पर नहीं किया जा सकता हैं। इसके लिए स्वयं महिलाओं एवं सामाजिक सोच में परिवर्तन लाना होगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को महिलाओं को सशक्त बनाने हेतू सतत् कोशिश करनी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

⇒ 8. Women's Role in Planned Economy , National Planning Committee Series Vora, Bombay,1947.

⇒ Deccan Herald,1980 "Women and Society".

⇒ Dighe, Anita ,1995, "Women's Literacy and Empowerment : The Nellore Experience" , Report of the International Seminar held at UIE , Hamburg 27Jan.-02Feb.1993.

⇒ Empowerment in Uttarpradesh (BIMARU STATE)", Rajasthan Economic Journal, Vol. 40&41

⇒ Horsmen, Jenny, 1995, "Thinking about Women and Literacy : Support and Challenge", Report of the International Seminar held at UIE , Hamburg 27Jan.-02Feb.1993.

⇒ Jan.& july ,pp 113-119.

⇒ Kumari,Pawan Rekha , July 2015, " Mahila or Bal Vikas : Pargati Ki Aas" yojana , pp 53-56.

⇒ Nanda B.R. ,1976, "Indian Women from Purdah to Modernity" ,Vikas Publishing House PVT. Limited, New Delhi.

⇒ National Committee on Status of Women ,1974 Towards Equality, Ministry of Social Welfare,Government of India.

⇒ Women and men in Rajasthan -2007,Directorate of Economic and statistics, Raj. Jaipur.

⇒ Yadav, Vikas (2017), "An Analitycal Study of District Wise Status of Women

⇒ Economic Review,2015-16, Government of Rajasthan.

⇒ Socio- Economic statistics 2006-07.

⇒ Socio- Economic statistics 2007-08.

⇒ Socio- Economic statistics 2008-09.

⇒ Socio- Economic statistics 2010-11.

9

राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र में ग्रामीण विकास का स्तर –विश्लेषणात्मक अध्ययन

श्रवण कुमार*
डॉ. एल.एल.साल्वी**

परिचय

ग्रामीण विकास– गांवों का भौतिक उदय और विकास विश्व के समस्त भागों में लगभग समान ढंग से हुआ है तथापि आधुनिक समय में गांव एक समान नही है और न ही पहले था। ग्रामीण विकास का अर्थ होता है व्यक्ति विशेष का एक समूह जो गांवों में रहता है। उनकी जीवन शैली में परिवर्तन को ग्रामीण विकास कहा जाता है। ग्रामीण विकास आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रियाओं परिवर्तन का महत्वपूर्ण पहलु है।

राजस्थान के 12 मरूस्थलीय जिलों में कुल 12 जिले है जो निम्न प्रकार है–जैसलमेर, बाडमेर, जालोर, जोधपुर, चुरू, झुन्झुनु, बिकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ, नागोर, सीकर, पाली का पश्चिम भाग जिसमें औसतन 77.73 प्रतिशत (2011) जनसंख्या गांवों में निवास करते हैं। इस क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मजदूरी करके अपना जीवनयापन करते है। मरूस्थलीय क्षेत्र के पांच जिले ऐसे है जिसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत से अधिक भाग ग्रामीण जनसंख्या का है। इन क्षेत्र में जैसलमेर, बाडमेर, एवं जालोर में सबसे अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है। जो क्रमशः 86.71, 93.02, एवं 91.70 प्रतिशत हैं। यह जिले राजस्थान में आर्थिक व शिक्षा की दृष्टि से सबसे पिछड़े हुए जिले हैं। जिसमें जीवन स्तर बहुत नीचे है। इन जिलों में मुलभूत संसाधनों का अभाव में सम्पूर्ण विकास नही हो सका। मरूस्थलीय भाग के जिलों पर नजर डाले तो आर्थिक, सामाजिक, व सांस्कृतिक की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों से बहुत नीचे स्तर पर है। ग्रामीण विकास व आर्थिक योजनाओं के अन्तर्सम्बन्ध का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर इन क्षेत्रों में प्रमुख समस्या का पता लगाना महत्वपूर्ण है।

---

* शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविधालय,जोधपुर, राजस्थान।
** सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविधालय, जोधपुर, राजस्थान।

~ The chapter is based on the paper presented in "**International Conference on Modern Management Strategies, E-commerce and Global Economy-In Indian Context**" Organized by **Inspira Research Association (IRA),** Jaipur **& LBS PG College,** Jaipur, Rajasthan, India. **02-03 February, 2018.**

यदि हम सम्पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था पर दृष्टिपात करते है तो ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्था के एक भाग में परिवर्तन विकास एवं आधुनीकीकरण की प्रक्रिया का स्तर बहुत अधिक है। जबकि दूसरे भाग में अपेक्षाकृत कम। इस प्रकार विकास के इन पहलुओं में अन्तर का विश्लेषणात्मक अध्ययन महत्वपूर्ण होता है तथा एक अविकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक भी होता है।

ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएँ लागू की गई है उन्हीं योजनाओं से राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र में ग्रामीण विकास कितना हुआ है उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार है– 1. भारत निर्माण कार्यक्रम, 2. मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, 3. प्रधानमंत्री सड़क योजना, 4. जननी सुरक्षा योजना, 5. अन्त्योदय अन्न योजना, 6. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, 7. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, 8. कुटीर ज्योति योजना, 9. इन्दिरा आवास योजना, 10. अक्षत योजना, 11.प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, 12. मरूस्थलीय कार्यक्रम, 13. सुखा संभावित कार्यक्रम, 14. अकाल राहत कार्यक्रम, 15. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार इत्यादि योजनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र में ग्रामीण विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया।

अध्ययन् की आवश्यकता एवं महत्व

यदि हम सम्पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था पर दृष्टिपात करते है तो ज्ञात होता है। कि अर्थव्यवस्था के एक भाग में परिवर्तन विकास एवं आधुनीकीकरण की प्रक्रिया का स्तर बहुत अधिक है। जबकि दूसरे भाग में अपेक्षाकृत कम। इस प्रकार विकास के इन पहलुओं में अन्तर का विश्लेषणात्मक अध्ययन महत्वपूर्ण होता है तथा एक अविकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक भी होता है।

ग्रामीण विकास के में शोध का निम्न प्रकार महत्व होता हैः

- ग्रामीण सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों के स्वरूप और प्रक्रिया को समझने में योगदान।
- विकास का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अध्ययन का सैद्धान्तिक महत्व।
- विकास में आर्थिक तंत्र को समझने व विश्लेषण करने में महत्व।
- सम्पूर्ण समाज का विविधता के अध्ययन में महत्व
- योजनाओं की वास्तविक वस्तु स्थिति ज्ञान करने में सहायक
- विकास योजनाओं का मुल्यांकन व ग्रामीण समाज पर उनके प्रभाव का अध्ययन में महत्व
- क्षैत्रीय विषमताओं को ज्ञात कर विकास क्रियान्वयन में महत्व।

अध्ययन् का उद्देश्य

इस सत्य को नकारा नही जा सकता है कि गांवों में समग्र विकास में ही देश का विकास निहित है। विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के विकास एवं वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न हुए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन के निम्न उद्देश्य है।

- मरूस्थलीय क्षेत्र के गांवों में आर्थिक व सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करना।

- विकास योजना का मूल्यांकन व ग्रामीण समाज पर उनके प्रभाव का अध्ययन
- मरूस्थल क्षेत्र में सामाजिक, सरंचनात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारकों में अन्तर्सबन्धों का अध्ययन
- मरूस्थलीय क्षैत्र में पेयजल, परिवहन व संचार सुविधाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन
- ग्रामीण औद्योगिक स्थिति में सुधार का अध्ययन करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार क्षेत्र में हुए सुधारों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

यह शोध द्वितीयक आकडों में आधारित है साथ ही आवश्यकता अनुसार प्राथमिक आकडों का प्रयोग किया गया है। जिसमें छायाचित्रों का प्रयोग किया गया तथा प्राप्त आकडों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है तथा सुचकांक के माध्यम में आकडों का विश्लेषण किया गया है।

राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र जनांकिकी स्थिति

राजस्थान की कुल जनसंख्या का 75.1 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है जिसमे राजस्थान में मरूस्थलीय क्षेत्र के पांच जिले ऐसे है जिसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत से अधिक भाग ग्रामीण जनसंख्या का है। इन क्षेत्र में जैसलमेर, बाडमेर, एवं जालोर में सबसे अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है। जो क्रमशः 86.71, 93.02, एवं 91.70 प्रतिशत हैं। जबकि इन जिलों का जनरसंख्या घनत्व बाकि जिलों में काफी कम है भारतवर्ष में जैसलमेंर का सबसे कम घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है।

क्रम सं.	जिला	जनसंख्या (प्रतिशत)		जनसंख्या वृद्धी दर 2001 से 2011	जनसंख्या घनत्व
		ग्रामीण	शहरी		
1.	जालोर	91.7	8.3	26.20	172
2.	बाडमेंर	93.0	7.0	32.50	92
3.	नागोर	80.7	19.3	19.20	187
4.	जैसलमेर	86.7	13.3	31.80	17
5.	गंगानगर	72.8	27.2	10.0	179
6.	बिकानेर	66.1	33.9	24.30	78
7.	चुरू	71.7	28.3	20.30	147
8.	झुन्झुनु	77.1	22.9	11.70	361
9.	जोधपुर	65.7	34.3	27.70	161
10.	हनुमानगढ	80.3	19.7	16.90	184
11.	सीकर	76.3	23.7	17.0	346
12.	पाली	77.4	22.6	11.90	164
राजस्थान		75.1	24.6	21.30	200

स्त्रोत– राजस्थान हेन्डबुक, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार

राजस्थान में मरूस्थलीय क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि में तेज गति से हो रही है देखा जाए तो बाडमेर व जैसलमेर की सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है जो क्रमशः 32.50 एवं 31.80 प्रतिशत है। मरूस्थलीय क्षेत्र के जिलो कि औसतन जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 20.5 प्रतिशत है। जो राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर से काफी अधिक है जनसंख्या वृद्धि दर यह दर्शा रही है कि इन क्षेत्र में जनसंख्या नियनंत्र के लिए

जागरूकता कि कमी है या सरकार की योजनाओं से वंचित है। राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र में ग्रामीणों में जागरूकता की कमी के कारण जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण हैं। दुसरा प्रमुख कारण महिला शिक्षा की कमी । राजस्थान में जनसंख्या बढने से गरीबी में भी वृद्धि हो रही है।

साक्षरता–राजस्थान में मरूस्थलीय क्षेत्र के जिलो में साक्षरता की स्थिति से दहनीय है जो निम्न प्रकार सारणी में प्रदर्शित की गई ।

क्र. सं.	जिला	साक्षरता		
		पुरूष	महिला	कुल
1.	जालोर	70.7	38.5	54.9
2.	बाडमेंर	70.9	40.6	56.5
3.	नागोर	77.2	47.8	62.8
4.	जैसलमेर	72.0	39.7	57.2
5.	गंगानगर	78.5	59.7	69.6
6.	थ्बकानेर	75.9	53.2	65.1
7.	चुरू	78.8	54.0	66.8
8.	झुन्झुनु	86.9	61.0	74.1
9.	जोधपुर	79.0	51.8	65.9
10.	हनुमानगढ	77.4	55.8	67.1
11.	सीकर	85.1	58.2	71.9
12.	पाली	76.8	48.0	62.4
राजस्थान		79.2	52.1	66.1

स्त्रोत– स्टेटीस्टीकल रिपोर्ट 2015, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार

राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र में साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय औसतन से कम है तथा महिला की साक्षरता पर गौर करे तो यह स्थिति इतनी खराब है कि कुल महिला का लगभग 50 प्रतिशत भाग अनपढ का है जो कभी घर से बाहार भी नही निकली। राजस्थान के जालोर, बाडमेर एवं जैसलमेर जिलों मे शिक्षा का स्तर देखने लायक है जही महिला शिक्षा सबसे न्युनतम् स्तर पर है जो क्रमशः 38.5, 40.6, 39.7 प्रतिशत मात्र है। मरूस्थलीय क्षेत्र यह आकडे शिक्षा सुविधाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते है अतः राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र शिक्षा व्यवस्था को मजबुत करना होगा।

राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र में आधारभुत सुविधाएं

- **आवास**

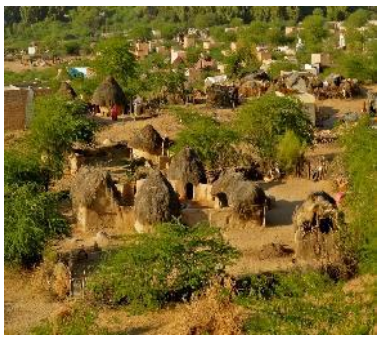

राजस्थान का मरूस्थलीय क्षेत्र रेत के टिलों में का घर है जिसमें झापडी प्रमुख आवास होता है आवास के लिए इन्द्रा आवास योजना एवं प्रधापमंत्री आवास योजना के चलते पक्के आवास में वृद्धी हुई है। गरीबी रेखा से नीचे लोगों का आवासीय स्थिति बदतर है ये लोग कच्चे घरों में निवास करते है जो बारीश व सर्दियों में अनेक समस्याओं का सामना करते है। सुरक्षा की द्रि ट आवास बस्तीयों के रूप में हाते है।

- **पेयजल**

पेयजल राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र में गांवों कि प्रमुख समस्या है जिसे लागों को शुद्ध पेयजल प्राप्त नही होता है ग्रामीण क्षेत्र में लोग जल सरंक्षण करने के लिए बडी–बडी सीमेंट की टंकीयों का निर्माण करके पेयजल कि व्यवस्था करतें है। गावों में महिलाओं को पानी के लिए लम्बा रास्ता तय करना होता है पानी लाने के साथ महिलाओं कि दिन चर्या कि शुरूआत होती है।

सरकार की ओर से प्रत्येक गांव में शुद्ध पेयजल की सुविधा के लिए पानी शुद्ध करने के लिए सयंत्र लगवायें गयें है। परन्तु ज्यादातर लोग ढाणीयों में निवास करते हैं जिसे सुविधा का लाभ नही उठा पाते है। दुर दराज निवासीयों के लिए घर घर टाकें आवंटीत किये गयें ताकी पानी की सुविधा प्राप्त हो सकें।

- **रोजगार**

राजस्थाान के मरूस्थलीय क्षेत्र में ग्रामीणों का प्रमुख रोजगार मजदुरी पशुपालन एवं खेती करना है। खेती बारीश होने पर ही होती है बारीश के अभाव में पुरूष अन्यंत्र रोजगार के लिए प्रवास करते है भारत सरकार की महीनरेगा योजना से रोजगार में वृद्धि हुई है जिसमें ज्यादातर महिला कार्य करती है महानरेगा राजस्थान में रोजगार बढाने में महत्वपुर्ण भूमिका है।

राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र में ग्रामीण विकास की प्रमुख समस्याऐं

- मरूस्थलीय क्षेत्र में शिक्षा स्तर निम्न होना जिससे ग्रामीण योजनाओं की पुरी जानकारी नही हो पाती इसके कारण योजनाओं का पुरा लाभ नही उठा पाते।
- आर्थिक, सामाजिक, व सांस्कृतिक की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों से बहुत नीचे स्तर पर मरूस्थलीय क्षेत्र में संसाधनों कि कमी प्रमुख समस्या है जिसके चलते गांवों के लागों का प्रवास होता है।
- महिला शिक्षा का न्युनतम स्तर से महिला सशक्तिकरण का निम्न स्तर।
- जागरूकता की कमी के कारण विकास योजनाओं का लाभ अन्तिम व्यक्ति तक ना पहुचना।
- मरूस्थलीय क्षेत्र में जल का अभाव होने से पेयजल एवं सिचांई की प्रमुख समस्या।
- मरूस्थलीय क्षेत्र वर्षा पर निर्भर जिसे बार बार सुखें की समस्या।
- पशुपालन एवं मजदुरी प्रमुख व्यवसाय।
- शुद्ध पेयजल का अभाव।
- मरूस्थलीय क्षेत्र के गांवो में परिवहन की प्रमुख समस्या।

निष्कर्ष एवं सुझाव

ग्रामीण क्षेत्र में आधारभुत संसाधनों का अभाव रहने से सम्पुर्ण विकास की नही हो पाया है क्योंकि गावों का विकास स्तर प्रत्येक गांव का असमान रूप में दिखाई दे रहा है। कही जिलों में साक्षरता, रोजगार, स्वास्थय सुविधा एवं अन्य कारकों की स्थिति बदतर है तो कही गांवों में औसतन हैं मरूस्थलीय क्षेत्र के गावों का विकास असमान है जिसके लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत है –

- ग्रामीण विकास की विकासात्मक योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जाए ताकी आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके।
- महिला शिक्षा को बढावा दिया जायें क्योंकि मरूस्थलीय क्षेत्र में महिला साक्षरता सबसे न्युनतम स्तर पर है।
- रोजगारपरक योजनों का लागु करना ताकी प्रवास रोका जा सके ।
- पेयजल कि सुविधाओं को बढाया जाए ।
- स्वयं सहायता समुह के माध्यम से गांवो के विकास एवं जागरूकता बढाना।

References

⇒ Ahluwalia,s. (1977): “Rural Poverty and Agriculture Performance In India”, Journal of Development studies, World Bank reprint P50.

⇒ Ambedkar, S. Nagendra (1994): “Integrated Rural development programme-Implementation process”, Rawat publication, Jaipur

⇒ Anonymous (1974). Basic Resource of Barmer District. CAZRI Jodhpur.

⇒ Anonymous (1974). Basic Resource of Jalore District. CAZRI Jodhpur.

⇒ Anonymous (1980), perspective plan of Rajasthan, vol.2, National council of applied economics research, New Delhi.

⇒ Arora, RC (1979). Intregrated Rural Development; S Chand & Company New Delhi.

⇒ Choubay, B.N. (1955) “Agriculture Banking in India”, Natioal Publishing House, New Delhi.

⇒ Degankar, C.k (1990),’ District Planning and Economics Development’’ Pointer Publisher Jaipur.

⇒ Dhadave, M.S.(ed), (1996): “Rural and urban studies in India”, Rawat Publication Jaipur. P (90-92).

⇒ Economics Review (2013-13): “Govt of Rajasthan”. P-11

⇒ Gaji, B.L. (2000): “Impact of Technological change major crops of arid zone of Rajasthan”, Rawat Publication, Jaipur. P-130-131

⇒ Gulab,S. (1993) : “Rural Employment Programme case for Innolving Voluantary organization”, Economics & Political weakly, Voluame 28. PP- 409-413

⇒ Jain, Gopal (1997): “Rural Development” Mangaldeep Publication Jaipur P-39-43

⇒ Mandal, S.k. (1987) Regional Disparities and Imbalance In India, Planning commission of India

⇒ Mandiya, veena.(1997)”, Development Schemes Jaisalmer, College Book House Chora Rasta Jaipur.

⇒ Mehta, Ajays. (1996): “An Anatomy of Change In tow village” Economices & political weakly volume 118, march 2004

⇒ Mehta, B.C. (1993): “Region and class specific determination of Rural poverty In India”, Rajasthan Rural Development Studies center, Jaipur

⇒ Nathu Ramka, Laxminarayan (2001) Geography & Economy, College Book House Chora Rasta Jaipur.

⇒ Pant, D.C. (2002): “Rural Development & Programme of Village Level”, college book depo Jaipur,- P110.

⇒ Parthsarthy, G. (New Addition 2004): “Economics Reforms and Rural Development In India”, National Publishing House, New Delhi. p-88-90

⇒ Rajasthan Development Report (2012), Planning Commission, Govt. Of India, NewDelhi.

⇒ Rangrajan, c. (2002) : “Innovation In Banking In India Experience”, Oxford and IBH Publishing Company, New Delhi. P200

⇒ Sangita, S.N. (1990): “Self Emplyment Programme for youth-The Role of Non-govt. organization”, Economics Jouranl, Volume 5 November 1990.

⇒ Singhal, Mohan (2001): “Rajasthan ki Arth Vavyastha”, A Like Publication, Ajmer.

⇒ Sinha Ranjit (2014): “Institutional and capacity Building for sustainable rural Development in India for The comming decade”. publish by ICSSR, New Delhi

⇒ Srinivasan, M.N.(1993): “India’s Village”, media promoter & Publishing, Bombay. (second revised addition)

⇒ Twelve five year plan (2012-17) volume -1 planning commision of India.

⇒ Verma, M.L. (1988): “Rural Banking In India”, Rawat Publication, Jaipur.

☯☯☯

10

सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन पर भारत के कार्य

डॉ. विकास कुमार भैड़ा*

परिचय

वैश्विक स्तर पर सतत् विकास के ज्ञान और सूचना के विचार अभिव्यक्ति और प्रसार गत तीन दशकों में संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में विभिन्न गहन गतिविधियों का परिणाम है। सतत् विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के व्यापक समर्थन का यह एक साक्ष्य है, जिसने बहुतायत में राष्ट्रों के घोषणा–पत्रों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रस्तावों और महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के बीच से अपना एक रास्ता बनाया है। रियो घोषणा–पत्र में मुख्य रूप से सतत् विकास की वैचारिक सामग्री प्रस्तुत की गई। सतत् विकास की अवधारणा ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनियाँ, राजनीति और वैश्विक नागरिक समाज में काफी मजबूती से अपनी जड़े जमा ली है। और आज सतत् विकास एक ऐसा शब्द बन गया है जिसका व्यापक रूप से उपयोग राजनीतिज्ञ, विद्वान, पर्यावरणविद्, अर्थशास्त्री, नीति निर्माता पूरी दुनियाँ में धड़ल्ले से लेने लगे हैं। लेकिन इन सबमें महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सतत् विकास को अब भी परिभाषित करने और बदलती जरूरतों के हिसाब से समझने का कार्य जारी है। चूंकि यह शब्द सबसे पहले 1980 के दशक में ब्रूटलैण्ड सम्मेलन से विश्व मंत्र पर आया। इसके बाद सतत् विकास सुनहरे भाषण बाजी का आवश्यक अंग बन गया हैं हालांकि समय के साथ–साथ सतत् विकास की अवधारणा अब परिपक्व हो चली है और इसी के साथ ही भाषणों व लेखों में इसकी प्रशंसा और आलोचना होती रहती है।

अवधारणा का अर्थ और विकास

प्रकृति के संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच सम्बन्धों की शुरुआती प्रतिक्रिया की जड़े अतीत में 18वीं और 19वीं शताब्दी में ढूँढ़ी जा सकती है। लेकिन अवधारणा के बारे में आधुनिक समझ और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान व्यापक रूप से संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अभियानों और सम्मेलनों

* व्याख्याता भूगोल विभाग, रविन्द्रनाथ टैगोर महिला महाविद्यालय, निवाई, टोंक, राजस्थान।

~ The chapter is based on the paper presented in "**International Conference on Modern Management Strategies, E-commerce and Global Economy-In Indian Context**" Organized by **Inspira Research Association (IRA),** Jaipur **& LBS PG College,** Jaipur, Rajasthan, India. **02-03 February, 2018.**

का परिणाम है। सतत् विकास पर समझ का रूख उस समय बदल गया जब 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया। हालांकि इन सबके बावजूद सतत् विकास का अभी तक उल्लेख नहीं किया गया था, पर पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच सम्बन्ध स्पष्ट रूप से सिद्धान्तों के स्टॉकहोम घोषणा पत्र में किया गया। इस घोषणा पत्र को सतत् विकास के अवधारणा परक प्रकार का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव माना गया। पर्यावरण के ह्रास को रोकने तथा भूमण्डलीकरण तापन की समस्या के समाधान के लिए टिकाऊ/सतत/धारणीय विकास अनिवार्य है।

पर्यावरण नुकसान के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण खुलासा वैज्ञानिक लेखन राचले कार्सन ने अपनी पुस्तक "दि साइलेन्ट स्प्रिंग" (1962) में किया। इस पुस्तक ने कीटनाशकों के प्रयोग से नष्ट होते वन्य जीवों की और लोगों को ध्यान खींचा। यह पुस्तक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था व समाज के बीच अन्तरसम्बन्धों को बेहतर ढंग से समझने में मील का पत्थर साबित हुई।

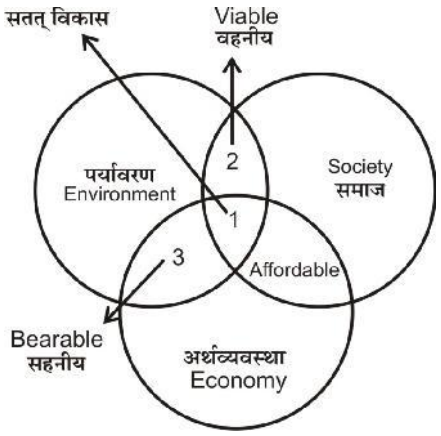

धीरे–धीरे इस अवधि में वैश्विक पर्यावरण की सीमा का भय उभरने लगा। इसके बाद जीव विज्ञानी बाल एहर्लिक की पुस्तक (1968) पापुलेशन बंब प्रकाशित होते ही जैसे एक धमाका हो गया। इस पुस्तक में मानव आबादी संसाधन शोषण और पर्यावरण के बीच सम्बन्धों को रेखांकित किया गया था। 1972 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने स्टाकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया था कि गरीबी उनमूलन दुनिया के लिए पर्यावरण रणनीति के लक्ष्य का एक अभिन्न अंग है।

1987 में ब्रटलैण्ड महोदय ने अपनी रिपोर्ट में सतत् विकास की अवधारणा विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढत्री अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करे की आने वाली भावी पीढ़ी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा पारितंत्र भी स्वतन्त्र एवं टिकाऊ अवस्था में बना रहे। सतत् विकास से तात्पर्य ऐसा विकास जो सबके लिए हो, और हमेशा के लिए हो, और इसको पाने के दौरान पर्यावरण अवनमन न हो।

सतत् विकास के लक्ष्य

वैश्विक स्तर पर धारणीय विकास के 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्यों को अपनाया गया है। प्रत्येक देश को अपने लिए उपयुक्त संकेतकों का विकास करने की आजादी है। भारत में नीति आयोग को सतत् विकास के लक्ष्यों के क्रियान्वयन के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय सम्बन्धित राष्ट्रीय संकेतकों को विकसित कर रहा है। देश में नीति आयोग

ने सरकारी पहलों पर नोडल केन्द्रिय मंत्रालयों के 17 लक्ष्यों सहित केन्द्रिय प्रायोजित स्कीमों और वैकल्पिक स्कीमों और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रत्येक मंत्रालय के 169 उपलक्ष्यों का भी पता लगाया है। कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी सतत् विकास के लक्ष्यों का तेजी से क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रमों तथा उनके सम्बन्धित विभागों के सम्बन्धित लक्ष्यों तथा एसडीजी का इसी तरह पता लगाया हैं एसडीजी में हमारे राष्ट्रीय विकास एजेण्डे की झलक दिख जाती है और इसलिए कई सरकारी कार्यक्रमों व पहलों को पहले से ही एसडीजी से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा, अधिक बजटीय आवंटन के जरिए अवसरंचना सृजित करके और गरीबी को खत्म करने के चलाये जा रहे कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया गया है। विभिन्न उद्देश्यों, लक्ष्यों को अपास में पूरी तरह जोड़ा गया है।

धारणीय विकास के लिए 2030 के एजेण्डे पर हस्ताक्षरकर्ता के नाते भारत नियमित रूप से एसडीजी की प्रगति की अन्तर्राष्ट्रीय समीक्षा में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2030 के एजेण्डें की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरूआत और समीक्षा का केन्द्रिय मंत्र उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम है। जो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक–आर्थिक परिषद् के तत्वावधान के अन्तर्गत 2016 से हर साल बैठके आयोजित की है। एच.एल.पी.एफ. द्वारा जुलाई 2017 की आगामी वार्षिक समीक्षा में भारत ने 44 देशों के साथ अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की है।

सतत् विकास एवं जलवायु परिवर्तन पर भारत के कार्य

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजनाः भारत सरकार द्वारा जलवायु पर जून, 2008 में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई, जिसमें 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।

- जवाल लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन
- राष्ट्रीय परिवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन
- राष्ट्रीय जल मिशन
- राष्ट्रीय हरित भारत मिशन
- राष्ट्रीय धारणीय प्राकृतिक वास मिशन
- राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन
- राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र धारणीय मिशन
- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सामरिक दमनकारी मिशन।

इनमें से प्रत्येक मिशन एक मंत्रालय के अन्तर्गत चलाया जाता है। वहीं इसको क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं मंत्रालय इसकी बजटीय व्यवस्था तथा इस पर कार्य किए जाने की प्राथमिकता तय करता है।

राष्ट्रीय हरित कोरिडोर कार्यक्रमः नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति में उतार–चढ़ाव को दूर करने के लिए सरकार ने 2013 में एक राष्ट्रीय हरित कोरीडोर कार्यक्रम की घोषणा की थी। भारतीय पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन अन्तर राज्य ट्रान्समिशन कोरीडोर तैयार कर रहा है और राज्य ट्रान्समिशन उपयोगिता अन्तर–राज्य ट्रान्समेशन अवसंरचना को स्थापित करने और सुदृढ़ करने के लिए उत्तरदायी है। हरित ऊर्जा कोरिडोर के अन्तर्गत अन्तर–राज्य ट्रान्समिशन स्कीमों को राज्य सरकार की 20 प्रतिशत इक्विटी, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण निधि से 40 प्रतिशत अनुदान और 40 प्रतिशत के उधार लक्ष्य से वित्त पोषित किया जाएगा। हरित कोरिडोर की अन्तर राज्य ट्रान्समिशन परियोजना 2018 तक पूरी हो जाएगी।

स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी हेतु आर.एण्ड.डी.: वर्ष 2016 में आर्थिक कार्य सम्बन्धी मंत्रीमण्डल समिति ने 1554 करोड़ की अनुमानित लागत पर मिशन मोड़ पर थर्मल पॉवर प्लान्ट हेतु विकसित उन्नत अति सक्रिय प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आर. एण्ड डी. परियोजना को अनुमोदित किया है।

राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशनः सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय में धारणीय पर्यावरण और समावेशी विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के लिए हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रतिरोपण, सौन्दर्यीकरण तथा रखरखाव) नीति 2015 लागू की है। इस नीति के संरक्षण अन्तर्गत हरित कोरिडोर बनाने का प्रस्ताव है साथ ही तैयार और भविष्य में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्गें में अधिकृत रास्तों से अतिरिक्त उपलब्ध चौड़ी जगह को छायादार मार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत को राष्ट्रीय अधिकृत राजमार्ग मिशन को राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े एक लाख किलोमीटर के नेटवर्क में सड़क के किनारे वृक्षारोपण की योजना तैयार करने, क्रियान्वित करने और उस पर निगरानी का कार्य सौंपा गया है।

हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्मित करना (फेम भारत): नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के अन्तर्गत फेम इण्डिया स्कीम के तहत् भारती उद्योग विभाग में अप्रैल, 2015 से फरवरी 2017 तक 1.11 लाख लेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों को खरीदने के लिए 127 करोड़ रुपये मांग प्रस्तावित की है पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम इण्डिया कार्यक्रम पर ध्यान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण निधिः 2010–11 के बजट वर्ष में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने, वित्तियन करने, स्वच्छ ऊर्जा पहलों को बढ़ावा देने से उत्पादित आयातित कोयले पर उपकर लगाकर एक राष्ट्रीय ऊर्जा निधि नामक एक कोष बनाया गया है। तत्पश्चात् इस कोष में स्वच्छ पर्यावरण पहलों को भी शामिल करके इस क्षेत्र को विस्तारित किया गया है। 2010 में 1 टन कोयले पर 50 रु. उपकर लगाया गया जो वर्तमान में 1 टन कोयले पर 40 रुपये हो गया हैं केन्द्रिय कर 2016–17 में इसे ही "स्वच्छ पर्यावरण उपकर" कहा गया है।

पर्यावरणानुकूल कदम

- एक राष्ट्र के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन पूर्णतः अनिवार्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अनुकूलन पर बहुत जोर देती है। 2015–16 व 2016–17 के लिए 350 करोड़ रु. के कोष के साथ केन्द्रिय स्कीम के रूप में राष्ट्रीय अनुकूलन निधि सृजित की गई है। इस कोष का उद्देश्य अनुकूलन के ठोस क्रियाकलापों में सहयोग देना है जो समुदाय, क्षेत्र विशेष व राज्य के सामने आ रहे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्र व राज्य सरकार की स्कीमों के जरिए चल रहे क्रिया कलापों में कारगर नहीं होती है।
- देश में बदलती जलवायु परिस्थितियों के तहत् इसकी वहनीयता को सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड द्वारा जलवायु प्रतिरोधक क्षमता ग्रामीण अवसरंचना विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यू.एन.एफ.सी.सी. के अन्तर्गत हरित जलवायु निधि के लिए और अनुकूलन निधि के लिए राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था के रूप में नाबार्ड को अधिकृत किया गया है। हरित जलवायु निधि की सीधे सम्पर्क संस्था होने के नाते नाबार्ड को अधिकृत किया गया है। हरित जलवायु निधि की सीधे सम्पर्क संस्था होने के नाते नाबार्ड ने 16वीं जी.सी. बोर्ड की बैठक के बाद ओडिशा के पिछड़े जनजाति क्षेत्र में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के

लिए भूमिगत जल को फिर से भरना और सूक्ष्म सिंचाई सम्बन्धी परियोजना को अनुमोदित कराकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

भारत में एन.सी.ई.एफ. परियोजनाओं का ब्यौरा (रु. करोड़ में)

वर्ष	संग्रहित कोयला सेस	एन.सी.ई.एफ. को अंतरित राशि	एन.सी.ई.एफ. से परियोजनाओं के लिए वित्त पोषित राशि	परियोजनाओं की संख्या
2011–12	2579.55	1066.46	220.75	9
2012–13	3053.19	1500.00	246.43	6
2013–14	3471.98	1650.00	1218.78	11
2014–15	5393.46	4700.00	2087.99	19
2015–16	12675.00	5123.00	5234.80	10

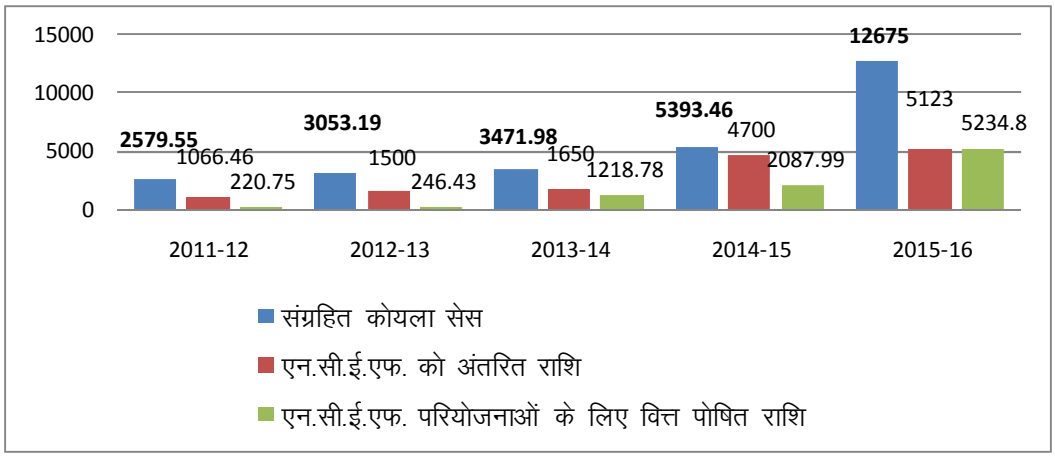

- देश में 2016 में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को खरीफ फसलों पर कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री फसलबीमा योजना व मौसम आधारित फसल बीमा योजना के माध्यम से 2016 में इन्होंने 33 लाख किसान कवर किए। बजटीय अनुमानों के अनुसार देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 2016–17 में सरकार ने किसानों को 846 मिलीयन अमेरिकी डॉलर आवंटित किया गया है। सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए जलवायु बीमा पर ध्यान दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन व आपदाओं के प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए निम्न वित्तीय साधनों पर ध्यान दिया जा रहा है। आकस्मिकता निधि, आकस्मिक ऋण, अनुदान का अन्य जोखिम अन्तरण उपाय।

भारतीय वित्तीय क्षेत्र की जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने व धारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए भूमिका

- धारणीय विकास के लिए वित्त व्यवस्था करने में बैंकों की भूमिका को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया जागरूक रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा बैंकों को धारणीय विकास की प्रगति की दिशा में सचेत रहने, कोरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियाँ तथा ऋण देने की कार्यनीतियों को दुरस्त करने व संशोधित करने को कहा गया है।

- देश में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, लघु व मध्यम दर्जे के उद्योगों) को 40 प्रतिशत ऋण आवंटित करना। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने 2015 से सामाजिक आधारभूत संरचना व लघु नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण देना शामिल किया। जिससे हरित वित्त पोषण को प्रोत्साहन दिया जा सके। नवीनीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सौर आधारित विद्युत जनरेटरों, जैव इंजन आधारित विद्युत जनरेटरों, पनचक्कियों माइकल हाइडेल प्लान्टों के लिए 15 करोड़ रु. बैंक ऋण से जारी किए।
- ब्रिक्स देशों द्वारा 2015 में बनाये गये न्यू डवलपमेन्ट बैंक का उद्देश्य सदस्य देशों व अन्य विकासशील देशों में भी धारणीय विकास पर ध्यान देना होगा। इसके लिए 2016 में एन.डी.बी. ने 7 परियोजनाओं का अनुमोदित किया है। उनमें से दो भारत में है। भारत के लिए 600 मिलीयन अमेरिकी डॉलर के दो ऋण अनुमोदित किए गए हैं।
- विदेशी/बाह्य वाणिज्यिक उधारों के मानदण्डों को उदार बनाया गया है। जिससे की हरित परियोजनाओं के लिए देश से बाहर भी वित्त जुटाया जा सके।
- कम्पनी अधिनियम 2013 में कम्पनिरयों को कोरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों पर वार्षिक लाभ का 2 प्रतिशत भाग खर्च करने का निर्देश देता है। अनुमानतः देश में एक वर्ष में 220 बिलियन रुपये सी.एस.आर. निधि के रूप में पर्यावरणीय संरक्षणीय उपायों पर व्यय किया जायेगा।

भारत में पर्यावरणीय सम्बन्धी कानून व संवैधानिक प्रावधान

- देश में पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए–वन्य जीव अधिनियम 1972, जलप्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, नेशनल पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 कार्यरत है।
- देश में संवैधानिक प्रावधानों के रूप में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 48ए और 51ए (जी) के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण का दायित्व राज्य व उसके नागरिकों पर डाला गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

⇒ CPC (Climate Policy Institution) (2015), Reaching India's Renewble Energy Targets cost esteetively, CPI-ISB Series.
⇒ CSO (Central Statistic Office) (2017), Energy Statistics 2017, CSO, New Delhi.
⇒ Indian Economic Survey 2016-17.
⇒ IRENA (International Renewable Energy Agency) (2017).
⇒ NITI Ayog (2015), A Report on Energy Efficiency and Energy Mix in the Indian Energy system (2030), Using India Energy Security Scenario 2047.
⇒ Roenweal Cosson "The Silent Spring", 1962, Penguin book, pp.45.
⇒ Staeknalm declaration on the Human Environment 1972, 4 pp. 15-20.
⇒ Sustanble development in India (www.moef.nic.in)
⇒ TERI (The energy and resources mistitutge) (2017), New Delhi.
⇒ UNFOCR Website: http//unfcc.int/2860.

11

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अहिंसा की उपयोगिता

डॉ. मीनाक्षी विजय*

परिचय

इस शताब्दी में विज्ञान और तकनीक के अंधाधुंध प्रयोग से लोगों के दुख, कष्ट और गरीबी में बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार का शोषण न केवल गरिमाहीन, अमानवीय है बल्कि अनैतिक भी है। इस प्रकार से ऐसी कोई व्यवस्था, जो अन्य लोगों के कल्याण के लिए व्यक्ति को साधन के रूप में प्रयोग करे, वह मूल रूप से अनैतिक है और स्थायी रूप से उसका त्याग करना ही श्रेष्ठकर है। गांधीजी ने मानवता के मामलों में नैतिक नियम की सर्वोच्चता का समर्थन किया है। हमारा आदर्श कभी भी नैतिक नियम से पृथक नहीं होना चाहिए।

दर्शनशास्त्र विषय में व्यवस्था निर्माता का उल्लेख भी आता है और गांधीजी हमारे सामने किसी भी अन्य व्यवस्था निर्माता की तरह मानवीय समाज की एक विस्तृत योजना को रखते हैं। गांधीजी के विचार की कड़ियों को उनके केन्द्रीय विचार सत्य–अहिंसा की रोशनी में ही समझा जा सकता है। गांधीजी के विचारों का अधिकांशतः आलोचनात्मकता का कारण यह रहा है कि उनके विचारों व कार्यों का आंशिक अध्ययन ही किया गया है। गांधीजी स्वयं किसी भी 'वाद' के विरूद्ध थे। इसलिए गांधीजी को किसी 'वाद' के दायरे में लाना कोई बुद्धिमता की बात नहीं होगी।

गांधीजी एक शोषणविहीन व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे। गांधीजी का प्राचीन भारतीय परंपराओं पर विश्वास था। भारतीय परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें नैतिकता व मानवीय मूल्यों पर बल दिया गया है। चाहे दर्शनशास्त्र की रूढ़िवादी पद्धति (सनातनी) हो या असनातनी, ये सभी पद्धतियां मूलभूत रूप से व्यक्ति, नैतिकता व समाज से सरोकार रखती हैं। गांधीजी इनसे काफी प्रभावित थे और इसी आधार पर उन्होंने समाज व सामाजिक परिवर्तन के एक सुविस्तृत

---

* व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग, एस.एस.जैन सुबोध कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सिलेंस, सीतापुरा, जयपुर, राजस्थान।

~ The chapter is based on the paper presented in "**International Conference on Modern Management Strategies, E-commerce and Global Economy-In Indian Context**" Organized by **Inspira Research Association (IRA),** Jaipur **& LBS PG College,** Jaipur, Rajasthan, India. **02-03 February, 2018.**

सिद्धांत का विकास किया। वास्तविकता तो यह है कि गांधीजी के सारे सिद्धांतो में सत्य और अहिंसा का समावेश है। सत्य और अहिंसा उनके सब सिद्धांतों के इर्द–गिर्द घूमते हैं।

गांधीजी ने न केवल व्यक्ति को बल्कि समाज को भी नैतिक बनाने का प्रयास किया और वे अहिंसा आधारित सभ्यता का निर्माण करना चाहते थे। गांधीजी ने परिस्थितिकीय तंत्र (सब प्राणियों में एकता) की स्थापना का आग्रह भी किया है। गांधीजी के प्रस्तावों की रूपरेखा का आधार राज–व्यवस्था का फिर से निर्माण और समाज का पुनरूद्धार का विचार है। ऐसी व्यवस्था में सत्य के मार्ग और अहिंसा के पोषण को पूरी तरह बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरह, हम देखते हैं कि संपूर्ण गांधीवादी दर्शन सत्य–अहिंसा की संकल्पना के इर्द–गिर्द ही घूमता है।

गांधीजी के विचारों में खुले ह्रदय का व्यक्ति और वैकल्पिक विचारों की सहिष्णुता पर बल दिया गया है। यद्यपि विभिन्न विचारों को स्वीकार करने व उनका स्वागत करने में गांधीजी कठिनाई का अनुभव करते हैं।

गांधीजी ने पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया है। इस संदर्भ में अहिंसा की गांधीवादी संकल्पना की प्रासंगिता को उकेरा जा सकता है। गांधीजी ने अपनी अहिंसा की तकनीक द्वारा न केवल मानव–जाति के बीच संघर्ष को सुलझाया बल्कि मानव–जाति और प्राकृतिक संसार के बीच संघर्ष का भी निवारण किया। गांधीजी अपने कार्यों व विचारों में पर्यावरण को लेकर काफी चिंतित थे। गांधीजी के अनुसार पर्यावरण की सारी समस्याओं का कारण यह है कि व्यक्ति प्रकृति के साथ सोहार्दपूर्ण ढंग से नहीं रहना चाहता है, बल्कि वह प्रकृति पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करता है। उनके कुछ विचारों जैसे–विकेन्द्रीकरण, सरल जीवन, ऊर्जा के नवीनीकरण संसाधनों का प्रयोग करना, जन द्वारा उत्पादन में हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी चिंता स्पष्ट रूप से देखते हैं। गांधीजी ने टिप्पणी की थी कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के लिए पर्याप्त विश्व संसाधन हैं, परन्तु प्रत्येक की लालच की पूर्ति के लिए नहीं है।

गांधीजी ने अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज' में आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है। पाश्चात्य संसार की प्रवृत्ति उत्पादों का उपभोग करने की ओर है जिसके कारण व्यवस्थित ढंग से प्रर्यावरण प्रदूषित होता है और जहरीले अपशिष्ट पैदा होते हैं। गांधीजी ने हमें चेतावनी देते हुए कहा है कि भौतिक सुविधाओं की अति लोभी खोज और फिर उनको बढ़ाते जाना एक बुराई है। उन्होंने कहा कि ''मैं बहादुरी के साथ कहता हूँ कि यूरोपीय लोग जिन सुविधाओं के गुलाम हो गए हैं और उनके भार के नीचे दबकर नष्ट नहीं होना चाहते हैं, तो उन्हें अपने विचारों में, बदलाव की पागल दौड़ में, लगे लोगों को अपने कार्यों पर पश्चाताप करते हुए कहेंगे कि यह हमने क्या कर डाला।''

उनके अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में विचार काफी स्पष्ट हैं। यदि मल का सही ढंग से प्रयोग किया जाता है तो लोगों को इससे बढ़िया प्राकृतिक खाद मिलेगी और उनकी बहुत से रोगों से लड़ने की, प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाएगी। गांधीजी का कहना है, ''यदि भारत की आम जनता आपस में सहयोग करें तो इस देश की भोजन की कमी दूर की जा सकती है, बल्कि आवश्यकता से अधिक भोजन का उत्पादन किया जा सकता है। जैविक खाद मिट्टी को कभी नुकसान नहीं पहुँचाती बल्कि उसकी पोषकता को बढ़ाती है।''

अहिंसा का गांधीवादी सिद्धांत सर्वेश्वरवाद बुद्धिवाद पर आधारित है। और बहुत से पर्यावरण और बहुत से पर्यावरण आंदोलनों विशेषकर ''व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र आंदोलन'' (डीप इकॉलोजी

मूवमेंट) के लिए प्रेरणा का स्त्रोत रहा है। जब हम पर्यावरण के नीतिशास्त्र पर एक दृष्टि डालते हैं, तब पर्यावरण के प्रति हमारे उत्तरदायित्व के औचित्य को लेकर दो दृष्टिकोण नजर आते हैं। ये दो दृष्टिकोण हैं मानव केन्द्रित दृष्टिकोण (व्यक्तिवादी दृष्टिकोण) और ब्रह्माण्ड केन्द्रित दृष्टिकोण (सम्पूर्ण दृष्टिकोण)। मानव केन्द्रित दृष्टिकोण के अनुसार केवल मानव–जाति का ही मूलभूत मूल्य है और गैर मानव प्राणी अनावश्यक है। गांधीजी का दृष्टिकोण मानव केन्द्रित नहीं है। उनका कहना है कि व्यक्ति के पास पैदा करने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए उसे नष्ट करने का भी अधिकार नहीं है। व्यक्ति की सोचने की शक्ति अधिक है इसलिए उसे निचली जातियों के प्रति दयालुता का भाव रखना चाहिए। गांधीजी का पर्यावरण के प्रति जो दृष्टिकोण है वह मानव केन्द्रित नहीं है, उनका नीचे लिखा वक्तव्य इसको दर्शाता हैः

''यह एक झूठा दावा है कि मानव–जाति निचली जाति की स्वामी और देवता है। इसके विपरीत मानव–जाति को जीवन में उच्चतर चीजों से सुशोभित किया गया है और वह निचले प्राणी जगत का न्यासी है।''

गांधीजी के अनुसार यह पृथ्वी एक जीवन ग्रह और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें बहुत सारे जीवित और गुंजायमान पारिस्थितिकी तंत्र है। ये पारिस्थितिकी तंत्र जीवन की निरंतरता को बनाए रखने की पूर्व शर्तें हैं और पृथ्वी पर जीवन का विकास और अस्तित्व इन्हीं पारिस्थितिकी तंत्रों में विद्यमान है। गांधीजी का दृष्टिकोण ब्रह्माण्ड केन्द्रित है। वास्तविकता की प्रकृति आध्यात्मिक और दैवीय है। उनके अनुसार नैतिक प्रगति वास्तव में आत्म सुधार की प्रक्रिया है और जब व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण वास्वतिकता से जोड़ता है तब इसकी अभिव्यक्ति होती है। अहिंसा को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू करने से नैतिक कारक वह स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जहाँ न केवल सब मानव जातियों के साथ एक सा व्यवहार किया जाता है, बल्कि सारे पेड़–पौधे व कीट–पतंग नैतिक सरोकार के क्षेत्र में आ जाते हैं। गांधीजी ने सत्य की सजीव, संपूर्ण और सर्वेश्वरवादी संकल्पना का समर्थन किया है। यह संकल्पना पर्यावरण के प्रति चिंता को एक नैतिक औचित्य प्रदान करती है। सामाजिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह अहिंसा की तकनीक से जुड़ा हुआ है। अहिंसा की गांधीवादी संकल्पना के बारे में मार्टिन लूथर किंग टिप्पणी करते हुए कहते हैंः

''.....भारत के लोगों ने यह दिखाया है कि अहिंसा एक शक्तिशाली नैतिक शक्ति है और सामाजिक परिवर्तन के लिए इस अहिंसा का निर्माण हुआ है। शीघ्र ही या कुछ समय पश्चात संसार के सब लोगों को शांति में एक साथ रहने के लिए मार्ग खोजना होगा....व्यक्ति को चाहिए कि वह सब मानवीय आक्रमण और बदले की कार्यवाही का विरोध करती है।''

गांधीजी की अहिंसा केवल व्यक्तिगत नैतिकता तक ही सीमित नहीं है।

गांधीजी का विशेष योगदान यह है कि उन्होंने अहिंसा को धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में कठोरता से लागू किया है और इसके द्वारा राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक पुनरूद्धार के कार्यों को करने के लिए अहिंसक कार्यवाही के क्षेत्र का विस्तार किया है। अहिंसा जीवन का एक कार्यशील नियम है। गांधीजी कहते हैं कि ''मैंने अपनी ऊर्जा को अहिंसा के प्रचार में लगाया है और यह हमारे जीवन, व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का नियम है।''

अहिंसा की गांधीवादी संकल्पना काफी व्यापक एवं एक विस्तृत सिद्धांत है। अहिंसा के इस सिद्धांत को जीवन के सभी क्षेत्रों में फैलाना चाहिए। यह एक अखण्ड व एकीकृत सिद्धांत है और यह अलग–थलग कार्यों या मानव जीवन के संकुचित दायरों तक सीमित नहीं है।

गांधीजी ने अहिंसा को व्यक्तियों के परस्पर संबंधों से निकालकर इसे परिष्कृत किया और इसे एक शक्तिशाली व प्रभावशाली सामाजिक शक्ति के रूप में पेश किया, जिसके व्यापक स्तर पर व्यवहार में लाया जा सके। गांधीजी के अनुसार अहिंसा एक मूल्य है और व्यक्ति इसको न केवल व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहार में लाए, बल्कि सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इसका प्रयोग करें। गांधीजी ने व्यावहारिक दृष्टिकोण से अहिंसा को कभी नहीं देखा बल्कि अहिंसा तो प्रतिबद्धता और विश्वास का मामला है। वर्तमान समाज कट्टरपंथ, आतंकवाद और नक्सलवाद की चुनौतियों का सामना कर रहा है। संसार का प्रत्येक देश किसी न किसी रूप में इन चुनौतियों का सामना कर रहा है। लोगों के सामने उनके जीवन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। और इस प्रकार की हिंसा का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

हिंसा कारण की अपेक्षा रोग लक्षण अधिक है। सामाजिक अन्याय, आर्थिक शोषण और राजनैतिक अस्थिरता इस प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार की हिंसा का मुकाबला हिंसा से नहीं किया जा सकता है परन्तु सक्रिय अहिंसा से ही किया जा सकता है। समस्या का एकमात्र समाधान है–"अहिंसक सामाजिक–आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था का निर्माण करना है।" जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने उचित ही कहा है, ''वर्तमान में चुनाव हिंसा और अहिंसा के बीच का नहीं है, बल्कि यह तो अहिंसा या मानवीय अस्तित्व का न होना के बीच है।''

गांधीजी ने हमारे सामने यह आदर्श रखा है, ''हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा स्वराज आवश्यकताओं के बहुलीकरण में निहित नहीं है बल्कि उनमें सोच–समझकर स्वैच्छिक रूप से कमी और अहं का इनकार करने में है।''

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

⇒ यंग इंडिया, 27 मार्च, 1930

⇒ कलेक्टेड वर्क्स, जिन्द 42, पृ. 43

⇒ हरिजन, 5 मई, 1946

⇒ रामरतन, क्विटएसैंस ऑफ महात्मा गांधी पॉलिटिकल फिलासॅफी, नई दिल्ली सिद्धार्थ पब्लिकेशन्स, 1990

⇒ शारदा शोभिक, गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय, पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध, 1983, पृष्ठ 173 तथा रामरतन, गांधीज थॉट एण्ड एक्शन दिल्ली : कलिंगा पब्लिकेशन्स 1991 पृष्ठ 32–33

⇒ गोपीनाथ धवन महात्मा, दी पॉलिटिकल फिलासॅफी ऑफ गांधी, नई दिल्ली, गांधी फीस फाउंडेशन, 1990, पृष्ठ 342

⇒ शारदा शोभिका, पूर्वोक्त 7, पृष्ठ 266–269 तथा रामरतन गांधीज थॉट एण्ड एक्शन, दिल्ली : कलिंगा पब्लिकेशन्स 1991, पृष्ठ 49–50

☯☯☯

12

खेतड़ी तहसील पारम्परिक जल संसाधनों का भौगोलिक अध्ययन

नीतू सिंह*

परिचय

प्रकृति के पाँच उपादानों में जल सबसे महत्वपूर्ण है जो पृथ्वी पर जीवन के लिये आवश्यक है। जल का उपयोग बुनियादी मानवीय जीवन और विकास के लिए किया जाता है, साथ ही वह सम्पूर्ण जीवन चक्र के लिए महत्वपूर्ण है। पानी हमेशा से सभ्यताओं का अवलंब रहा है। लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएँ जल के नजदीक पली–बढ़ी है। पानी सदा से अपरिहार्य रहा है, न केवल मानवीय विकास के लिए बल्कि कृषि और अन्य गतिविधियों के विकास के लिए भी आवश्यक है।

पृथ्वी को अक्सर जलग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके 71 प्रतिशत भाग पर महासागरों का राज है। वास्तव में विश्व के जल–भण्डार का केवल एक प्रतिशत हमारे उपयोग योग्य है। लगभग 97 प्रतिशत जल समुद्री खारा जल है, और पृथ्वी के कुल जल–भण्डार का 2.7 प्रतिशत ही स्वच्छ जल है। उस 2.7 प्रतिशत का भी काफी हिस्सा हिमनदों और पहाड़ों की चोटियों पर जमा हुआ है। अतः विश्व का जल बहाव हमारे जीवन के लिए आवश्यक व अनमोल है।

जल–चक्र सतत् क्रिया है, लेकिन वह केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं तक ही सीमित नहीं होता। मानव की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल की हर बूंद जिसे हम पीते हैं, साफ सफाई करते हैं, फसलों की सिंचाई करते हैं, उद्योग–धंधों में प्रयोग करते हैं, इस चक्र का हिस्सा बन जाता है।

सामान्य से कम वर्षा ओर वर्षा का असामान्य वितरण जल की कमी का कारण बनता है। विश्वभर में जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे का प्रकोप बढ़ा है। इसने हमारे देश की वर्तमान स्थिति को गम्भीर बना दिया है। हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। भूतल जल स्त्रोत लगातार दूषित होते जा रहे हैं एवं इसके अत्यधिक दोहन के कारण जलस्तर गिरा है, साथ ही उसकी पुनःपूर्ति भी अकाल एवं सूखे से बाधित हुई है। योजना आयोग के

* शोधार्थी, भूगोल विभाग, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान

~ The chapter is based on the paper presented in "**International Conference on Modern Management Strategies, E-commerce and Global Economy-In Indian Context**" Organized by **Inspira Research Association (IRA),** Jaipur **& LBS PG College,** Jaipur, Rajasthan, India. **02-03 February, 2018.**

अनुसार, भारत में स्वतंत्रता के समय 200 गाँव ऐसे थे जहाँ जल स्त्रोत नहीं थे। अब लगभग 900 गाँव ऐसे हैं जहाँ समुचित जल–संसाधन नहीं है। दो तिहाई से भी अधिक भू–जल स्त्रोत सूख चुके हैं।

6 मार्च 2003 की प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की एक रिपोर्ट/प्रतिवेदन के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी के जल संसाधनों की गुणवत्ता के आकलन में भारत का स्थान 120वाँ था। इससे नीचे केवल मोरक्को और बेल्जियम थे। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता 1880 घन मीटर है और 180 देशों में जल उपलब्धता के मामले में भारत का 133वाँ स्थान है।

भारत में औसत वार्षिक भू–जल प्रवाह 186.9 मिलियन हेक्टेयर मीटर है, जिसमें समुचित संग्रहण के साथ केवल 69 मिलियन हेक्टेयर मीटर का ही उपयोग हो पाता है। सम्भावना और वास्तविक उपलब्धता में इस बड़े अन्तर का कारण स्थलाकृति और भूगर्भीय सीमाओं के अलावा मानसून है। सालभर में वर्षा केवल चार माह होती है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से कहें तो वर्षा का वितरण इतना असमान है कि इसके वार्षिक औसत का कोई महत्व नहीं रहता। वास्तव में, देश के एक तिहाई हिस्से में हमेशा सूखे का खतरा मंडराता रहता है जो वर्षा की कमी के कारण नहीं, बल्कि उसकी अनिश्चितता, असमानता, अनियमितता एवं वितरण के कारण है। वर्षा की "प्रचुरता व कमी" के कारण बाढ़ और सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है।

भू–जल के अलावा पुनः पूरणीय भू–जल स्त्रोत भी हैं। इसकी क्षमता 43.2 मिलियन हेक्टेयर मीटर आँकी गई है इसमें पुनः पूरणीय नहर सिंचाई भी शामिल है। इसका अर्थ है कि भारत में सन् 2050 में कुल उपलब्ध जल 23001 मिलियन हेक्टेयर मीटर होगा और उसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1403 मिलियन होगी। इस प्रकार अगर कुल उपलब्ध जल को शामिल कर लिया जाये तब भी देश में पानी की कमी का दबाव बना रहेगा।

ऐसी सम्भावना है कि 2050 तक देश की जनसंख्या 1640 मिलियन हो जायगी। आबादी का आधा भाग शहरी व आधा भाग ग्रामीण होगा। उसकी घरेलू जरूरतों को अगर सख्ती से शहरी क्षेत्रों में 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक सीमित कर दिया जाय तब भी 9 एम.एच.एम. जल की आवश्यकता होगी। यह ध्यान रखने की बात है कि भू–जल शहरी जरूरतों को कम ही पूरा करता है, लेकिन सम्पूर्ण ग्रामीण जरूरतें इससे पूरी होती है।

जल संसाधनों के स्रोत एवं स्थानिक वितरण प्रतिरूप

राजस्थान देश का सर्वाधिक सूखा प्रान्त होने के साथ–साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत है। राज्य की आबादी देश की आबादी का 5.4 प्रतिशत एवं पशुधन 18.7 प्रतिशत है, परन्तु सतही जल उपलब्धता मात्र 1.16 प्रतिशत है एवं भू–जल उपलब्धता भी 17 प्रतिशत है। वर्षा का राष्ट्रीय औसत जहां 1200 मि.मी. है। वर्षा अनिश्चित एवं अल्प है। पिछले 50 वर्षों मे 43 बार राज्य में कही न कहीं अकाल हुआ है। राज्य का दो–तिहाई हिस्सा मरूस्थल हे। जो कि थार मरूस्थल का हिस्सा है। राज्य मे कुल 15 नदी बेसिन है परन्तु सभी नदियाँ वर्षा पर ही निर्भर है। राज्य के 12 पश्चिमी जिलों में जो मरूस्थलीय है, उनमें वर्षा का औसत 150 मि.मी एवं 450 मि. मी. है। शेष 20 जिलों में वर्षा का औसत 400 मि.मी. से 950 मि.मी. के मध्य है तथा इनका औसत 688 मि.मी. है। सतही जल की कुल उपलब्धता का 21.71 बी.सी.एम. जल ही उपयोग में लाया जाता है। प्रतिव्यक्ति जल की न्यूनतम आवश्यकताा 1000 क्यू.मी.प्रति वर्ष आंकी गई है, वही राज्य में इसकी

उपलब्धता मात्र 800 क्यू.मी. प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष से भी कम है, जो निरन्तर कम होती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2045 में प्रतिव्यक्ति जल की उपलब्धता 436 क्यू.मी. रह जाने की आशंका है।

खेतड़ी में जल संसाधन

सतही जल संसाधन–जल सम्पूर्ण प्रगति का आधार है। राजस्थान जैसे अर्द्धशुष्क व मरूस्थली भू–भाग वाले प्रांत में जल की उपलब्धता सीमित है, जो न केवल मानवीय बसावट का आधार बल्कि उसकी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को भी प्रश्रय देता है। जिले में अपर्याप्त वर्षा होने व भू–भाग मरूस्थली होने के कारण जल संसाधनों की प्रायः कमी ही देखने को मिलती है। जिले में कोई बारहमासी नदी या स्थायी जल स्रोत नहीं है।

नदियाँ–झुंझुनूँ जिले की खेतड़ी तहसील में कोई बारहमासी नदी नहीं है। तहसील मरूस्थलीय होने के कारण वर्षा की भी अपर्याप्तता रहती है और जो थोड़ी बहुत वर्षा होती है उसे भी बालू मिट्टी तत्काल सोख लेती है, जिसके कारण दोनों तहसीलों में कोई नदी, नाला या तालाब नहीं है। जिले में बहने वाली नदियों में कांतली नदी नदी प्रमुख है।

तालाब–सिंचाई की दृष्टि से तहसील में कोई बड़ी झील या तालाब नहीं है। परन्तु जिले में छोटे तालाबों व गड्डों की संख्या काफी है।

नहरें–तहसील में 40 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर पर सिंचाई की जाती है। अन्य कोई विशेष नहर नहीं है।

भू–जल संसाधन–भूजल की दृष्टि से झुंझुनूँ जिले की खेतड़ी तहसील में प्राक् जलोढ़ मृदा के कारण भूजल विकास 64.90 है। खेतड़ी तहील की भूजल विकास दर 134.19 आंकी गयी है जो कि अतिदोहित में है। यहाँ का क्षेत्र काफी लवणीय है अतः यहाँ का भूजल पेयजल एवं कृषि कार्यों हेतु उपयुक्त नहीं है

कृत्रिम भू–जल पुनर्भरण

जिला झुंझुनूँ एवं खेतड़ी तहसीलों में तालाबों की संख्या (2001–2015)

तहसील	2001–2002			2008–2009			2014–2015		
	उपयोगी	अनुपयोगी	कुल	उपयोगी	अनुपयोगी	कुल	उपयोगी	अनुपयोगी	कुल
झुंझुनूँ	6812	750	7562	8298	786	9084	9832	895	10727
खेतड़ी	1127	11	1138	12090	03	12093	12239	543	12782

स्रोतः जिला सांख्यिकी कार्यालय, 2015

खेतड़ी तहसील में भूजल वर्गीकरण एवं संभावनाएँ

तहसील में भूजल के पुनर्भरण का प्रमुख स्त्रोत वर्षा जल है। भूजल श्रेणी का निर्धारण सामान्यतः किसी क्षेत्र में कुल भूजल दोहन एवं कुल भूजल पुनर्भरण के अनुपात (भूजल दोहन श्रेणी) के आधार पर किया जाता है। भूजल आंकलन 2014 के अनुसार निम्न श्रेणियां वर्गीकृत की गई है, जो तालिका संख्या द्वारा दर्शाया गया है–

खेतड़ी तहसील भूजल वर्गीकरण की प्रमुख श्रेणियाँ

क्र.सं.	भूजल दोहन	श्रेणी	संभावनाएँ
1.	70 प्रतिशत से कम	सुरक्षित (व्हाईट)	चयनित स्थानों पर नये कुएँ नलकूप बनाये जा सकते हैं।

2.	70 से 90 प्रतिशत	अर्द्ध विषय (ग्रे)	पूर्व में बने कुओं/नलकूपों को गहरा करवाया जा सकता है।
3.	90 से 100 प्रतिशत	विषम (डार्क)	नये कुएँ/नलकूप नहीं बनाये जा सकते हैं और न ही उन्हें गहरा करवाया जा सकता है किन्तु भूजल पुनर्भरण संरचनाएँ बनाई जानी चाहिए।
4.	100 प्रतिशत से अधिक	अतिदोहित (डार्क)	नये कुएँ/नलकूप नहीं बनाये जा सकते हैं और न ही उन्हें गहरा करवाया जा सकता है किन्तु भूजल पुनर्भरण संरचनाएँ प्राथमिकता के आधार पर बनाई जानी चाहिए।

स्रोतः कार्यालय भूजल विभाग, झुंझुंनूँ।

जल की गुणवत्ता

जल की गुणवत्ता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी मात्रा। यद्यपि पृथ्वी के कुल जल आयतन का 97.5 प्रतिशत जल लवणीय है इसलिए वह आम तौर पर उपयोग योग्य नहीं है। सामान्यताः जल की गुणवत्ता को उसकी जीवाणवीय विशेषताओं (गंधलापन, रंग, स्वाद एवं गंध) एवं रासायनिक विशेषताओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। रासायनिक विश्लेषण जिन घटकों की गणना की जाती है वे मुख्यतः आयन के रूप में पाए जाते है। जिनमें मुख्य धनात्मक आयन कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एवं लोहा होते है जबकि ऋणात्मक आयनों में सल्फेट, क्लोराईट, फ्लोराईट, कार्बोनेट एवं बाईकार्बोनेट होते है। जल में जो जीवाणु एवं सूक्ष्म जीव होते है वे सूक्ष्य दर्शी (1–4 माइकोन) होते है। हानीकारक जीवाणु जो विभिन्न प्रकार की बीमारीयों के कारक है वे रोगकारी जीवाणु कहलाते है एवं जो बीमारी पैदा नहीं करते वे गैर रोगकारी जीवाणु कहलाते है।

जल में घुलनशील संघटक विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसकी उपयोगिता का निर्धारण करते हैं। जल में घुले हुए लवणों की गुणवत्ता एवं संगठन उसके सम्पर्क में रहने वाली मृदा अथवा चट्टान की प्रकृति पर निर्भर करते है। इसलिए सामान्यताः भूमिगत जल में सतही जल की तुलना में अधिक लवण पाए जाते है। खनिजों की मात्रा सीमा से अधिक पाए जाने से जल की गुणवत्ता पीने, कृषि तथा औद्योगिक खपत के लिए अनुपयोगी हो जाती है।

विभिन्न उपयोगों के लिए जल गुणवत्ता के सामान्य मापक

- **घरेलु उपयोग हेतु जल की गुणवत्ता**

घरेलु उपयोग के लिए पानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, रासायनिक यौगिक रहित एवं पारदर्शी होना चाहिए। यह किसी भी प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया से तथा अघुलनशील अशुद्धियों से रहित होना चाहिए।

- **सिंचाई हेतु जल की उपयुक्तता**

कृषि के लिए सिंचाई के रूप में उपयोग में आने वाले भू–जल में कई प्रकार के तत्व होने आवश्यक है। हांलाकि विभिन्न प्रकार के तत्व व लवण पेड़–पौधो की वृद्धि के लिए आवश्यक होते है परन्तु कुछ एक यदि जरा सी भी अधिक मात्रा में हो तो वे पेड़–पौधो के लिए नुकसानदायक होते है। कृषि के लिए भू–जल की उपयोगिता उसमें घुले हुए लवणों की मात्रा, मिट्टी का जलोत्सारण तथा फसलों की लवण सहिष्णुता की क्षमता पर निर्भर करती है।

जल उपयोग एवं मांग

जल संसाधन भूमि से प्राप्त होने वाले संसाधनों का एक सबसे बड़ा भाग है, साथ ही यह प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदत्त एक बहुमूल्य उपहार है। यह मानव समाज के जीवन, स्वास्थ्य एवं लगभग सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए अत्यन्त आवश्यक है। मानव का सम्पूर्ण जीवन और उसके क्रियाकलाप जल के अभाव में असम्भव है। जल का प्रयोग पीने के अलावा नहाने, धोने, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विनिर्माण प्रक्रिया, जल विद्युत उत्पादन तथा अन्य जीवन के लिए किया जाता है। जब किसी संसाधन का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो यह महत्वपूर्ण है कि उस संसाधन को विकसित करना चाहिए तथा उसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। निकट भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण चुनोतियों में से एक है कृषि, नगरीय एवं औद्योगिक क्षैत्रों में जल का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना। विकासशील देशों मे सिंचाई के लिए जल उपयोग की सीमा प्रायः मात्र 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक ही होती है। विकासशील देशों के शहरों में जल की क्षति सामान्यतया लगभग 50 प्रतिशत या इससे भी अधिक होती है। जल की इस बड़ी क्षति को जल संरक्षण की बड़ी संभावना में बदला जा सकता है और इस प्रकार जल को सतत रखने में एक स्पष्ट सुधार किया जा सकता है परन्तु जल को बचाने की संभावना प्रयोग से परे है। जल की एक क्षेत्र से छोड़ी गई मात्रा का उपयोग किसी अन्य क्षेत्र में किया जा सकता है। ऐसा करने से सम्पूर्ण क्षेत्र अथवा जल ग्रहण क्षेत्र अथवा जल ग्रहण क्षेत्र की क्षमता पर बहत बड़ा प्रभाव पड़ेगा साथ ही जल बचाने की अनेक संभावनाऐं भी प्राप्त होगी और इस प्रकार बचाए हुए जल का प्रयोग जल की कमी होने पर किया जा सकेगा। श्रंखलाबद्ध पारिस्थतिक तंत्र इसके बिना कार्य नहीं कर सकता है।

जिले में उपलब्ध जल की कुल मात्रा में से 85 प्रतिशत जल का उपयोग सिंचाई के लिए और शेष 15 प्रतिशत का उपयोग घरेलु, पशुपालन, उद्योग एवं अन्य क्षेत्र में किया जाता है। इस प्रकार जल उपयोग के मुख्य क्षेत्रों को विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है –

- कृषि एवं पशुपालन–जल का कृषि में उपयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कृषि में दोहित जल की लगभग 80 प्रतिशत जल का उपयोग किया जाता है।
- घरेलु क्रियाकलाप–जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 137 लीटर जल की आपूर्ति की जानी चाहिए जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 40 लीटर जल की आपूर्ति की जानी चाहिए। पेयजल के अतिरिक्त जल की आवश्यकता अन्य घरेलु उपयोगों जैसे कि भोजन बनाने, स्नान करने, स्वच्छता/साफ सफाई एवं उद्यान आदि के लिए होती है। जल को पेयजल एंव भोजन बनाने में उपयोग करना जल का प्राथमिक उपयोग है जबकि अन्य उपयोग द्वितीयक उपयोग की श्रेणी में आते है।
- औद्योगिक उपयोग–जल हमारे दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ–साथ औधोगिक एवं कृषि क्षेत्र मे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि जीन क्षेत्रों में जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उन क्षेत्रों में नगरीकरण और औधोगीकरण सही क्रियान्वित है किन्तु अब बढती हुई जनसंख्या के कारण जल संसाधन संरक्षण अत्यधिक आवश्यक हो चला है। उधोगो के लिए उपलब्ध करवाया जाने वाला जल उच्च गुणवत्ता के साथ–साथ अधिक मात्रा में होना चाहिए।

जल संसाधनों का संरक्षण, नियोजन एवं प्रबन्धन

पृथ्वी पर मानव सभ्यता के उदय एवं विकास में जल या पानी की प्रमुख भूमिका रही है। जल पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व की मुख्य सभ्यताऐं जल स्त्रोतों के पास ही पनपी एवं फली–फूली हैं। यों तो पृथ्वी पर सम्पूर्ण जल क्षेत्र लगभग 71 प्रतिशत है, जल का 97 प्रतिशत महासागरों में, लगभग 2 प्रतिशत ग्लेशियर या हिमनद के रूप में ध्रवीय क्षेत्रों में, 0.5 प्रतिशत भूमिजल के रूप में, 0.02 प्रतिशत नदियों, झीलों, तालाबों आदि के रूप में, तथा बहुत ही कम लगभग 0.0001 प्रतिशत वायुमण्डल में विद्यमान है, इस प्रकार बहुत ही कम मात्रा लगभग 2 प्रतिशत जल ऐसा है जो स्वच्छ है और मानव जाति के उपयोग व विकास में लिया जा सकता है। इस 2 प्रतिशत जल में से कुछ ही भाग ऐसा है जिस पर मानव की पहुंच है और आसानी से उपयोग में ले सकता है। इस स्वच्छ जल की उपलब्धता सभी जगह समान रूप से नहीं है, इसमें क्षेत्रवार व्यापक असन्तुलन है।

- जल का सुरक्षित भण्डारण कर जल संरक्षण
- सतही जल को भूमिगत जल में रूपान्तरित कर जल संरक्षण
- सतह पर एकत्रित हुये जल को क्षय से बचाना
- पेड़ पौधे एवं घास लगा कर जमीन में पानी का संरक्षण
- वेस्ट वाटर रिसाइक्लिन पद्धति अपनाकर जल सरंक्षण

भूजल का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में सिंचाई हेतु होता है।, अनियंत्रित भूजल दोहन से भूजल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है एवं कुएं/नलकूप भूजल भण्डारों की लगातार खाली कर रहे है।

- भूजल स्तर में गिरावट के दुष्प्रभावों का व्यापक प्रचार प्रसार एवं भूजल के अत्यधिक दोहन रोकने हेतु जन जागरण करना।
- भूजल दूषण एवं प्रदूषण रोकने हेतु आवश्यक जानकारी का शहरी एवं ग्रामीण जनता के मध्य प्रसार कर भूजल दूषण एवं प्रदूषण रोकने हेतु उपाय सुझाना जिससे भूजल कीगुणवत्ता प्रभावित न हो।
- खनन क्षेत्र से निकाले गये जल का कृषि एवं औद्योगिक इकाईयों में बेहतर तरीके से उपयोग में लाना।
- भूमिगत एवं धरातलीय जल संसाधनों के संयोजित उपयोग को नियोजित करना।

परम्परागत जल स्त्रोतों का नियोजन

बावड़ी : कुओं व सरोवर की तरह बावड़ी निर्माण की परम्परा अति प्राचीन है। बावड़ियों व सरोवर प्राचीन काल से ही पीने के पानी एवं सिंचाई के महत्वपूर्ण स्त्रोत रहे हैं। परोपकार की भावना से ओत–प्रोत होकर अनेक राजा–महाराजाओं और सेठ–साहुकारों ने कुएं बावड़ी, तालाब तथा सरोवर आदि पेयजल स्त्रोतों का निर्माण करवाया है। कुएं, बावड़ी अनेक सामाजिक क्रिया–कलापों से भी जुडे रहे हैं। बावड़ी निर्माण का प्रमुख उद्देश्य वर्षा जल का संचय रहा है। वर्तमान समय में इन प्राचीन बावड़ियों की दशा अच्छी नहीं है।

घरेलु उपयोग/पेयजल हेतु जल का नियोजन

मनुष्य द्वारा उपयोग में लिये जाने वाले जल का अधिकांश भाग घरेलु क्रियाकलापों में उपयोग लिया जाता है। जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

लगभग 137 लीटर जल की व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर जल की औसत रूप से आवश्यकता होती है। इस हेतु घरेलु क्षेत्र में जल संरक्षण के निम्न उपाय है–

- घेरलु नलों में व्यर्थ पानी न बहाना।
- फव्वारे/नल के स्थान पर बाल्टी से स्नान करना।
- शौचालयों में बड़े टैंक के स्थान पर छोटे टैंक का उपयोग करना।
- नल खोलकर शेव/मंजन करने के स्थान पर मग में पानी लेकर शेव करना।
- नल खोलकर कपड़ो/बर्तनों/कार की धुलाई करने के स्थान पर बाल्टी का उपयोग करना।
- सार्वजनिक नल आदि से व्यर्थ पानी न बहने दें।
- खाना–पकाने के लिए छोटे आकार का बर्तन व समुचित मात्रा में पानी का उपयोग करना। खाना बर्तन ढ़ककर कर बनाना, ताकि वास्पीकरण से जल की क्षति को बचाया जा सके।
- खाना बनाने के लिए पेड़–पौधों की कटाई पर अंकुश लगाना ताकि औसत वार्षिक वर्षा में बढ़ोतरी हो सके, साथ ही मृदा संरक्षण भी किया जा सके।
- प्रत्येक घर में वर्षा जल संग्रहण के लिए व्यवस्था करना ताकि घेरलू कार्य हेतु भूजल दोहन के दबाव को कम किया जा सके।

औद्योगिक क्षेत्र में नियोजन

उद्योगों में निरन्तर जल की मांग बढ़ती जा रहीं है, क्योंकि भारतीय उद्योगों में कमजोर प्रक्रियात्मक तकनीक, न्यून पुनः चक्रीकरण, पुनः उपयोग तथा अपशिष्ट जल का उपचार भी बहुत कम लिया जाता है। एक बार जल का उपयोग करने के उपरांत आगे दूसरे प्रयोग के बिना ही विसर्जित कर दिया जाता है। यद्यपि अनेक बार तो कम प्रदूषित जल को भी पुनः प्रयोग में नहीं लेते है। इस प्रकार बिना प्रदूषण जल भी प्रदूषित जल में मिलने के कारण प्रदूषित हो जाता है। भारत में विशेषकर ताप विद्युत संयत्रों में बड़ी मात्रा में जल का प्रायोग शीलन में करते है। इसलिए उद्योगों में पर्याप्त जलापूर्ति एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिए जल का उपयुक्त प्रबन्धन आवश्यक है। इसके लिए निम्नांकित उपाय कारगार सिद्ध हो सकते है –

- उन्नत प्रक्रिया व विकसित तकनीकी उद्योगों में जल मांग कम करने में सहायक हो सकती है।
- जल के पुनः प्रयोग की प्रक्रिया में जल का विभिन्न स्तरों पर पुनः प्रयोग सम्मिलित है।
- एक ही जल का उपचार के उपरांत समान उद्देश्य से अनेक बार चक्रीय रूप मे प्रयोग किया जाता है। इस नवीन तकनीकी का समावेश कर जल बचाने से भी सस्ती प्रक्रिया है।
- औद्योगिक उत्पादन हेतु पेयजल गुणवत्ता वाले जल का प्रयोग करें।
- पानी प्रदूषित न हो इस हेतु, आवश्यक व्यवस्था करे तथा प्रदूषण की जाँच के लिए उपकरण लगायें।
- वर्षा से प्राप्त जल को औद्योंगिक इकाइयों द्वारा विभिन्न रूपों में प्रयोग मे लाया जा सकता है। यह जलापूर्ति पारम्परिक जलापूर्ति की पूरक हो सकती है, जिससे जल की बचत होगी। ऐसा कानूनी प्रावधान द्वारा भी लागू किया जा रहा है।

इस प्रकार देश में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ऐसी रणनीति निर्धारित की जाये कि उनकी आवश्यकता भी पूर्ण हो, साथ ही जल की उपलब्धता भी बनी रहे। इसके लिए हमें उद्योंगों को अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण के लिए दबाव डालना चाहिए। विशिष्ट भारत आधारित बहिःस्त्रावों के मानक अपनाने

चाहिए तकि उद्योगों द्वारा जल बचाया जाये। जलिय स्त्रोतों से जल के उपयोग की सीमा निर्धारित की जाये ताकि पुनः उपयोग एवं चक्रीयकरण को महत्व मिले। वर्षा जल के संग्रह पर बल दिया जाये तथा सभी स्तरों पर जल का प्रयोग करने सम्बन्धी कानूनी प्रावधान भी होने चाहिए ताकि जल को संधृत आधार मिल सके तथ उद्योगों में जल की पूर्ति भविष्य मे पूर्ववत बनी रहे।

कृषि उपयोग हेतु जल का नियोजन

भूजल के 80 प्रतिशत भाग का उपयोग सिंचाई कार्यों मे किया जाता है, जहाँ पर जल का अधिकतम क्षय भी होता है अतः इस क्षेत्र में जल की बचत के उपायों लागू करना नितांत आवश्यक है। मुख्य रूप से बचत के निम्न उपाय है –

- कृषकगण यह ध्यान रखे कि सिंचाई हेतु छोड़ा हुआ पानी खेत में समान रूप से फैले एवं एक स्थान पर एकत्रित न हो, न ही व्यर्थ नालियों में बहे।
- फव्वारा सिंचाई का अधिकतम उपयोग करे एवं फल के बगीचों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करें, राज्य सरकार द्वारा इस कार्य हेतु आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
- सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित मोघो से छेड़–छाड़ न करे। साथ ही नहरो के किनारों को काटकर पानी लेने का प्रयास नहीं करे। जन सहयोग से नहरो को पक्का करने का कार्यक्रम चलाया जाता है उसमें सहयोग करें।
- कम पानी उपलब्ध होने की स्थिति में जल की उपलब्धता के अनुसार फसल योजना तैयार करें। जब एक ही सिंचाई उपलब्ध हो तो चना, तारामीरा, दो सिंचाई उपलब्ध हो तो सरसों, धनिया अधिक लाभप्रद रहता है। तीन या तीन से अधिक सिंचाई मिलने पर गेहुँ की खेती करनी चाहिए।
- फव्वारा व ''बून्द–बून्द पानी'' पद्धति से सिंचाई को प्रोत्साहन देना ताकि पानी की समुचित मात्रा में बचत की जा सके।
- उन्नत व अधिक उपज देने वाली किस्मों को ही बोये। फसल की अलग–अलग किस्मों में जल की मांग भी अलग–अलग होती है। उन्नत किस्में पानी का दक्षतापूर्वक उपयोग करती है। ये किस्में कीट एवं व्याधियों से प्रतिरोधी भी होती है।
- खरीफ की फसलों को शीघ्र खेतों से हटाकर खलियान में डाल दे तथा तुरन्त आावश्यक जुताई कर शीघ्र रबी फसलों की बुवाई करें। जहाँ तक हो खेतो की जुताई सांयकाल करे एवं शीघ्र पाटा लगा देवें।इससे नमी संरक्षित रहेगी व अंकुरण अच्छा होगा।
- हमेशा अनुशंसित मात्रा में उर्वरको का प्रयोग करें। संतुलित उर्वरक प्रयोग से पौधे द्वारा जल उपयोग में वृद्धि के साथ उपज में भी वृद्धि होती है, फलस्वरूप उर्वरक जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में सहायता करते है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जल प्रबन्धन को व्यवहार में लाना पड़ेगा, तभी हम फसलोंत्पादन को सतत बनाये रखने में कामयाब होंगे। अतः सिंचित क्षेत्र में प्रत्येक कृषक को अपने खेत में जल प्रबन्धन तकनीक को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि करनी होगी।

जल संसाधन संरक्षण

राष्ट्रीय स्तर पर–भारत एक विशाल देश होने के साथ ही यहां पर प्राकृतिक जल संसाधनों की विभिन्नता है। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45 प्रतिशत, जल संसाधनों का 4 प्रतिशत

जनसंख्या का लगभग 16 प्रतिशत भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन कि.मी. है। धरातलीय जल और पुनः पूर्तियोग भौम जल से 1869 घन कि.मी. जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60 प्रतिशत जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1112 कि.मी. है। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1896 घन कि.मी. होने का अनुमान किया गया है फिर भी स्थलाकृतिक दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन कि.मी. ही उपयोग किया जा सकता है।

जल संसाधनों के उपयोग की प्राथमिकताएं इस प्रकार तय की गई है –

- प्रथम वरीयता – सभी नागरिकों के लिए पेयजल की उपलब्धता।
- द्वितीय वरीयता – सिंचाई के लिए जल व्यवस्था।
- तृतीय वरीयता – विद्युत उत्पादन हेतु जल की उपलब्धता।
- चोथी वरीयता – पारिस्थतिक सन्तुलन के लिए नदियों में एक निर्धारित सीमा तक निरन्तर जल प्रवाह बनाए रखना।
- पाँचवीं वरीयता – उद्योगों तथा परिवहन के लिए जल का उपयोग।

राज्य स्तर पर जल की स्थिति

- राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में जल की स्थिति अत्यन्त विकट है। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 10.5 प्रतिशत है तथा राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या की 5.5 प्रतिशत है एवं राज्य में पशुधन देश के पशुधन का 18.7 प्रतिशत है। राज्य में कुल सतही जल देश में उपलब्ध सतही जल मात्र 1.16 प्रतिशत ही है। राज्य का 2 तिहाई भाग बृहद थार रेगिस्थान है जो कि मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र को छोड़कर देश के अन्य राज्यों से बड़ा है। देश के कुल 142 रेगिस्थानी ब्लॉको में से 85 ब्लॉक राज्य में है जिससे जल की समस्या और विकराल हो जाती है।
- भूजल की स्थिति भी अत्यधिक चिन्तनीय है। पिछले दो दशको में यह समस्या बहुत तेजी से बढ़ी है। भूजल दोहन का स्तर जो वर्ष 1984 में मात्र 35 प्रतिशत था, बढ़कर वर्ष 2008 में 138 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गया है। राज्य के कुल 237 ब्लॉको में से मात्र 30 ब्लॉक सुरक्षित वर्ग में है। यह राज्य में विकट जल संसाधनों की स्थिति से निपटने के लिए शीघ्र सुधारवादी तरीकों की आवश्यकता की ओर इंगित करता है।
- उपलब्ध जल, पेयजल, कृषि एवं अकृषि मांगों को पूरा करने को पर्याप्त नही है।

राज्य जल नीति के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है –

- विभिन्न उपयोगों हेतु जल वितरण निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर किया जायेगा।
- नई परियोजनाओं के निर्माण के साथ ही अब तक निर्मित परियोजनाओं के रख–रखाव पर समुचित ध्यान दिया जायेगा।
- इस नीति का उद्देश्य उपलब्ध सतही जल संसाधन के बेहतर उपयोग एवं सिंचाई क्षमता द्वारा सिंचाई जल की मांग को कम करना। वृहद जल संरक्षण उपाय एवं प्रभावी कृत्रिम पुर्नभरण द्वारा असंतुलन को कम किया जावेगा।

- जल विकास आयोजना में रक्षता लोने हेतु सुनियोजित सूचना तंत्र विकसित किया जायेगा।
- आपूर्ति आधारित प्रबन्धन के स्थान पर मांग आधारित प्रबन्धन जलनीति का आवश्यक अंग होगा।
- उपभोक्ता समूहों में जल के प्रति स्वामित्व की भावना जागृत करने के उद्देश्य से जल प्रबन्धन में उपभोक्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा। इन संगठनों की जल प्रबन्धन की क्षमता में बढोतरी हेतु गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा।
- गिरते भूजल स्तर को रोकने एवं बेहतर जल संसाधन प्रबन्धन हेतु संबंधित कानूनों में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे।

जिला स्तर पर

बेकार बह जाने वाला बारिस का पानी रोकने, भूजल रिचार्ज रखने और शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए झुंझुनूँ जिले को 11 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के तहत स्वीकृत किये गये, जिन स्थानों पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मापदंड से ज्यादा है, उससे लोगो को निजात दिलाने के लिए 29 गांवों में 72 हैडपंप–बोरवेल पर डी–फ्लोराइडेशन युनिट भी लगाई गई है। पानी सप्लाई के लिए पर पानी की टंकिया बनाई गई है। बोरवेल में भूजल रिचार्ज रखने के लिए बारिश का पानी डालने के लिए स्ट्रक्चर तैयार किए गये है,

जल संसाधन संरक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रम

जल संसाधन की स्थिति विकट है, परंन्तु सरकार निसंदेह स्थिति से उभरने के भरसक प्रयास कर रही है, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा जल क्षेत्र के विकास एवं संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये है, जो निम्न प्रकार से है –

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र और विकास सम्मेलन (1992) द्वारा जारी किये गये एजेड़ा–21 में ही मीठे पानी के संसाधनों के संख्या एवं प्रबन्धन का विशेष अध्याय जोड़ा गया है, जिसे लागू करने पर सन् 1993 से 2000 के दौरान प्रतिवर्ष 5480 करोड़ डॉलर की राशि सहायता स्वरूप उपलब्ध की थी।
- सन् 1999 में स्कॉट होम में सम्पन्न जल–सम्मेलन में वर्षा जल को संचित करने पर बल दिया गया। 25–28 जून 2001 में नीदरलैण्ड़ में ''विश्व युवा जलमंच'' (WWF - youth World Water Forum) का गठन किया गया है। इसमें विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को जल उपलब्ध करवाने पर बल दिया गया साथ ही वर्षा जल संचयन करने तथा उपलब्ध जल को शुद्ध करने पर भी बल दिया गया है। जल संकट को प्रमुख मुद्दा बनाया गया तथा सन् 2015 तक सम्पूर्ण दूनिया को शुद्ध पेयजल तथा पर्याप्त स्वच्छता उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्न चार टिकाऊ जल विकास कार्य चल रहे है –

- अन्तर्राष्ट्रीय जल और टिकाऊ कृषि विकास कार्यक्रम (F.A.O)
- जल आपूर्ति व स्वच्छता कार्यक्रम (W.H.O)
- सिंचाई और जल विकास में अंतर्राष्ट्रीय प्रौघोगिक अनुसंधान कार्यक्रम (विश्व बैंक)
- रोग वाहकों के नियंत्रण प्रबन्ध पर विशेषज्ञों का पेनल (W.H.O.)

संयुक्त राष्ट्र की जल संसाधनें की उप समिति इनका समन्वयन कर रही है।

- राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ;छम्म्त्प्द्ध नागपुर के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में उपलब्ध जलराशि का 70 प्रतिशत भाग देने पीने योग्य नहीं है। अतः इस समस्या से निजात पाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रयास किये है।
    - राज्य सरकार जल की विकट स्थिति से उभरने के लिए भरसक प्रयास कर रह है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है –
- निरन्तर गिरते भू–जल की रोकथाम एवं बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु वर्तमान जल नीति मे संशोधन आवश्यक समझे गये। अतः वर्तमान जल नीति को बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप करने के उद्देश्य से संशोधित जल नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। इस कार्य हेतु प्रो. व्यास की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति की सिफारिशों के आधार पर नई जल नीति का प्रारूप तैयार किया गया। जिसे व्यापक प्रसार हेतु वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जा चुका है। विभिन्न क्षेत्रों से इस पर टिप्पणी प्राप्त हो रही है। जिनकी जाँच की जा रही है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों के साथ एक वर्कशॉप का अयोजन भी प्रस्तावित है जिनमें उनके सूझाव आमंत्रित किये जायेंगे। सुझाव उपयोगी पाये जाने पर उन्हें नीति में सम्मिलित किया जायेगा।
- राज्य में उपलब्ध सतही जल के 71ः उपयोग हेतु संसाधन विकसित कर लिये गये है। इसे बढ़ाकर चरणबद्ध तरीके से 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 80ः तक किया जाना प्रस्तावित है।
- चार मध्यम सिंचाई परियोजनायें जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है यथाः पीपल्दा, गागरीन (झालावाड़), तकली (कोटा) एवं ल्हासी (बारां) इस वर्ष प्रारम्भ की जा रहीं है।
- नौ नई लघु सिंचाई परियोजनाये यथाः किशनपुरा(कोटा), कचनारिया, खेरिया(बारां),घणी, कोट(पाली), ढोबरा(झालावाड़), देवान्चली(दौसा), लक्ष्मणपुरा एवं फारसवाली ढ़ाणी(सीकर) इस वर्ष प्रारम्भ की जा रही है।
- विश्व बैंक की सहायता से 734 करोड़ रुपये लागत की राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना के अन्तर्गत 91 नहर प्रणालियाँ व 16 बाँधों के सुदृढ़ीकरण के कायों को गति प्रदान की गई।
- रिमोट सेन्सिंग द्वारा सम्पूर्ण राज्य का जल ग्रहण तक्शा तैयार कर संभावित 47698 छोटे एनीकट के स्थान का चयन किया जा चुका है, जिसमें से अब तक लगभग 17 हजार एनीकट का निर्माण किया जा चुका है। वर्तमान 297 करोड़ रुपये के 3202 जल संरक्षण कार्य स्वीकृत किये जा चुके है जिसमें से 1793 कार्य पूर्ण किये जा चुके तथा 525 कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त जल चेतना यात्रा–किसान महात्सव (प्रथम चरण) 2006 के दौरान 126031 छोटे जल संग्रहण कार्य पूर्ण किये गये। जल चेतना यात्रा–किसान महोत्सव (द्वित्तीय चरण) 2007 के दौरान 1 लाख 5 हजार छोटे जल संग्रहण निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।?
- राज्य में ड्रिप व स्प्रिंकलन सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिये वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में चरणबद्ध तरीके से वांछित इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिग्गियों का निर्माण, भूमिगत पाईप डालने इत्यादि की आवश्यकता है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और खेतों पर लगने वाले ड्रिप व

स्प्रिंकलर सिंचाई पद्वति के लिए एक सब्सिडी योजना सिंचाई व कृषि विभाग द्वारा तैयार की जायेगी। जिसके तहत प्रथम चरण में बीसलपुर परियोजना के सिंचित क्षेत्र को लिया जायेगा।

- कृषि विभाग द्वारा कृषको को ड्रिप व स्प्रिंकलर सेट खरीदने हेतु अनुदान दिया जा रहा है, साथ ही कृषि विस्तार कार्यक्रम में फव्वारा सिंचाई के प्रशिक्षण पर भी बल दिया जा रहा है। स्प्रिंकलर के उपयोग पर विद्युत दर में भी 10ः की छुट दी जा रही है।
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी जीण–शीर्ण पाईप लाईन बदनले हेतु योजनाबद्ध प्रारम्भ किया गया है।
- जल क्षेत्र प्रंबन्धन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से युरोपियन यूनियन के साथ 'स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम' प्रारभ किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायत राज संस्थओं एवं जल से संबन्धित विभागों की कार्य क्षमता में वृद्धि कर , उन्हें जल क्षेत्र विकास का उत्तरदायित्व निभाने में सक्षम बनाना है। कार्यक्रम के तहत निम्न प्रकार के कार्य करवाये जायेंगें – जल संसाधन आयोजना विभाग को अपना कार्य संपादित करने में सहायता, जल अभियान का संचालन, जल से सम्बन्धित विभागो की कार्य क्षमता बढ़ाने के कार्य, पंचायत संस्थाओं का संस्थागत विकास, पंचायतराज संस्थाओं एवे यूजर ग्रुप की कार्य क्षमता में वृद्धि के कार्य एवं पंचायतराज संस्थाओं को हस्तान्तरित जल संग्रहण से सम्बन्धित निर्माण कार्यो के रख–रखाव का कार्य। यूरोपियन कमीशन द्वारा राज्य सरकार को इस कार्यक्रम हेतु 450 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। कार्यक्रम 6 वर्ष में पूर्ण किया जाना है। अनुदान की पहली किश्त 29.28 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके है।
- उद्योगों, गैरसरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं तथ जन–समुदायों को जल प्रबंधन में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.), वर्ल्ड इकॉनोमिक फॉरम् एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के साथ **'राजस्थान कम्यूनिटि एवं बिजनेस एलायन्स आन वाटर'** का गठन किया गया है। यह राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है। जिसके फलस्वरूप निम्न क्षेत्रों में सहभागिता के आधार पर परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए है।
  - जल संरक्षण के निर्माण एवं रखरखाव के कार्य
  - औद्योगिक एवं शहरी दूषित जल को शुद्ध कर उपयोग मे लाने का कार्य
  - लवणीय जल को शुद्ध कर उपयोग में लाने का कार्य
  - छत के वर्षा जल को संग्रहित करने तकनीक सीखने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्था की स्थापना।
  - यह संस्थान जल संरक्षण एवं सदुपयोग की नवीनतम तकनीक के बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगा।

उपरोक्त प्रकार के कार्यों हेतु औद्योगिक संस्थानों एवं गैरसरकारी संस्थाओं से अब तक 14 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। जो कि स्वीकृति के अन्तिम चरण में है। राज्य सरकार द्वारा अपने अंशदान के रूप 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- जल क्षेत्र प्रबंधन में भागीदारी की भावना को आगे बढ़ाते हुये राज्य सरकार **जल सहभागिता योजना** प्रारम्भ करने जा रही है। इसके तहत स्वयं सेवी संगठनों एवं अन्य संस्थाओं जैसे वाटर

यूजर ग्रुप, औद्योगिक संस्थान, पंचातीराज संस्थान भी निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना हेतु 20 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

- भू–जल विभाग द्वारा पुनर्भरण के डिजाईन, विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों, स्वयं सेवी संस्थाओं जैसे रोटरी क्लब इत्यादि एवं समाचार पत्रों, 'जयपुर एक्शन एजेन्डा ग्रुप (जाग)' को भेजे जा रहे है। ताकि वे अपने स्तर पर भूजल पुनर्भरण के कार्य सुचारू रूप से सम्पादित कर सके।
- 'स्टेट अरबन एजेन्डा फॉर राजस्थान (सुराज) 'पहल के माध्यम से राजस्थान की विभिन्न जिलों के परम्परागत जल स्त्रोंतो के जीर्णाद्धार हेतु तकनीकी परामर्श दिया जा रहा है।
- शहरी क्षेत्रों में भू–जल पुनर्भरण हेतु, 300 वर्गमीटर से बड़े आवासीय भूखण्ड़ों पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य किया गया है।
- पार्वती, कालीसिंध एवं चम्बल नदियो को जोड़कर राज्य को अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने की एक योजना केन्द्र सरकार की एजेन्सी एन.डब्ल्यू.डी.ए. द्वारा तैयार की गई है।

क्रियान्वयन की समस्याएँ

सरकार जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यक्रम चला रहीं है लेकिन उनके क्रियान्वयन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके कारण ये कार्यक्रम पूर्णरूप से सफल नहीं हो पाते है।

- जल के स्वामित्व एंव उपयोग में उत्तर दायित्व की भावना का आमतौर पर अभाव है।
- जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि एवं पेयजल हेतु भू–जल पर निर्भरता अधिक है।
- आमजन में भू–जल दोहन के साथ पुर्नभरण की ओर उत्तरायित्व का अभाव है।
- सरकार द्वारा जल संरक्षण हेतु विभिन्न तकनीको से आमजन अनभिज्ञ है, अतः उनके व्यापन प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है।
- जल उपलब्धता के अभाव की स्थिति की ओर जन चेतना का अभाव है, जिससे जल के सदुपयोग पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
- शिक्षा के अभाव के कारण किसान आधुनिक तकनीकी (बूंन–बूंद सिंचाई/फव्वारा सिंचाई) के बारे में जानकारी नहीं रखते है एवं वे परम्परागत तरीके से खेत में पानी फैलाकर सिंचाई करने में विश्वास रखते है।
- सिंचाई की आधुनिक तकनीके अधिक खर्चिली होने के कारण गरीब किसान इनका भार वहन करने में सक्षम नहीं होगा जिसके कारण पंरम्परागत तरीके से सिंचाई करने के कारण जल का अपव्यव अधिक होता है।
- ग्रामवसियों की जल संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न निर्माण कार्यों व अनेक कार्यक्रमों में रूचि का अभाव।
- ग्रामीण जनता व सरकारी अफसरों को बीच सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण के माध्यम का अभाव।
- दैनिक जीवन में जल की बर्बादी के रोकने एवं जल के मूल्य से संबन्धित ''भूजल संसाधन'', समस्याये और समाधान आदि विषयक जानकारी प्रसारित करने हेतु आवश्यक सामग्री का अभाव।

- नदी–नालों में बहते व्यर्थ वर्षा जल को एनीकट, बाँध इत्यादि जल संग्रहण संरचानाओं द्वारा संग्रहित कर भूजल पुनर्भरण हेतु उपयोग में लाने जैसे उपायों के प्रति आमजन के सामग्री का अभाव।

इस प्रकार स्पष्ट है कि समय के साथ बढ़ती मांग एवं आर्थिक गतिविधियों की विविधता के संदर्भ मे जल का उपयोग प्रतिरूप भी परिवर्तित हुआ है, जिसे यद्यपि मूल रूप में तो पुनः स्थापित नही किया जा सकता वरन् समय के साथ बदलते परिवेश में संरक्षित किया जा सकता है। इसके लिये निम्नांकित विधियों कारगार सिद्ध होगी–जल की प्रदूषण से सुरक्षा, जल का पुनर्वितरण, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग, जनसंख्या नियंत्रण, पारम्परिक जलस्त्रोतों को पुनर्जीवित करना, सिंचाई की आधुनिक विधियों का प्रयोग, वनावरण में वृद्धि, फसल प्रतिरूप में परिवर्तन, बाढ़ प्रबन्धन, भूतापीय जल का उपयोग, उद्योगों में जल की बचत, शहरी क्षेत्र में जल की बचत एवं नगर निकायों द्वारा जल संरक्षण।

इस प्रकार जल संरक्षण में व्यक्तिगत् चेजना महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक व्यक्ति हर परिस्थति में जल बचाने की मानसिकता बनाये तथा जल की एक बून्द को भी बर्बाद नही होने दे और जहाँ तक सम्भव हो जल की गुणवता को बचाये रखने के साथ ही प्रबन्धन की रणनीति बनाकर जल संकट के समाधान तलाश किये जाये तो आने वाले समय में स्वच्छ पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार जल संसाधनों का संरक्षण करके उनका विभिन्न स्त्रोतों द्वारा नियोजन एवं प्रबन्धन आने वाले समय के लिए आवश्यक है।

सारांश एवं सुझाव

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जल एक सीमित संसाधन है, और सभी स्थानों पर उस स्थान अथवा लोगों की आवश्यकता अनुसार सर्वत्र सुलभ नहीं है। अतः अध्ययन क्षेत्र में जल संसाधनों के प्रबन्धन के लिए, जल संसाधनों के संरक्षण, क्रमबद्ध नियोजन, उनका विवेकपूर्ण एवं न्यायपूर्वक उपयोग करना अत्यन्त आवश्यक है।

जल संसाधनों का स्थानीय प्रारूप जिसकी कि पिछले अध्यायों में विवेचना की गई है, उससे व्यक्त होता है कि जल संसाधनों के सभी पहलुओं में विविद्यताएं पाई जाती है।

सुझाव

जिले में वर्षा की पर्याप्तता के बावजुद भी अपर्याप्त जल प्रबन्धन के कारण ग्रीष्म ऋतु में जल की अत्यधिक कमी प्रकट होती है। अतः यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रबन्धकीय क्रियाओं के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में जल संस्याओं को कम करने के सुझावों पर अमल किया जा सके। ये सुझाव निम्न प्रकार है –

- वर्षा जल संरक्षण प्रक्रिया द्वारा भूमिगत स्त्रोतों के जल संरक्षण एवं जल स्तर में वृद्धि, जल स्तर के रिक्तीकरण में कमी के साथ–साथ जल की गुणवत्ता को सुधारने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। वर्षा जल संग्रहण के तरीकों में से छत से वर्षा जल संग्रहण का तरीका सबसे प्रचलित है जिसे ''जल कटाई'' के नाम से जाना जाता है।
- वर्षा का जल ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप निर्मित टाँकों में संग्रहीत किया जाना चाहिए।

- जल की कमी वाले क्षेत्रों में पहली प्राथमिकता मनुष्यों और पशुओं के लिए पेयजल उपलब्ध कराने को देनी चाहिए, द्वित्तीय प्राथमिकता कृषि को जो कि अध्ययन क्षेत्र की जीवन रेखा है, तृतीय प्राथमिकता बचे हुये जल को उद्योगों को देने के लिए दी जानी चाहिए।
- कृषि में फसल एवं फसली प्रारूप को बदलकर एवं नवीन वैज्ञानिक तरीकों द्वारा सिंचाई करके कृषि में जल की मांग को कम किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत कम फसल अवधि वाले पौधे, उच्च उत्पादकता वाले पौधे जिन्हें अधिक जलापूर्ति की आवश्यकता न हो, को उगाया जा सकता है।
- प्राचीन तालाबों व बावड़ियों के पानी को शुद्ध रखने के लिए तालाबों में गंदे पानी के नालों को गिरने से रोकना चाहिए तथा आम जनता द्वारा विभिन्न प्रकार से तातावो में फैलायी जाने वाली गंदगी से रोकना चाहिए। बावड़ियों के ऊपर से ढ़कने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पानी के अंदर गिरने वाले कचरे को रोक सके।
- नहरों की समय–समय पर मरम्मत तथा साफ–सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कृषकों को समय पर स्वच्छ जल प्राप्त हो सके। कृषकों को समय–समय प्डज् में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण लेना चाहिए ताकि कृषि में होने वाले अनावश्यक पानी खर्च को कम किया जा सके।
- नदियों के जल में औद्यौगिक क्षेत्रों से छोड़े जाने वाले गंदे पानी व अवशिष्टों को आने से रोकना चाहिए तथ पानी को दुबारा से ट्रीटमेंट करके काम में लिया जा सकता है।
- जल स्त्रोतों (क्षेत्रों) के वाष्पीकरण पर नियंत्रण एक अन्य उपाय है, जिसमें जल संग्राहको की ऊँचाई वाले स्थानों पर बनाना, जल संग्राहक की खुली सतह को कम करना, कृत्रिम जल संग्रहण संरचनाओ का निर्माण करना, वाष्पीकरण के लिए उत्तरदायी उष्मा को कम करना एवं वायु गति रोद्यक लगाना जैसे तरीकों द्वारा वाष्पीकरण को कुछ सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है।
- शहरी एवं ग्रामीण जलापूर्ति वाले क्षेत्रों में पेयजल को बढ़ाने के लिए एक कुशल जलापूर्ति तन्त्र की अत्यधिक आवश्यकता है। जंग लगे हुए एवं बंद जलापूर्ति तंत्र को बदलना एवं समस्याग्रस्त क्षेत्रों में प्राथमिकी से जलापूर्ति करना आदि जल प्रबन्धन की दृष्टि से कुशल जलापूर्ति तन्त्र के रूप में है।
- जल को उचित शुद्धिकरण के पश्चात जल का सिंचाई, उद्योग एवं भूमिगत जल स्त्रोतों के पुनर्भरण एवं नगर पलिका के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है।
- नलकूपों की संख्या कम कर देनी चाहिए ताकि भूमिगत जल स्तर को पुनः ऊपर उठाया जा सके, क्योंकि यह अत्यधिक नीचे जा चुका है।
- सीमेन्ट वाले पक्के अवरोधक और बाँध नदी के बहाव की दिशा में अनेक स्थानों पर बनाने चाहिए। जिससे कि व्यर्थ बहने वाले जल को रोककर उस क्षेत्र का जल स्तर बढ़ाया जा सके साथ ही क्षेत्र का जल आम उद्देश्यों/स्थानीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लिया जा सके।
- जल संसाधन प्रबन्धन, जल संसाधनों को औद्योगिक बहिः स्त्राव से बचाकर, जल शुद्ध करके एवं जल पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। इसके लिए जनता को जल की एक बून्द तक

के लिए जागरूक होना पड़ेगा। यह जागरूकता जनता में नुक्कड़ नाटक, फिल्म, स्लाइट, आदि सार्वजनिक स्थानों पर दिखाकर लाई जा सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

⇒ Agarwal P.L. and C.M. Tejawat (2010), Water Management through rehabilitaion of irrigation system in Chambal Comman Area, Rajasthan, In proceedings of National Seminar on Sustainble Management and Conservation of Water Resources, (SMCWR-2010), Held 12-13 March at Department of Civil Engg., Rajasthan Technical University, Kota, Rajasthan, 1-10.

⇒ Annual Report 2008-2009, Central Water Commission, New Delhi.

⇒ Annual Report 2009-2010, Central Water Commission, Ministry of Water Resources, Govt of India.

⇒ Assessment on Water Quality in Rajasthan, 2009, Rajasthan State Pollution Control Board.

⇒ Assesssment and Development Study of River Basin Series (ADSORBS), Central Pollution Control Board, Ministry of Environment and Forest, Govt. of India.

⇒ Bhati. V.M. (1996): Water Resources and Their Utilisation, Vigyan Prakashan, Jodhpur, p.1.

⇒ Ghosh, G. et.al (1995) : Water Supply in Rural India,Ashish Publishing House, New Delhi, P.ix

☯☯☯

13

माध्यमिक स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT) द्वारा संचालित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का विश्लेषणात्मक अध्ययन

श्रीमती बेला रानी जैन*

परिचय

राष्ट्र के विकास में व्यक्ति का विकास निहित है और व्यक्ति का विकास राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। आज का नोनिहाल बालक राष्ट्र का निर्माता है और अध्यापक को समाज का शिल्पी माना गया है। इस दृष्टि से छात्रों का समाज में भी महत्वपूर्ण स्थान है।

छात्र वह धुरी है जिस पर शिक्षा का चक्र घूमता है और समाज का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसके अंग शिक्षक–छात्र और पाठ्यक्रम में उचित समायोजन होने पर ही प्रगति संभव है।

शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके बिना राष्ट्र की प्रगति असंभव है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में शिक्षा का प्रसार एवं प्रचार तीव्र गति से हुआ। किन्तु दुर्भाग्यवश श्रेष्ठ एवं ज्ञानवर्धक पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध ना होने से छात्रों के बहुमुखी विकास में वृद्धि नहीं हो सकी है।

शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों से गुणवत्ता की दृष्टि से दो प्रकार के अभिकरणों की संकल्पना "प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986" के तहत की गई है।

(1) अध्ययन संस्थान (2) शिक्षक शिक्षा

प्रत्येक राज्य में सरकारी/गैरसरकारी शिक्षक शिक्षा संस्थान/ महाविद्यालयों की स्थापना की गई जिनमें पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण बी.एड. की व्यवस्था होती है तथा सेवाकालीन शिक्षकों के लिए विषय सम्बन्धी अभिनवन प्रशिक्षण करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। ऐसे महाविद्यालयों में आधारित शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, कम्प्यूटर शिक्षा, व्यवसायीकरण व विज्ञान शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा,

---

* शोधार्थी, महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

~ The chapter is based on the paper presented in "**International Conference on Modern Management Strategies, E-commerce and Global Economy-In Indian Context**" Organized by **Inspira Research Association (IRA),** Jaipur **& LBS PG College,** Jaipur, Rajasthan, India. **02-03 February, 2018.**

जनसंख्या शिक्षा आदि शैक्षिक नवाचारों व प्रयोगों सम्बन्धित प्रशिक्षण भी प्रदान किये जाते हैं जिनमें पुस्तकों का बड़ा महत्व है। यह पुस्तकें छब्त्ज् उपलब्ध कराता है।

स्वतंत्र भारत की शिक्षा को राष्ट्रीय रूप देने के लिए जिन आयोगों को नियुक्त किया गया था उन्होंने भी नैतिक शिक्षा के रूप में मूल्यों की प्रतिष्ठा पर बल दिया था। राधाकृष्णन् आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग के प्रतिवेदनों में इनकी चर्चा की गई। 1986 की नई शिक्षा नीति में भी मूल्यों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें समता, सामाजिक न्याय, प्रबुद्ध व मानवीय समाज के निर्माण हेतु जरूरी मूल्यों का विकास तथा कार्य क्षमता के विकास पर अधिक बल दिया। 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति के आधार पर संशोधित राष्ट्रीय नीति लागू हुई, कि माध्यमिक शिक्षा परिषदों को पुनर्गठित किया जाए तथा उच्च शिक्षा में भी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। इस बात पर बल दिया गया।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में नैतिक मूल्य, दूसरों के साथ सद्व्यवहार आदि को विशेष स्थान दिया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में शिक्षा को राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन माना गया है ताकि अध्यापक पुस्तकों में आये हुए मूल्यों को पहचाने व विद्यार्थियों को समझाए जिससे कि बालक स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना सीख सके और देश की उन्नति में भागीदार बने। उदाहरण–सकारात्मक सोच, स्वयं के अनुभव, पुस्तक में शांति से सम्बन्धित बातें, रहन–सहन के तरीके आदि।

पाठ्य पुस्तकें विषयवस्तु के ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों यथा सदाचार मूल्यों आदि के सम्प्रेषण का माध्यम होती है। वास्तव में मूल्य पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में समाहित होते हैं। परन्तु उन्हें पहचानना भी आवश्यक है। वास्तव में ये मूल्य ही हैं जो मानव को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं। उसके जीवन में श्रद्धा, विश्वास, प्रेरणा, प्रतिबद्धता इत्यादि उदस्त विचारों को संचालित करते हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या–2005 एन.सी.एफ. (नेशनल करीकूलम फ्रेमवर्क) में शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए हैं–इनमें विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशील, नयी स्थितियों का लचीलापन और रचनात्मक तरीके से सामना करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृति और आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता शामिल है। भाषा को लेकर पाठ्यचर्या में ऐसी नीति अपनाने को कहा है ताकि विद्यार्थियों को कहानी, कविता, गीत और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहे। इससे वे अपने अनुभव विकसित करने और दूसरों के प्रति संवेदनशील होने के अवसर प्राप्त करते हैं। नैतिक वैधता के लिए पाठ्यचर्या में ईमानदारी, वस्तुपरकता, सहयोग, भय व पूर्वग्रह से आज़ादी जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।

शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थानों का शैक्षिक स्तर शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों से उच्च मानते हुए इन संस्थानों में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरीय शिक्षा प्रशिक्षण व्यवस्था, एम.एड., एम.फिल., पीएच.डी, कार्यक्रम शिक्षक शिक्षा में मार्गदर्शक कार्यक्रम, सेवारत शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों हेतु सेवाकालीन अभिनवन, अनुसंधान एवं प्रयोगात्मक कार्य, सी.टी.ई. एवं डी.आई.ई.टी. (DIET) का अकादमिक निर्देशन, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी प्रशिक्षण अनुदेशात्मक सामग्री का विकास आदि शैक्षिक कार्यों के साथ–साथ अध्ययन सामग्री तैयार करने की व्यवस्था होती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में समय एवं परिस्थिति एवं देशकाल की आवश्यकता के अनुसार बदलाव प्रशिक्षण में निम्नांकित समय–समय पर बिठाये गये आयोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

स्वतंत्रता प्रप्ति के पश्चात् भारत में शिक्षा व्यवस्था के एक नवीन युग का प्रारम्भ हुआ। समय–समय पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु आवश्यकता अनुरूप राधाकृष्णन आयोग (विश्वविद्यालयी आयोग), डॉ. लक्ष्मण सिंह मुदालिया (मा.शि. आयोग), डॉ. दौलत सिंह कोठारी (राष्ट्रीय शिक्षा आयोग), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित 1992, आचार्य रायमूर्ति समिति प्रतिवेदन 1990, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आदि का गठन हुआ।

शोध अध्ययन का औचित्य

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् केन्द्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को देश की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाने हेतु विभिन्न शिक्षा आयोग गठित कर उनसे अनुशंसाऐं चाही गई। अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि समय–समय पर शिक्षा आयोग गठित करने का क्या औचित्य था। क्या उनकी अनुशंसाओं के अनुरूप क्रियान्वयन किया गया और जिन–जिन उद्देश्यों को लेकर आयोग गठित किये गये, उनकी पूर्ति कहाँ तक हो पायी और यदि नहीं हो पाई तो क्या–क्या कठिनाईयां आई।

अतः प्रस्तुत अध्ययन का औचित्य निम्नलिखित दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है –

- राष्ट्रोत्थान की दृष्टि से अध्ययन का औचित्य–आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। यदि भारत को अन्य देशों की प्रगति की तुलना करनी है और विकासशील एवं विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो देश की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप समय–समय पर शिक्षा आयोगों का गठन करना नितान्त जरूरी है, तभी इन आयोगों की अनुशंसाएं राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकेंगे व उत्तम पाठ्यपुस्तकें छात्रों को उपलब्ध हो सके।
- आधुनिकीकरण की दृष्टि से अध्ययन का औचित्य–हमारा देश नये आधुनिक राष्ट्रों की पंक्तियों में लाने के लिये समय–समय पर पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन को स्वीकार करता है। आधुनिकीकरण एक आन्दोलन है, इसमें नवीन एवं आधुनिक जीवन मूल्यों की रचना की प्रेरणा विद्यमान रहती है। आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाला सबल साधन है–पाठ्यपुस्तकें। आधुकिनीकरण के अन्तर्गत ज्ञान का प्रचार, ज्ञान की सार्वभौमिकता, व्यावसायिक एवं तकनीकी कुशलता आदि शामिल है। इस दृष्टि से भी शिक्षा आयोगों के गठन एवं उनकी अनुशंसाओं का औचित्य बढ़ जाता है।
- शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप के विकास की दृष्टि से – देशव्यापी सभी राज्यों में एकसमान पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए छब्म्त्ज् की महती आवश्यकता होती है, ताकि प्रत्येक राज्य के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में समान अवसर प्राप्त हो सकें। इसको दृष्टिगत रखते हुए नई शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 लागू करने की अनुशंसा की गई। इस दृष्टि से भी इस अध्ययन का औचित्य स्पष्ट परिलक्षित होता है।
- शिक्षा का सार्वजनीकीकरण एवं प्रचार–प्रसार की दृष्टि से – विभिन्न शिक्षा आयोग के गठन के अन्तर्गत, प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क दिलाने, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, प्रौढ़ शिक्षा,

साक्षरता, अनौपचारिक शिक्षा, शिशु क्रीड़ा केन्द्रों, पत्राचार पाठ्यक्रम, खुले विश्वविद्यालय एवं मुक्त विश्वविद्यालय पर बल दिया है। सभी गठित आयोगों ने इन कार्यक्रमों को विकसित करने की अनुशंसाएं की है। शिक्षा से सभ्य समाज स्थापित होगा। इससे कुरीतियों, अंधविश्वासों से छुटकारा मिलेगा और शिक्षित युवक अपना रहन–सहन स्तर, आर्थिक उन्नति करेगा। इस दृष्टि से भी विभिन्न आयोगों के गठन का औचित्य बढ़ जाता है।

- नैतिक मूल्यों का विकास की दृष्टि से – पाठ्यपुस्तकें सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। मानवता की रक्षा के लिए मनैतिक मूल्यों का विकास आवश्यक है। सभी गठित शिक्षा आयोगों ने नैतिक शिक्षा, मानवीय मूल्यों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पर बल दिया है। प्रत्येक स्तर पर नैतिक मूल्यों की शिक्षा विभिन्न माध्यमों से विषयों से जोड़कर, शिक्षा संस्थान में वातावरण में पल–पल पर नैतिक मूल्य प्रस्फुटित हो, ताकि उस वातावरण के सम्पर्क में आकर प्रत्येक व्यक्ति नैतिक बन जाये। इस दृष्टि से भी इन गठित आयोगों की अनुशंसाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है।
- अध्ययनकर्त्री की दृष्टि से अध्यापन का औचित्य – चूंकि शोधकर्ती शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। इस दृष्टि से भी विभिन्न छब्त्ज् पाठ्यपुस्तकों की सामान्य जानकारी रखती है। शोधकर्त्री शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास एवं प्रगति में पाठ्यपुस्तकों की अहम भूमिका महसूस करती है, जिससे प्रस्तुत शोध का अपना एक अहम औचित्य है। इसी कारण से शोधकर्त्री द्वारा इस समस्या का चयन किया गया। विभिन्न छब्त्ज् पाठ्यपुस्तकों की वर्तमान में प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, इस दृष्टि से यह शोध अध्ययन सार्थक सिद्ध होगा।

सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन

शोध की प्रक्रिया में पूर्व में किये गये शोध सम्बन्धी साहित्य का अवलोकन एक महत्वपूर्ण पद है। यह शोधकर्त्री को शोध के उद्देश्यों का निर्धारण करने, दत्त (आंकड़ों के) संकलन के लिए उपकरण, उद्देश्यों व मान्यताओं के निर्धारण में सहायक होते हैं। ऐसा करने से शोध कार्य प्रभावी, उपयोगी तो बनता है, साथ ही शोध की पुनरावृत्ति की संभावना भी नहीं रहती है। यह भी निर्धारित हो जाता है कि इस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है। पुरातन ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान को अद्यतन किया जा सकता है।

आज के वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में मानव किसी कथन की व्याख्या या सत्यता उस समय तक स्वीकार नहीं करता, जब तक उसका अवलोकन अथवा अध्ययन किसी वैज्ञानिक विधि तथा तकनीकी के आधार पर नहीं करता। शोधकर्त्री को भी सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से यह जानकारी मिलती है कि किस समस्या पर कार्य हुआ तथा कौनसी विधि अध्ययन के लिए प्रभावी रही है तथा उसी के आधार पर वह पहले से किये गये कार्य को आगे विकसित करती है। अतः अनुसंधानकर्त्री जब किसी अध्ययन समस्या को चुने तो उसके निष्पादन से पूर्व समस्या के विषय के विभिन्न आयामों को दृष्टिगत रख सके।

शोध से किसी समस्या के स्वरूप को पहचाना जाता है तथा विशेष निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। शोध के निष्पादन से पूर्व नवीन तथ्यों की खोज नहीं होती, बल्कि पुरातन तथ्यों का पुनः जांच की जाती है। शोध में अन्तः सम्बन्धों, कार्य–करण सम्बन्धों, घटनाओं को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी विश्लेषण किया जाता है।

सम्बन्धित साहित्य में शोध विषय में चयनित समस्या से सम्बन्धित ग्रन्थ, पुस्तकें, पत्र–पत्रिकायें, ज्ञानकोष, प्रकाशित–अप्रकाशित शोध ग्रंथ, विवरण, आलेख, अभिलेख आदि का समावेश किया जाता है। समस्या चयन से लेकर शोध निष्कर्ष तक अनुसंधान के प्रत्येक पद में सम्बन्धित साहित्य मार्गदर्शक का कार्य करता है। इनके अध्ययन से शोधकर्त्री अपनी समस्या के चयन, परिकल्पना के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा शोध को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।

महमूद (2015) ने पाया कि सीसीई के लिए विकसित पाठ्यपुस्तकें सीसीई प्रक्रियाओं को दर्शाती हैं, जैसे कि परियोजनाएँ, गतिविधि, प्रयोग आदि। शिक्षकों के मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से विभिन्न अध्ययनों का आयोजन किया गया है। परिणाम बताते हैं कि शिक्षक कक्षाओं के व्यक्तिगत और स्कवास्टिक क्षेत्रों से सम्बन्धित अन्य मूल्यांकन प्रथाओं और छात्रों के व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों में अपने प्रश्नोत्तर कौशल में सुधार कर रहे हैं जो प्रकृति में निरन्तर और व्यापक थे। ऐसे अध्ययनों के प्रयासों में शिक्षकों के मूल्यांकन कौशल में सुधार लाने में उपयोगी साबित हुए हैं, जो मूल्यांकन की परिणामों के आधार पर लगातार प्रतिक्रियाएँ सुधार और कक्षा के अनुदेशनात्मक रणनीतियों के सुधार से विद्यार्थियों की उपलब्धि के मानकों को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण योग्यता थी। स्कूल शिक्षा में मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए किए गए सिफारिशों के अनुरूप कुछ राज्यों में स्कूलों में ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करने के लिए प्रयास किए गए हैं।

शीला देवी (2014), केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा–11 व 12 की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में निहित मूल्यों का समीक्षात्मक अध्ययन। इस अध्ययन में शोधकर्त्री द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा–11 व 12 की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में निहित मूल्यों का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया तथा निष्कर्ष निकाला कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका घर होता है। बालक वहीं से आचरण व तौर–तरीके सीखता है। लेकिन जब वह विद्या ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाता है, तो वहाँ उसे पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण करनी होती है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं होना चाहिए कि पुस्तकें पढ़ ली, परीक्षा दी और पास हो गए। उसके साथ–साथ विद्यार्थी को विषय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आए हुए विभिन्न मूल्यों को भी ग्रहण करना चाहिए ताकि वह समाज में सम्मानपूर्वक अपना सिर उठाकर जीना सीखें। मूल्यों को अपनाकर स्वयं में बदलाव लाने के साथ–साथ समाज में, राष्ट्र में भी बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। ताकि बालक अपने राष्ट्र को मूल्यों के आधार पर उन्नति के शिखर पर ले जा सकें।

रामबाबू, ए. (2013), स्कूल एज्यूकेशन ऑन दी आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म इन दी पोस्ट–इन्डिपेन्डेन्स इण्डिया : ए सोशियोलॉजिकल एनालाईसिस। इसमें शोधकर्ता द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा संचालित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का अध्ययन किया गया तथा इस शोध में शिक्षा पर पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रभाव का विवेचन किया गया। शोधकर्ता द्वारा इस शोध में स्वतंत्रता के बाद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद पर पड़ने वाले प्रभाव एवं नई शिक्षा तकनीकी को विश्लेषित किया गया है।

वस्तुतः शोधकर्त्री का शोध शीर्षक ''माध्यमिक स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा संचालित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' पर अधिक कार्य नहीं हुए हैं। अतरू शोधकर्त्री के मन में निम्न प्रश्न उभर कर आयें –

समस्या से उभरने वाले प्रश्न

- क्या सामजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक शैक्षिक लक्ष्यों पर आधारित है?
- क्या सामजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक में यथायोग्य चित्रों को शामिल किया गया है?
- क्या एन.सी.ई.आर.टी की पाठ्यपुस्तकों में समसामायिक प्रासंगिकता निहित है?

समस्या कथन

''माध्यमिक स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा संचालित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का विश्लेषणात्मक अध्ययन।''

शोध के उद्देश्य

कोई भी कार्य बिना किसी उद्देश्य के पूर्ण नहीं होता है तथा उस कार्य में सफलता भी नहीं मिल पाती है। प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है तथा प्रत्येक क्षेत्र में सफल होना चाहता है, इसलिए जिस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी भी कार्य को करने से पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक है, उसी प्रकार किसी भी शोध से पूर्व उसकी सफलता के लिए इसके उद्देश्य निर्धारित करना अत्यन्त आवश्यक है।

किसी भी अध्ययन के लिए न्यादर्श के चुनाव से लेकर परिणाम, निष्कर्ष निकालने की समस्त प्रक्रिया का आधार अनुसंधान कार्य के उद्देश्य ही होते हैं। उद्देश्य ही शोध के अन्तिम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, इसलिए किसी भी समस्या पर शोधकार्य निर्धारण के बिना ना तो शोध की विधि, प्रविधि एवं तकनीकी का चयन कर सकते हैं और न ही अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हचैं। किसी भी अध्ययन के स्वरूप, न्यादर्श के चयन से लेकर परिणाम एवं निष्कर्ष निकालने तक की समस्या प्रक्रिया का आधार उस शोध के उद्देश्य ही होते हैं। उद्देश्यों के अभाव में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना तो दूर शोध–कार्य करना संभव ही नहीं है।

उद्देश्यों का इतना महत्व, इतनी उपयोगिता का ध्यान में रखते हुए शोधकर्त्री द्वारा इस शोध के उद्देश्यों का निर्धारण इस प्रकार किया गया है –

- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यपुस्तक के उद्देश्यों का अध्ययन करना।
- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यपुस्तक की सरलता व स्पष्टता का अध्ययन करना।
- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यपुस्तक की समसामयिक प्रासंगिकता का अध्ययन करना।
- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यपुस्तक में निहित चित्रों की उपयोगिता का अध्ययन करना।
- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यपुस्तक में राष्ट्रीय लक्ष्यों का अध्ययन करना।
- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यपुस्तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यपुस्तक की स्तरानुकूलता का अध्ययन करना।
- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यपुस्तक का पिछली कक्षा तथा आगे की कक्षा के पाठ्यपुस्तक की तारतम्यता का अध्ययन करना।

सम्प्रत्ययों की व्याख्या

प्रस्तुत शोध "माध्यमिक स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा संचालित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का विश्लेषणात्मक अध्ययन" में शोधकर्त्री द्वारा 9वीं एवं 10वीं कक्षा की एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा संचालित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में उद्देश्यों, भाषा शैली, स्पष्टीकरण, पाठ्यक्रम की सरलता एवं स्पष्टता, समसामयिक प्रासंगिकता, पुस्तक में निहित चित्रों की उपयोगिता, व्यवहार परिवर्तन की विषयवस्तु की भूमिका इत्यादि सम्प्रत्ययों का अध्ययन कर विश्लेषणात्मक परिणाम प्राप्त किये।

शोध विधि **(Research Methodology)**

प्रस्तुत शोध वर्णात्मक सर्वेक्षण में विषयवस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जायेगा। यह अनुसंधान मूल रूप से छब्म्ज् पाठ्यचर्या की रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषणात्मक अध्ययन है। छब्म्ज् ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और विशेषकर छात्र–शिक्षा के क्षेत्र में। अतः इस अध्ययन को विश्लेषणात्मक रूप से करने का निश्चय किया है।

शोध अध्ययन के चर

प्रस्तुत अध्याय में शोध हेतु निम्नलिखित चरों का प्रयोग किया गया है –

- स्वतंत्र चर के रूप में एन.सी.ई.आर.टी. के कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय की पुस्तक ली गई है।
- आश्रित चर के रूप में एन.सी.ई.आर.टी. कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय की पुस्तक के पाठ्यक्रम की विषयवस्तु का चयन किया गया है।

सम्बन्धित साहित्य के स्रोत

शोधकर्त्री द्वारा सम्बन्धित साहित्य के स्रोत को दो रूप में प्राप्त किये जायेंगे–

- प्राथमिक स्रोत – इसके अन्तर्गत पत्र–पत्रिकाओं में उपलब्ध सामयिक साहित्य ग्रन्थ, एक ही विषय पर निबन्ध।
- द्वितीयक स्रोत – इसके अन्तर्गत पाठ्यपुस्तकें आती है। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में हुए शोधों के परिणामों का सारांश सुसंगठित रूप से पुस्तकों में प्रस्तुत किया जाता है। ये वे सामग्रियां हैं जो उन व्यक्तियों द्वारा लिखी गई हैं जिन्होंने तथ्यों का स्वयं प्रेक्षण नहीं किया है। विश्वकोष, लेख आदि इसी प्रकार के स्रोत से प्राप्त सामग्री है, यथा –
  - शिक्षा ज्ञान कोष
  - शिक्षा शोध सार
  - शिक्षा सूची पत्र
  - संदर्भ ग्रंथ सूचियां
  - विश्वकोष तथा शब्दकोष

शोध कार्य में इन दोनों स्त्रोतों की उपलब्ध सामग्री को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

परिकल्पनाएँ

ज्ञान अनन्त है, जिज्ञासाएँ अनन्त है, शोध कार्य असीम है, इसलिए किसी भी शोध कार्य की सीमाओं में बांधना आवश्यक है, इसलिए इस शोध कार्य को परिकल्पनाएं निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार है –

- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक में माध्यमिक स्तर के उद्देश्य उपलब्ध है।
- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक में विशयवस्तु की सरलता व स्पश्टता उपलब्ध है।
- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक में समसामायिकता प्रासंगिकता उपलब्ध है।
- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक में निहित चित्रों की उपयोगिता उपलब्ध है।
- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यपुस्तक में राष्ट्रीय लक्ष्यों पर आधारित विषयवस्तु की उपलब्धता है।
- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यपुस्तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित विषयवस्तु उपलब्ध है।
- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यपुस्तक में विषयवस्तु विघार्थी के स्तरानुकूल उपलब्ध है।
- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यपुस्तक में तारतम्यता उपलब्ध है।

परिसीमा

- प्रस्तुत शोध अध्ययन में एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक का ही विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन में एन.सी.ई.आर.टी. की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में संचालित कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु का ही विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

शोध प्रकिया

- **प्रथम अध्याय**

प्रथम अध्याय में शोध की सम्प्रत्यात्मक पृष्ठभूमि, औचित्य, अध्ययन के उद्देश्य, शोध प्रारूप व परिसीमाओं का उल्लेख किया जाएगा।

- **द्वितीय अध्याय**

द्वितीय अध्याय में शोध से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन किया जाएगा।

- **तृतीय अध्याय**

इसके अन्तर्गत शोध प्ररचना, शोध के चर, जनसंख्या, न्यादर्श, परिसीमाएँ, दत्त संकलन हेतु प्रयुक्त उपकरणों का उल्लेख, प्रदत्त विश्लेषण का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

- **चतुर्थ अध्याय**

इस अध्याय में प्रदत्तों का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी।

- **पंचम अध्याय**

इस अध्याय में शोध के निष्कर्ष, शैक्षिक फलितार्थ व सारांश को प्रस्तुत किया जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

⇒ एन.सी.ई.आर.टी. 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति : एक चुनौती, नई दिल्ली,

⇒ भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग,

⇒ भटनागर, सुरेश, 1972 ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति'', मेरठ, लाल बुक डिपो

⇒ Best John. W., Research in Education.

⇒ Buch, M.B., 1974 "Survey of Research in Education", India M.S. University of Baroda.

⇒ Buch, M.B., 1978-83 "Third Survey of Research in Education", NCERT.

⇒ Buch, M.B., 1979 "Second Survey of Research in Education", Baroda India Soceity for Educational Research and Development.

⇒ Google Search.

⇒ NCERT (2005), National Curriculum Framework.

⇒ NCERT, 7th All India Educational Survey, New Delhi.

⇒ NCERT, Survey of Educational Research, Six Volumes.

⇒ Sharma, R.A., 1985 "Research in Education", Meerut, Loyal Book Depot.

⇒ Sukhia & Malhotra, 1986 "Elements of Educational Research", New Delhi, Allied Publishers.

☯☯☯

14

पश्चिमी राजस्थान में सूखा एवं अकाल की समस्या और उसका प्रबन्ध

डॉ. विक्रम सिंह*

परिचय

विश्व की बढ़ती आबादी एवं आर्थिक विकास की तीव्र दर के कारण जल की मांग निरन्तर बढती जा रही है। जलपूर्ति कमे स्त्रोत इस बढ़ती मांग के अनुरूप किस प्रकार पूर्ति कर सकेगें? यह एक गंभीर प्रश्न है। जल समस्या की महत्ता के कारण बुद्धिजीवियों, शिक्षाविद्ों एवं नीति निर्माताओं का ध्यान विगत दो दशकों से इस ओर आकृष्ठ हुआ है । फलस्वरूप जल प्रबन्धन की बेहतर तकनीकी विकसित करने की दिशा में प्रयास प्रारम्भ हुआ है। पर्यावरण भूगोल वेत्ताओं के शोध एवं अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। मानव एवं पर्यावरण के अवगुंठित अन्तसम्बन्ध के कारण पर्यावरण विषयक दृष्टिकोण के समय के साथ व्यापक पविर्तन दृष्टिगोचर होता है।

जल जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है वर्षा जल का वह महत्वपूर्ण भाग है जिसमें स्थलमण्डल को प्राकृतिक रूप से पनी प्राप्त होता है यह न केवल भू–पृष्ठीय जल का प्रमुख स्त्रोत है वरन भूमिगत जल की मात्रा भी वर्षा से निर्धारित होती है। इस प्रकार का जल पीने योग्य पानी के रूप में जीवन जगत का आधार होता है वही कृषि एवं अन्य विकास भी इससे सम्बन्धित रहता है। प्राचीनकाल से ही मानव सभ्यता का विकस जल की उपलब्धता से प्रभावित है।

सूखा एवं अकाल किसी निश्चित क्षेत्र में जब वर्षों कम होती है या नही होती है तब अपना प्रभाव दिखाते है। हालांकि कारण कोई भी हो सकता है जैसे– हाइड्रॉलिक, मौसम व जलवायु, प्राकृतिक, जैव–भोतिक सामाजिक, धार्मिक आदि लेकिन सबसे अहम एक महत्वपूर्ण कारण वर्षा की कमी ही है। इसका सर्वाधिक प्रभाव पर्यावरण पर पडता है। जिसमं मानव, पशु–पक्षी, जीव–जन्तु, पेड–पौधें, फसलें सभी प्रभावित होते हैं। मानव जीवन पूर्णतः अस्त व्यस्त हो जाता है तथा पर्यावरण का संरक्षण सम्भव नहीं होता बल्कि विनाश की शुरूआत हो जाती है। कम वर्षा व पर्यावरण के दुष्प्रभाव के कारण मानवीय गतिविधयां अस्त–व्यस्त हो जाती है एवं प्राकृतिक संसाधनों का शोषण भी बुरी तरह होता है।

---

* व्याख्याता, भूगोल, एस.एस.एस.पी.जी. कॉलेज, जमवारामगढ, जयपुर, राजस्थान।

~ The chapter is based on the paper presented in "**International Conference on Modern Management Strategies, E-commerce and Global Economy-In Indian Context**" Organized by **Inspira Research Association (IRA),** Jaipur **& LBS PG College,** Jaipur, Rajasthan, India. **02-03 February, 2018.**

मौसम चक्र का प्रभाव व सूखे की गम्भीरता पशुधन व मानव को सीधे–सीधे अथवा पूर्णरू से प्रभावित करती है। CAZRI पर किये गये विभिन्न शोधों से पता चलता है कि पश्चिमी राजस्थान में सूखे का पैटर्न सैट है यह उत्तरी पूर्व हिस्से से जूनके महीने के दौरान शुरू होकर अगस्त तक दक्षिण पूर्व हिस्से की ओर बढता जाता है। जिसके कारण यहां फसलों की पैदावार नही होती है तथा पशुधन के लिए चारे व पानी की समस्या आ जाती है तथा मानवीय अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाती है तथा सस्ती दरों पर लोगों को पशुधन को बेचने पर भी मजबूर होना पड़ता है

भारत एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहां की 72 प्रतिशत के लगभग जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है एवं कृषि प्रधान है। जब वर्षा नहीं होती है या कम होती है तब सूखा व अकाल के परिणाम स्वरूप कृषि व पशु–पालन दोनों व्यवसायों पर संकट की स्थिति पैदा हो जाती है भारत का पश्चिमी राजस्थान मुख्य सूखा व अकाल प्रभावित क्षेत्र है जिसे ''थार रेगिस्तान'' या ''थार का मरूस्थल'' के नाम से जाना जाता है। जोधपुर जिले में CAZRI संस्थान बेहतर जलवायु की निगरानी के लिए वर्षा जल संचयन, जल प्रबन्धन व सूखे की पूर्व चेतावनी के लिए कार्य करते हुए हमेशा पर्यावरण संरक्षण व मरूस्थलीकरण के संरक्षण की वकालत करता है पश्चिमी राजस्थान में वर्ष 1903–05, 1957–60, 1966–71, 1984–87, 1997–2000 में अकाल पडा था। इन वर्षों में यहां की अर्थव्यवस्था तो कमजोर हुई ही थी इसके अलावा प्राकृतिक संसाधानों पर भारी दबाब, मानव व पशुओं पर भोजन, पानी चारा का संकट, भूमिगत जल स्तर का नीचा होना, भूमि की गुणवत्ता में कमी आना, भूमिगत जल में फ्लोराइट व नाइट्रेट जैसे हानिकारक लवणों की अधिकता होना एवं काफी संख्या में मानव व पशुओं की मृत्यु एवं औसत आयु में कमी हुई। अकाल के क्षेत्रों के संबंध में एक काफी मशहूर दोहा भी माना जाता है जिसमें अकाल के प्रदेशों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

''रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
पानी गये ना ऊबरे, मोती मानस चून।।

सूष्टि निर्माण में भी जल सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्रकृति की अनूठी धरोहर है। जल का निर्माण मनुष्य नही कर सकता। अर्थात जल की विकट समस्या का निवारण सिर्फ जल संरक्षण ही है। इसलिए जल संकट के निवारण हेतु वर्षा जल संरक्षण मौजूदा समय की महत्वपूर्ण जरूरत है।

पश्चिमी राजस्थान मे वर्षा वाले बादलों के संबंध में एक लोकप्रिय कहावत प्रचलित है –

''तीतर मास्या बादला, बिधवा काजल रेख।
या बारसै वा घर करै, या में मीन ना मेष।।

इसका अर्थ है जब आसमान में तीतर के पंख के समान बादल दिखाई दें एवं जब कोई विधवा स्त्री काजल बिन्दी लगाकर मांग भरक सजधज के घर से बाहर जाये तो ? बादलों द्वारा निश्चित वर्षा होती है तथा यह विधवा स्त्री किसी के साथ शादी के बन्धन में बंधती है । इसमें शास्त्री आचार्य (पंण्डित) ज्योतिषि को पुछने की आवश्यकता नहीं है।

सर्दी के मौसम में होने वाली वर्षा के बारे में भी पश्चिमी राजस्थान में एक मशहूर दोहा प्रचलित है–

''जलवायु भूमध्य का, अद्भुत हमें लखात।
गर्मी मे सूखा रहे, सर्दी में बरसात।।

अर्थात पश्चिमी राजस्थान मे ंसर्दी के मौसम में होने वाली बरसात को क्षेत्रीय भाषा में ''मावठ'' कहते है। जो कि भूमध्यसागरीय मानसून (लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ) द्वारा होती है। इस भूमध्यसागरीय मानसून द्वारा होने वाली वर्षा की यह विशेषता है कि यह वर्षा सर्दी के मौसम में होती है। गर्मी में मोसम में यह मानसून सूखा एवं निश्क्रिय रहता है।

उद्देश्य

वर्षा को भूगोल वेत्ताओं ने नई दृष्टि से विश्लेषित करना प्रारम्भ किया है वर्षा जल को उचित प्रकार से संग्रहित कर पीने योग्य एवं कृषि के लिए अधिक उपयोगी बनाने तथा इसका अन्य उपयोगों में समुचित विदोहन करने से सम्बन्धित अध्ययन वर्तमान भूगोल अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता जा रहा है।

राजस्थान की भौगोलिक पृष्ठ भूमि शुष्क एवं अर्द्धशुष्क प्रधान हैं । इस प्रकार की भौगोलिक इकाई जहां वर्षा का औसत 25 से 50 सेमी के लगभग हो तथा वर्षा की प्रकृति एवं वितरण में अनियमितता एवं अनिश्चितता अधिक पाई जाने के लिए वष्र प्रारूप सम्बन्धी वैज्ञानिक शोधों को दृष्टिगत रखकर राजस्थान में विगत 50 वर्षो के वर्षा सम्बन्धी आंकडों का विश्लेषण कर वर्षा प्रारूप की मूल प्रवृतियों को ज्ञात करना एवं अकाल प्रबन्धन की प्रभावी व्यूह नीति बनाने की दृष्टि से इससे सम्बन्धित महत्वर्पूा पक्षों का विश्लेषण करना तथा अकाल के प्रतिकूल प्रभाव को कम करके परिस्थति की सन्तुलन को बनाये रखना ही मूल उद्देश्य है।

राज्य में वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता के साथ साथ कालिक रूप से वर्षा के औसत स्तर का कम होने से हर वर्ष प्रदेश का कोई न कोई क्षेत्र अकाल की समस्या से प्रभावित होता है। विगत 27 वर्षों में से 25 वर्षों में अकाल की समस्या रही है तथा वर्ष 2002–03 भीषणतम अकाल का वर्ष रहा है। जिसमें राज्य के 40990 गांवों तथा 4.48 करोड जनसंख्या अकाल की चपेट में आई । इस वर्ष के अकाल व सूखे को ''मैक्रोड्रॉउट'' कहा गया जिसका प्रभाव राजस्थान में ही नही वरन अन्य राज्यो पर भी पड। सर्वाधिक औसत अकाल पीड़ित गांव बाडमेर (1708.20) जिले में तथा सबसे कम संख्या सिरोही (163.83) जिले में रहे।

राज्य में जिले वार वर्षा की कालिक स्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिलो के बीच पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। आपदाप्रबन्धन जिसका अकाल प्रबन्धन एक हिस्सा है उसके बारे मे ंवैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध रूप से सुरक्षा और पुर्नवास पर ध्यान देना चाहिए जिससे आपदा ओर अकाल पर काबू पाया जा सके। समग्र रूप से अकाल की समस्या के समाधान हेतु दीर्घकालिक सोच के साथ समर्पित भाव व संकल्प से समन्वित दृष्टिकोण द्वारा योजना बनाना आवश्यक है।

स्त्रोत

- राजस्थान का भूगोल
- क्रोनिकल (वार्षिकीय)

15

भारत में आर्थिक दृष्टि से महिला सशक्तिकरण

प्रतिमा खटुमरा*

परिचय

''यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जायेगा''

–जवाहर लाल नेहरु

आज का समय महिला सशक्तिकरण का है। जिधर नजर दौड़ाइए, आपको महिलाओं की व्यापकता, सामर्थ्य और कुशलता के दर्शन हो जाएँगे। स्त्री–शिक्षा, स्त्री–अधिकार, पुरुषों के साथ बराबर की कदमताल, अपने कर्त्तव्यों के प्रति चेतना, आपको सर्वत्र दृष्टिकोण होगी। हो भी क्यों न, आज शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, खेल, व्यवसाय, प्रबंधन, गृह–निर्माण, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंटरनेट कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, प्रशासन, शिक्षण, आध्यात्म, मीडिया, पत्रकारिता, सेना, मंत्रिमण्डल सब ओर महिलाएँ ध्वजवाहिका बनी खड़ी नजर आती है। वह दिन लद गए, जब स्त्री को घर की चाहरदीवारी में कैद करके रखना, पुरुष अपनी शान और अधिकार समझता था। आज हिमालय पर महिलाएँ झण्डे गाढ़ रही हैं। वर्तमान दौर में महिलाएँ जितनी अपने कर्त्तव्यों के प्रति सचेत हुई है, उतनी ही अपने अधिकारों के प्रति जागरुक। डॉ. दंगल झाल्टे के अनुसार, ''स्वातन्त्रयोत्तर नारी अपने जीवन के प्रति गहनता से सोचने लगी है। वह पति से गुलामी नहीं बराबरी का, सहधर्मिणी का रिश्ता चाहती है। परिवार तथा सभ्यता की बागडोर अपने हाथों में लेकर भी वह विश्व के उन्मुक्त प्रांगण में विचरण की आकांक्षा लिए हुए हैं।''

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिला वर्ग की क्षमता या शक्ति का विकास करना है। जिससे वे अपना जीवन का निर्वाह अपनी इच्छानुसार कर सकने में सक्षम हो सके। अर्थात महिलाओं की

* सहायक आचार्य, हिन्दी, स.ध.राजकीय महाविद्यालय ब्यावर, अजमेर, राजस्थान।

~ The chapter is based on the paper presented in "**International Conference on Modern Management Strategies, E-commerce and Global Economy-In Indian Context**" Organized by **Inspira Research Association (IRA),** Jaipur **& LBS PG College,** Jaipur, Rajasthan, India. **02-03 February, 2018.**

आर्थिक शक्ति का विकास कर उन्हें अपनी क्षमता का विकास कर उन्हें अपनी क्षमता का एहसास कराना उनमें आत्म–विश्वास एवं स्वीकार्यता विकसित करना ताकि महिलायें समाज एवं देश के सर्वपक्षीय विकास में शामिल हैं। महिलाओं को समाज में समान दर्जा प्रदान कर सशक्त बनाने के लिये आजादी के बाद पिछले छःदशकों में सरकारी एवं गैर–सरकारी दोनों ही स्तर पर निरंतर प्रयास किये गये हैं।

समाचार पत्र ''जागरण ब्यूरो'' नई दिल्ली मे प्रकाशित समाचार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को वक्त की जरुरत बताते हुए कहा है कि दुनिया और विशेषकर भारत में अभी भी महिलाएं कई तरह का लिंग आधारित भेदभाव झेलती है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण तभी होगा, जबकि वे उन्हें प्राप्त अधिकारों का लाभ उठाएं और साथ ही आर्थिक रुप से सशक्त हो। महिला सशक्तिकरण के लिए जरुरी है उनका आर्थिक सशक्तिकरण। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे :–

- सदियों से महिलाओं की आवज दबी हुई है। अगर वो आर्थिक रुप से सशक्त होंगी, तो समाज में भी उनकी बात सुनी जाएगी। क्योंकी समाज में आर्थिक रुप से सबल इंसान को ज्यादा महत्व दिया जाता है।
- आर्थिक रुप से सशक्त होने पर महिलाओं की निर्भरता पुरुषों पर से खत्म हो जाएगी, ऐसे में उन्हें अपने अधिकारों के लिए पुरुषों का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा।
- महिलाएं कमाएं हुए पैसे या परिवार के किसी अन्य स्त्रोत से मिले पैसे को बच्चों के भरण पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करती हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण केरल है। ऐसे मे अगर महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त होने पर बच्चो के भी विकास में मदद मिलेगी।
- आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएँ आत्मविश्वास से पूर्ण होती है। ऐसे मे उनकी सामाजिक सुरक्षा उनके अधिकारो की लडाई वो खुद लड सकती है। जो महिला सशक्तिकरण कि दिशा मे कारगर साबित हो सकता है।
- हाल ही मे विश्व आर्थिक मंच कि ओर से जारी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में लैंगिक समानता के मामले मे भारत को 87 वां स्थान मिला है, जिसमें आर्थिक तौर पर असमानता को सबसे बडी चुनौती माना गया है। यानी बिना आर्थिक खाई को पाटकर हम लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त नही कर सकते है।

वस्तुतः इक्कीसवीं सदी महिला सदी है। वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रुप में मनाया गया। हालांकि ये काम बिना समाज और सरकार के प्रयासों से नही हो सकता है। सरकार द्वारा इस दिशा में कई कदम उठाये गये है, जैसेः–

- 2001 में सरकार ने ''महिला उत्थान नीति'' बनाई है जिसके तहत उनके आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर कई कदम उठाये गये है।
- महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंड अप इंडिया जैसी कई योजनाएं चलाईं गईं, जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में महिलाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है।

- प्रधानमंत्री जनधन योजना और महिला बैंक जैसे कदम उठाकर महिलाओं की पहुंच बैंक तक आसान की गई, ताकि वो अपनी कमाई को सुरक्षित रख सकें।

हालांकि अभी भी इस दिशा में कई कदम उठाए जाने बाकी है। सबसे जरुरी है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर समाज के एक बड़े हिस्से की सोच बदले।

महिला सशक्तिकरण में मुद्रा योजना की भूमिका

देश की महिलाओं को आर्थिक रुप से मजबूत बनाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। जिसमें देश के सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जिससे कि महिलाएं भी कारोबार के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें रही हैं। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना(माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) काम कर रही है सरकार ने, छोटे कारोबारियों को व्यावसाय में बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुद्रा बैंक योजना की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट (2015–2016) में 20 हजार करोड़ कोष और 3 हजार करोड रुपए साख गारंटी रखकर की है। इस योजना का उद्देश्य उचित ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। खास बात यह है कि कर्ज लेने वालों को एक मुद्रा कार्ड भी मिल रहा है जिसे वे जरुरत पड़ने पर क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकती है। इस कार्ड के जरिये अचानक जरुरत पड़ने पर दस हजार रुपये तक निकाले जा सकते हैं। मुद्रा योजना का वास्तविक उद्देश्य रोज़गार प्रदान करना है। परन्तु इसका अर्थ मात्र रोज़गार उत्पन्न करना ही नहीं हैं बल्कि लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना भी है। लघु उद्यमों और नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ ही मुद्रा योजना रोजगार मुहैया करने के लिए सरकार की योजनाएं ढाँचे का एक महत्वपूर्ण आयाम है। महिलायों के हित में यह में यह मुद्रा स्कीम काफी फायदेमंद है। इस योजना का लाभ किसी बैंक से लिया जा सकता है। सरकार ने यह योजना ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में कारोबार करने वाली महिलाओं को देखते हुए बनाया है। जिसमें महिलाओं को 50 हजार रुपए से 10 लाख रुपए का लोन मुहैया आसानी से बिना गारंटर के मिल रहा है। मुद्रा बैंक के अन्तर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को ऋण देने में प्राथमिकता दी जा रही है महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये योजना बहुत ही सफल और लोकप्रिय साबित हो रही है

इस योजना में महिला उद्यमियों के लिए अलग से महिला उद्यम निधि नाम की विशेष योजना है। इसके तहत सभी तीन श्रेणियों (शिशु, किशोर, व तरुण) में महिला को लोन मिल रहा है, इस योजना के तहत पापड़, अचार आदि का व्यापार कर रही कारोबारी महिलाओं को भी इस बैंक की ओर से ऋण प्रदान किया जा रहा है ताकि वो छोटे स्तर से अपना कारोबार शुरु कर सकती है और दूसरों को भी रोज़गार उपलब्ध करा सकती है।

भारत सरकार द्वारा शुरु की गई मुद्रा योजना, नए उद्यमों को शुरु करने के लिए महिलाओं को ऋण प्रदान करके उन्हें सशक्त बना कर उनकी स्थिति में सुधार करने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है।

सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देने वाले विकास में महिला और पुरुष दोनों की भूमिका हैं। आज यह महसूस किया जाने लगा है कि महिलाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, कमाने के मौके और राजनैतिक भागीदारी की क्षमता विकसित करने में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। महिला और पुरुष के बीच बराबरी लाने के लिए सिर्फ आर्थिक विकास ही काफी नहीं हैं।

महिला और और पुरुष के बीच बराबरी लाने के लिए नीतिगत कार्यवाही भी जरुरी हैं। महिलाओं को आर्थिक भागीदारी में बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कदम उठाने होंगें।

नारी तुम केवल श्रद्धा हो!
विश्वास रज नभ पग तल में।
पीयूष स्त्रोत सी बहा करो।
जीवन के सुन्दर समतल में।।

भारतीय संस्कृति की पूरोधा भारतीय नारी सृष्टि की मूल चेतना है। कई गुणों की खान होने के साथ–साथ वर्तमान में उसने आधुनिक जीवन की विसंगतियों के बीच में व्यक्तित्व को उभारने की कोशिश की है। आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आर्थिक सक्षमता ही उसका मूल मंत्र है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

⇒ डॉ. दगंल झाल्टे : नये उपन्यासों में नये प्रयोग, पृष्ठ सं. 90।
⇒ जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली।
⇒ जयशंकर प्रसाद, कामायनी।

INSPIRA™
Reg. No. SH-481 R- 9-V P-76/2014

Printed in India by **Prof. (Dr.) S. S. Modi** at Aakrati Advertisers, Jaipur, Rajasthan and published by him on behalf of the Inspira Research Association, Jaipur, Rajasthan
Website : inspirajournals.com

₹ 590.00

ISBN : 978-81-937067-5-6